राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक १०] तृतीय विधान सभा के दसवें सत्र, १९६६ का प्रथम दिवस [संख्या १

दिनांक १५ सितम्बर, १९६६

विधान सभा की बैठक म०पू० ११.२ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सामान्य प्रशासन, खाद्य, उपनिवेशन, शिक्षा, वन, खनिज, सिंचाई, पशुपालन, श्रम, नियुक्ति, राजस्थान कैनाल-विभाग]

श्री अध्यक्ष : प्रश्न। श्री रामानन्द अग्रवाल !

अलवर में विजयसागर बांध की मोरियां

१. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या मुख्य मंत्री (सामान्य प्रशासन) यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि अलवर में विजयसागर बांध की मोरियां बन्द रहने के कारण लगभग ५००-६०० बीघा जमीन बहुही, कस्बा डहरा, तेहडपुर, टोडियार और जटियाना के किसानों की गर्क रहती है?

(२) क्या यह सही है कि इस बांध के साथ ही दूसरा बांध ट्रेनिंग बांध है जिसका पानी भी इसी विजयसागर बांध में आता है और विजयसागर की मोरियां न खुलने के कारण ट्रेनिंग बांध भी भरा रहता है जिसके कारण कस्बा शाहपुर, बालाडेहरा, दिलावपुर

आदि का रकबा भी गर्क रहता है? कृपया ट्रेनिंग बांध में गर्की में रहने वाली जमीन के रकबे के आंकड़े पिछले ५ वर्षों के सालवार और गांववार सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(३) क्या यह सही है कि उक्त विजयसागर बांध की मोरियां खोलने से जटियाना धोलीदूब, नगला रायसीस, बल्लाबोठा तूनेड़ा आदि गावों की जमीन की सिंचाई हो सकती है और पहले कई बार राजाशाही जमाने में ये मोरियां खोली जाकर उक्त गांवों की सिंचाई हुई भी है?

(४) क्या यह सही है कि बेरून सिंचाई के लिए इस बांध की मोरियां के नीचे एक पक्की नहर बनी हुई है?

(५) क्या यह सही है कि सन् १९२६-२७ में उक्त बांध की मोरियां खोली जाकर उपरोक्त गांवों का लगभग १३०० बीघा रकबा सींचा गया था?

(६) क्या यह सही है कि गर्क रकबे में से महाराजा अलवर की निजी सम्पत्ति की तारीफ में आने वाला केवल लगभग ६० बीघा रकबा है?

(७) क्या यह सही है कि गर्क रकबा किसानों की निजी खातेदारी का है और गर्क रहने की सूरत में भी उनसे ११४ लगान वसूल किया जाता है?

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(८) क्या यह सही है कि इस क्षेत्र के किसानों ने उक्त बांध की मोरियां खोलने के लिए राज्य सरकार को एक लिखित मेमोरेण्डम भी दिया है जिसमें उक्त बांध की मोरियां खोलने से २० हजार मन अनाज अधिक पैदा होने की संभावना व्यक्त की है और उसमें ५० प्रतिशत अनाज सरकार को लेवी के रूप में कन्ट्रोल रेट पर देने की पेशकश की है ?

(९) क्या राज्य सरकार ने उक्त बांध की मोरियां खोलने के बारे में कोई निर्णय लिया है ? यदि हां, तो क्या ?

सिंचाई मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां। इस विभाग के पास ऐसी कोई विश्वसनीय सूचना उपलब्ध नहीं है कि जिससे यह कहा जा सके कि विजयसागर बांध की मोरियां बंद रहने के कारण किसकी भूमि डूब में रहती है। क्योंकि यह तालाब महाराजा अलवर की एनसेस्ट्रल प्रोपर्टी है और सिंचाई विभाग का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है।

(२) एक ट्रेनिंग बांध अवश्य है किन्तु उसके कारण काश्तकारों की भूमि रबी की फसल बोने के समय डूब में नहीं रहती है। अक्टूबर-नवम्बर में इस बांध का गेज शून्य के बराबर हो जाती है।

(३) यह सही है कि उक्त विजयसागर बांध की मोरियां खोलने से कुछ किसानों की कुछ जमीनें सिंचित हो सकती हैं पर इस तरह पहले कभी सिंचाई हुई हो यह सूचना इस विभाग में उपलब्ध नहीं है।

(४) जी हां।

(५) इस विभाग को जानकारी . .

(६) इस विभाग को कोई जानकारी नहीं है।

(७) इस विभाग को कोई जानका[illegible] नहीं है।

(८) इस सम्बन्ध में मुख्य मंत्रीजी को एक पत्र प्राप्त हुआ था।

(९) इस सम्बन्ध में अभी कोई अंतिम आदेश नहीं हुए हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के भाग (७) का उत्तर देते हुए माननीय मंत्रीजी ने कहा है कि इनको जानकारी नहीं है। एक चौथाई लगान वसूल किया जाता है, वह आपको तहसील वसूल करती है। क्या आप डिनाई करते हैं कि नहीं वसूल करती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस तरह की इस विभाग को जानकारी नहीं है। हमारे यहां सिंचाई विभाग के अन्दर इसका रिकार्ड नहीं रहता है कि कौन कितना लगान देता है और कौन नहीं देता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जानकारी दूसरी तहसील से ली जा सकती थी। तहसील ही आपकी सिंचाई लगान वसूल करती है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आम तौर से यह सिद्धांत राजस्व विभाग का अवश्य है कि यदि कोई जमीन डूब में हो और वह किसी की निश्चित की हो तो जब से वह इमर्ज होती है, पानी से बाहर होती है तब से उस पर पूरा लगान लेते हैं। यदि पानी के अन्दर रहती है या खेती नहीं होती या नहीं हो

(श्री रामप्रसाद लड्‌ढा)

सकती है तो उस वक्त एक चौथाई लगान लिया जाता है। ऐसा नियम अवश्य है, ऐसा फैसला गवर्नमेंट का अवश्य है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह जो आपने कहा है कि निजी सम्पत्ति है महाराजा की तो कितने बीघा जमीन उसमें से निजी सम्पत्ति है ?

श्री रामप्रसाद लड्‌ढा : मैंने स्वयं ने आज सवेरे इन्द्राज देखा था। उसके अन्दर एरिया नहीं लिखा हुआ है। एक दूसरे कोई पैलेस की बाउन्ड्री लिखी हुई है। उसके अन्दर यह लिखा हुआ है including the Vijai Sagar Dam.

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि राजस्थान रिजम्पशन एण्ड एबोलिशन ऑफ जागीरदारी सिस्टम एक्ट, १९६४ पास होने के बाद अब वह जमीन ओटोमेटिकली रिज्यूम हो चुकी, यह बांध रिज्यूम हो चुका और महाराजा की निजी सम्पत्ति नहीं है ?

श्री रामप्रसाद लड्‌ढा : माननीय अध्यक्षजी, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं कुछ दो-तीन बातें निवेदन करना चाहूँगा। यह बात सही है कि राजा-महाराजा की सम्पत्ति अवाप्ति का जो कानून बना उसके तहत यह सरकार में वेस्ट होगई। लेकिन वेस्ट होते ही राजस्थान हाईकोर्ट में कुछ राजा-महाराजाओं ने रिट पिटीशन्स प्रस्तुत की और रिट पिटीशन प्रस्तुत करने पर जोधपुर हाई कोर्ट ने स्टे आर्डर दे दिया और यह कहा कि इसका पजेशन राज्य सरकार नही ले। अलावा उन रिट पिटीशन करने वालों में शायद नहीं था और हो भी तो मैं तहकीकी नहीं कह सकता लेकिन फिर गवर्नमेंट ने राजस्थान हाई कोर्ट के फाइनल निर्णय तक स्थगित रखने के उद्देश्य से आम तौर पर सबके लिए आदेश प्रसारित कर दिया था। इसलिए वेस्ट हो जाने के बावजूद भी इसका पजेशन राजस्व विभाग या राजस्व विभाग के अधिकारियों के पास नहीं आया। यह मैंने कुछ जानकारी, जो कुछ मुझे उपलब्ध हुई है, उसके आधार पर निवेदन की।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, महाराजा साहब ने हाईकोर्ट में रिट पिटीशन नहीं की और मंत्री महोदय ने स्वीकार किया है, एक्ट के अनुसार यह गवर्नमेंट में वेस्ट हो चुकी तो यह निजी सम्पत्ति खत्म हो चुकी है। यह सवाल अलग है कि गवर्नमेंट ने टेक ओवर करने के लिए अलग से प्रोसीजर का आर्डर इशू नहीं किया। किंतु यह कहना गलत है कि यह निजी सम्पत्ति रह गई है। अध्यक्ष महोदय, यह होने के बाद भी उन मोरियों को न खोलना कहां तक उचित है ? और खास तौर से इस एमर्जेन्सी के मौके पर। इसका ताल्लुक अनाज की पैदावार से है, इसके अन्दर बीस हजार मन गेहूं पैदा हो सकता है और किसानों ने इस बात के लिए कहा है कि वह पचास परसेन्ट लेवी या जिस रेट पर भी गवर्नमेंट चाहे, उस रेट पर लेवी वह गवर्नमेंट को दे सकते हैं। यह ऑफर उन्होंने अपने मेमोरेन्डम में की है। इसके बावजूद भी गवर्नमेंट सोई हुई है और वह कोई एक्शन नहीं लेती है-इसका क्या कारण है ?

श्री रामप्रसाद लड्‌ढा : इसमें जिस मेमोरेन्डम या जिस लेटर का नाम

(रामप्रसाद लड्ढा)

माननीय सदस्य हवाला देते हैं वह मुख्य मंत्री को मिला था और उन्होंने उस लेटर के ऊपर कुछ कमेण्ट्स वगैरह की बात की थी और उसके बाद वह लेटर हमारे पास आ गया है। हम जी. ए. डी. से इस सम्बन्ध में, कुछ अधिकारियों के सम्बन्ध में जानकारी कर रहे हैं और दूसरी जानकारी जो राजस्व विभाग से सम्बन्धित है उनसे हम एक्चुअल पोजीशन मालूम कर रहे हैं। यह तो मुझे पुरानी जानकारी थी इसलिए मैंने निवेदन किया। लेकिन आज की वस्तुस्थिति को जानने के लिए जी. ए. डी. और इरिगेशन विभाग के अन्दर कुछ कार्यवाही चल रही है और फिर सारी कानूनी परिस्थितियों को देखते हुए जो भी उचित कार्यवाही होगी, वह हम करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, एक फसल तो पिछली रबी की निकल गई जिसके लिए पानी के लिए १५ दिसम्बर, १९६५ को मेमोरेन्डम दिया गया। उस वक्त पानी की सख्त जरूरत थी। वह फसल निकल गई। अब फिर पानी भर गया है, अब इस फसल का सवाल है। यहां पर करीब ढाई हजार किसान आये थे और उन्होंने मेमोरेन्डम पेश किया था। उस वक्त यह आश्वासन भी दिया था कि फौरन कदम उठायेंगे। यह एक इस प्रकार का प्रश्न है जिसका देश भर की इकॉनोमी पर असर पड़ता है और लीगल पोजीशन भी गवर्नमेंट के हक में है, और यह महाराजा की निजी सम्पत्ति भी नहीं रही है तो फिर आप इमीजियेटली कोई एक्शन क्यों नहीं लेते हैं? इतना ही नहीं इसमें प्राइवेट लोगों की, किसानों की जमीन भी गर्क है। महाराजा की जमीन तो इसमें केवल ६० बीघा है, किन्तु किसानों की ६०० बीघा जमीन है। इसके बाद भी आप कोई एक्शन नहीं लेते हैं। I want to know कि क्या आप कोई आश्वासन देंगे कि स्पेसिफाईड पीरियड के अन्दर आदेश देकर मोरियां खुलवा देंगे?

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई विभाग के............

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर) : मैं जानना चाहता हूं कि मोरियां खोलने में क्या आपत्ति है? आप मोरियां क्यों नहीं खोलते?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने निवेदन किया कि हमें आपत्ति नहीं है। हमें तो बहुत खुशी होगी जब मोरियां खोली जाकर किसानों की जमीन पर पानी मिलेगा। और मैं विरोधी पक्ष के माननीय नेता से निवेदन करना चाहूंगा कि उनके खुद के तालाब के बारे में ऐसा ही प्रश्न था। मुझे खुशी है कि विरोधी दल के माननीय नेता ने मुझे स्वीकृति दे दी है कि उसके अन्दर नहरें खुदवा कर हम उसके पानी को इस्तेमाल में लें। मुझे इस की खुशी है कि जिस नीति को माननीय नेता ने अपनाया है वह चाहते हैं कि दूसरे राजा लोग भी इस नीति को अपनायें जिससे जनता की समस्या हल हो सके। मैं आपके सजेशन का स्वागत करता हूं। जिस तरह आपसे बातचीत की है उसी तरह करके इस सम्बन्ध में भी कोई हल निकले उसका मैं प्रयत्न करूंगा।

श्री रघुनाथसिंह (सांचोर) : काम तो आप करेंगे। खाली खुश होने से क्या

Page No. 5

(श्री रघुनाथ बिश्नोई)
मतलब सिद्ध होगा, एक्शन तो गवर्नमेंट ही लेगी।

श्री दलपतसिंह (आबू) : प्रश्न इस वक्त यह है कि इस बांध की मोरियां आप कब तक खुलवा देंगे ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरे ख्याल से अगर आप इस बारे में ज्यादा न पूछें और मुझ पर ही यह छोड़ दें कि किस तरह से इस में जल्दी से जल्दी किया जा सकता है तो अच्छा रहेगा।

श्री रामकिशन (बैर) : हमने तो सरकार पर ही इतने समय से छोड़ रखा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है जो उत्पादन से सम्बन्ध रखता है। इसलिए मैं उप मंत्रीजी (मंत्रीजी) का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि आप इस बारे में उनसे बातचीत क्यों नहीं करते।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने जिस प्रकार आपसे बात चीत की है उसी प्रकार उनसे भी बात करूंगा।

श्री रामकिशन : अभी मंत्रीजी ने फरमाया कि जहां पर पानी भरा रहता है वहां पर लगान १।४ लेते हैं और जहां पर पानी नहीं रहता है वहां पर पूरा लगान लेते हैं, तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि जहां पर पानी भरा रहता है वहां पर भी कुछ पैदा होता है जिसके लिए आप १।४ लगान लेते हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह दूसरा प्रश्न आपने उठा दिया।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर आपने रिट पिटीशन की वजह से ऐसा किया है तो क्या गवर्नमेंट ने लॉ डिपार्टमेंट से राय ली कि जब इससे पहले उनकी निजी सम्पत्ति थी तो भी पब्लिक न्युसेन्स के बेसिस पर और उसको रिमूव करने के लिए क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अनुसार नालियें खोल सकते थे। इसलिए मैं यह कहूंगा कि मंत्री महोदय इस बात को यह कह कर इस प्रकार नहीं टाल सकते कि यह बात हम पर छोड़ दी जाये। हमने आप पर बहुत छोड़ा है। हमने इसको आप पर एक साल हो गया है, छोड़ा है। आप कृपा करके समय बता दीजिये कि इतने समय में यह हो जायगा।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : It is a matter of discussion and agreement यह मैं कैसे कह सकता हूं कि मैं उनको कल ही खुलवा दूंगा। मेरे कहने में तालाब आवे तब तो मैं कल ही खुलवा सकता हूं।

श्री रामकिशन : पहले भी महाराजा का जिस समय राज्य था उस समय भी अक्टूबर में खोलते थे। जहां राजा का राइट था वहां पर भी खुलती थी। आज किसानों को तकलीफ होती है इसलिए आपको इसमें फौरन कार्यवाही करनी चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : मुझे अभी इनता मिली है कि एक जानकारी आपके डिपार्टमेंट में मौजूद है उससे आपने इन्कार किया है। आपके पास है या नहीं। १९१६-१७ में यह मोरियें खुली हैं जटियाना, धोलीगूजा, नवला राय तीस, वल्ला गोडा, तिलेडा आदि गांवों में सिंचाई हुई है। जटियाना में ४७१ बीघा, धोलीगूजा ६६ बीघा, तिलेडा में ८४० बीघा, इस प्रकार कुल १३७० बीघा

Page No. 6

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
में सिचाई हुई है सन् १९१६-१७ में। यहां पर प्रश्न में २६-२७ छपा है वह १६-१७ है यह २६-२७ गलत छप गया है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : सिर्फ आपके १६-१७ कहने से काम नहीं चलता है। आपके पास कोई आधार हो तो आप बता दीजिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपको जल्दी करना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन करूंगा कि आपको इसमें सन् १९१६-१७ की बहस में जाने की जरूरत नहीं है। मामला बहुत महत्वपूर्ण है और हम सब इसको स्वीकार करते हैं और हम यह अपेक्षा करते है कि आप जल्दी ही इस पर निर्णय ले लेंगे।

नेक्स्ट।

बांसवाड़ा जिले में अकाल

२. श्री रामकिशन(वैर):- क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:--

(१) क्या यह सही है कि बांसवाड़ा जिले में ३ मृत्युएं अकाल की परिस्थिति के कारण हुई? यदि हां, तो कब कब व कहां कहां हुई?

(२) क्या इनके अलावा जो मृत्युएं बांसवाड़ा जिले में अन्य स्थानों पर हुई उसकी पूर्ण सूचना राज्य सरकार के पास है? अगर हां, तो अकाल के कारण कुल कितनी मृत्युएं बांसवाड़ा जिले में हुई और उनमें आदिवासी कितने थे?

(३) राज्य सरकार ने अकाल पर काबू पाने हेतु क्या कदम उठाये हैं? कृपया पूरी तफसील देने की कृपा करें।

खाद्य मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :
(१) जी नहीं।

(२) अकाल के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई।

(३) अकाल पर काबू पाने के लिये निम्न कदम उठाये हैं जिन पर निम्न रकम खर्च हुई:--

६५,००,०००)-सड़कें ४१ पर जुलाई, ६६ तक।
३,९६,७०६)-तालाब ३१ पर जुलाई, ६६ तक।
१६,३८०)-एनीकट ३ पर जुलाई, ६६ तक।
१,१०,१६०)-वाटर सप्लाई व्यवस्था पर जुलाई, ६६ तक।
८९,४४०)-कुएं १७६ ग्रामीण क्षेत्र में
२३,७२०)-कुएं अरबन क्षेत्र में।

१,१०,६०
७८,२८८) ग्रेटीट्यूस रिलीफ
१४,४४८) नकद रकम २,३४८ व्यक्तियों को।
३७,३०) दुग्ध चूर्ण वितरण व्यवस्था पर खर्च।
५६, ००) गेहूं १०७ टन।
१०,८००) नस्ल सुधार सांडों को अनुदान
१०,८००) लाभान्वित सांड १२०
८,८०,०००) तकावी
६,००,०००) कुएं की तकावी
२,००,०००) बैल, बीज, फोडर, तकावी

८,००,०००

Page No. 7

(श्री नाथूराम मिर्धा)

१,२९७) राजस्थान गो सेवा संघ, जयपुर द्वारा पशुओं को चारा आदि की सहायता के भुगतान के लिए—लाभान्वित पशु २५,१८७ ।

इसके अतिरिक्त पशुओं के लिए २,९९३ क्विन्टल स्थानीय घास एवं ५९९ क्विन्टल घास वालसार (गुजरात प्रान्त) से मंगाई जाकर १२) प्रति क्विंटल के हिसाब से सस्ते भाव पर बेची गई ।

इस तरह से पीने के पानी की, जानवरों को खिलाने के लिये घास आदि की तकावी के रूप में फोडर आदि दिला कर अकाल से राहत दिलाई गई है ।

श्री रामकिशन : यह आपने कैसे जानकारी प्राप्त की कि उनकी मृत्यु अकाल में नहीं हुई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : हमारे तो राज्य के ऑफिसर्स हैं वे ही सोर्सेज हैं भाई ।

श्री रामकिशन : आप यह कैसे इन्कार करते हैं कि श्री गजीया पुत्र श्री बाला भील ग्राम पाटा, कुशलगढ (२) श्री बागजी भील पुत्र दरोबड़िया, कुशलगढ़, (३) हकरा पुत्र रथा भील तहसील कुशलगढ़, इनकी मृत्यु अकाल की वजह से नहीं हुई ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अकाल की वजह से मृत्यु नहीं हुई है । जब आपका प्रश्न मेरे पास आया तो मैंने आपको उसी समय खत भी लिखा कि कौन कौन से गांवों के किन किन लोगों की मृत्यु हुई है उसकी सूचना दें, उनके नाम आप बतावें । मगर आपने कोई उत्तर नहीं दिया । अब आज आप नाम यहां लाते हैं वे मगर आप पहले बता देते तो सारी जानकारी करके आपको स्पेसिफिक बता देता ।

श्री रामकिशन : यह आपकी चिट्ठी मिली उसके बाद इतना समय नहीं था कि मैं आपको जवाब देता । आपकी चिट्ठी तारीख १२ को मिली थी और हमारा अधिवेशन विधान सभा का १५ तारीख को हो रहा है मगर जिस आधार पर मैंने आपको लिखा था पत्र उसको आपने नहीं पढ़ा ।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरे पास जो नाम आये वे श्री रावजी, सरपंच, ग्राम पंचायत चोरड़ी द्वारा राहत कार्य रिलीफ रोड, शेरगढ़ वाया चोरडी पर एक स्त्री मजदूरन की भूख से मृत्यु होने की सूचना प्राप्त होने पर जांच करवाई गई तो शिकायत गलत पाई गई । श्रीमती सोमी पत्नी केलजी निवासी मडकोला की मृत्यु की सूचना मिली । मगर जांच कराई तो मालूम हुआ कि वह अकाल की वजह से नहीं मरी है । यह शायद आपकी पार्टी के लोगों ने शिकायत की थी । अब आपने ये नाम बताये हैं । मैं यह कहूंगा वे अपनी मौत से मरे हैं अकाल से नहीं मरे हैं ।

श्री रामकिशन : आपकी जानकारी का आधार क्या है? मेरी जानकारी है कि उनको अकाल के होने से और मजदूरी नहीं मिलने से खाने को नहीं मिला और चार दिन तक खाने को नहीं मिला इस कारण से उनकी मृत्यु हो गई । उनके पेट में पानी मिला । इसलिये केवल यह कहना कि मेरी पार्टी के लोगों ने आपके पास शिकायत की और आपने कलेक्टर को लिखा और कलेक्टर

(श्री रामकिशन)

ने लिख दिया कि कोई भूख से नहीं मरे।

श्री नाथूराम मिर्धा: जो आपने अभी नाम बताये है वे अगर आप पहले बता देते तो ठीक रहता। अब भी बता दीजिये। हम और जांच करा लेंगे। अन्यथा होता यह है कि आप कहते हैं कि अकाल से मरे और मैं कहता हूं कि अकाल से नहीं मरे, मौत से मरे। अगर आपकी तरफ से नाम आ जाते जैसा कि मैंने आपको पत्र लिखा था कि आप उनके नाम भेजें तो जांच हो जाती। मैंने तो आपको उसी दिन जिस दिन आपका यह प्रश्न मेरे पास पहुंचा चिट्ठी लिख दी थी।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): आपने जो जवाब दिया है कि हमने इस बात की जांच की और वे बीमारी से मरे, आपके कहने का मतलब यह है। जांच किसने की है? कलेक्टर ने की है या और किसी ने की है।

श्री नाथूराम मिर्धा: कलेक्टर ने की है।

श्री मुरलीधर व्यास: मन्त्री महोदय ने कहा कि जांच से यह पाया गया कि उनकी मृत्यु बीमारी के कारण हुई तो क्या आपने यह जांच करवाई है कि उनको क्या बीमारी थी, किस बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई?

श्री नाथूराम मिर्धा: बीमारी तो यही ताव—बुखार था।

श्री मुरलीधर व्यास: लोग अकाल के कारण भूखों मरते मर जाते हैं और आपके अधिकारी गलत रिपोर्ट कर देते हैं कि उनकी मृत्यु भूख से नहीं हुई, बीमारी से मृत्यु हुई। टोकरावास के बारे में भी आपके अधिकारियों ने गलत रिपोर्ट आपको दी थी कि भूख से लोगों की वहां मृत्यु नहीं हुई और बाद में मैंने वहां जाकर जांच की। जांच से यह सही निकला कि उन लोगों की मृत्यु भूख के कारण हुई थी। आपने एस० डी० ओ० से एन्क्वायरी कराई और उसने गलत रिपोर्ट आपको दे दी कि भूख से नहीं मरे। इसलिए मैंने पूछा है कि आपने जांच करवाई क्या? इस जांच में यह भी मालूम किया गया कि उनकी मृत्यु बीमारी से होना पाया जाता है तो किस बीमारी से मृत्यु हुई। यह तथ्य जब तक सदन के सामने सरकार नहीं देती है तब साफ यही माना जायगा कि सरकार इस महंगाई के जमाने में जो लोग भूख से मरते हैं, उनको छुपाती है।

श्री राधाकृष्ण बोहरा (टोंक): अकाल से कई मरे हैं और सरकार के अधिकारी यह रिपोर्ट बनाकर दे देते हैं कि भूख से कोई नहीं मरा, बीमारी से मर गया। पिछली बार ग्राम टोकरावास में भूख के कारण हुई मृत्यु के बारे में यहां सदन में उत्तर दिया गया था कि बीमारी से मरे। वे लोग अकाल के कारण भूख से मरे थे। पर एस० डी० एम० ने दबा दबा कर लोगों के झूठे बयान लिये और उस गलत रिपोर्ट के आधार पर आपने यहां बयान दे दिया कि अकाल से नहीं मरे। बाद में फिर वहां जाकर हम लोगों ने पूछा तो यह पाया गया कि उन लोगों की मृत्यु अकाल के कारण भूख से हुई, उनके घरों में खाने को दाना नहीं था। तो मेरा

Page No. 9

(श्री राधाकृष्ण गोयल)

निवेदन यह है कि सरकार की अगर नीति यह है कि जिन लोगों की मृत्यु अकाल के कारण भूख से हो उनके बारे में भी यहां यह उत्तर दे दिया जाय कि बीमारी के कारण उनकी मृत्यु हुई, अकाल से नहीं मरे तो इस प्रकार के प्रश्न पूछना और इस प्रकार के उत्तर देना निरर्थक है, व्यर्थ है। इसलिये इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि ऐसे मामलों की जुडिशियल जांच करवाली जाय तो पता चलेगा कि इन मृत्युओं के सम्बन्ध में सरकारी अधिकारियों द्वारा गलत रिपोर्ट दी गई है। मंत्री महोदय इसे स्वीकार करने के लिये तैयार हों तो दोनों जगह जुडिशियल एन्क्वायरी करवा लें, चाहे रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर को अपोइन्ट कर दें, इसमें हमें आपत्ति नहीं होगी।

(कुछ माननीय सदस्यों के बोलने पर)

श्री अध्यक्ष : श्री हीराभाई।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय जवाब में यह कहते हैं कि ये लोग बीमारी से मर गये, अकाल से, भूख से नहीं मरे, ठीक है। मैं यह जानना चाहता हूं कि चौबीस घंटा के अन्दर अन्दर तामसिरा ग्राम में ये तीन आदमी मर गये, दो ग्राम गांगरवा में मरे, घाटा ग्राम में मरे, तो इनके बारे में जो आपने यह कहा है कि वे लोग बीमारी से मर गये, तो यह आपने क्या किसी डाक्टरी रिपोर्ट के आधार पर कहा है कि बीमारी से मर गये? डाक्टर ने कोई और रिपोर्ट दी, उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं?

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने निवेदन किया, इतने लाख रुपयों का काम छोटे से जिले में इतने महीनों से करवाया, तालाबों के काम चल रहे हैं·······

श्री हीराभाई : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय टाल रहे हैं····

(कुछ माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

मैंने साफ पूछा है कि क्या आपका यह जवाब डाक्टरी रिपोर्ट के आधार पर है····

श्री मुरलीधर व्यास : जो मरे हैं····

(कुछ माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री नाथूराम मिर्धा : इतने काम वहां चल रहे हैं, हजारों आदमी वहां रोज काम करते थे आज भी कर रहे हैं, बराबर काम दिया गया है।········

श्री हीराभाई : अकाल से मरे या नहीं, यह जवाब दीजिये, आपके पास क्या आधार है कि बीमारी से मरे?····

श्री नाथूराम मिर्धा : जो लोग बीमारी से मर गये उनके लिये यह कहना कि अकाल की वजह से मर गये, यह चश्मा आप लगा सकते हैं, कोई भी मरने वाले आदमी के बारे में कह देंगे कि अकाल से मर गया।

श्री रामकिशन : हमने कोई चश्मा नहीं लगा रखा है।

श्री मुरलीधर व्यास : मंत्री महोदय जुबान ठीक रखें····

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरी जबान ठीक है आप अपनी ठीक रखिये। आपने चश्मा लगा रखा है और कोई भी मरता है तो उसके लिये कह देते हैं कि अकाल से मर गया।

Page No. 10

(कुछ माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य मंत्री महोदय का उत्तर सुन लें।

श्री मुरलीधर व्यास : इनको हिदायत कीजिये कि इन मामलों में जुडिशियल जांच करवाई जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण कर लें, आधा सेंटेन्स तो कहने नहीं दिया और......

श्री मुरलीधर व्यास : कहते हैं कि चश्मा वैसा लगा रखा है।

श्री अध्यक्ष : चश्मे का मतलब क्या है, यह उन्हें कहने दीजिये, पहले ही नाराज हो गये।

श्री नाथूराम मिर्धा: तो अध्यक्ष महोदय,"

श्री अध्यक्ष : आप चश्मा लगाकर बोलिये।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं निवेदन कर रहा था कि वहां के सरपंच की रिपोर्ट पेश हुई है, रावजी सरपंच टोरड़ो, शिकायत की गई थी कि भूख से कुछ स्त्रियां, मजदूर स्त्रियां मर गईं, सरपंच की रिपोर्ट पेश हुई है कि सोमी पत्नी बेलजी, रातापाल, इसके सम्बन्ध में जनता में केवल बढ़ती हुई अफवाह से यह खबर फैल गई कि वह मर गई। वह मरी नहीं, अभी जिन्दा है, कमजोरी से बेहोश हो गई थी।

दूसरी रिपोर्ट हुई थी श्रीमती सोनी, गांव मकोड़ी इसकी मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई, इसकी मृत्यु बीमारी के कारण होना पाया गया, यह ८ दिन बीमार रही। तो दो आदमियों की रिपोर्ट सरपंचजी ने दी, जिसकी जांच कराने पर यह पाया गया कि एक की मृत्यु बीमारी के कारण हुई, वह ८ दिन बीमार रही और दूसरी जिसका मरना बताया जाता है, वह गरमी से कमजोरी की वजह से बेहोश हो गई, उसका इलाज करवाया गया और वह ठीक हो गई, वह अभी जिन्दा है।

अब जो श्रीमानजी ने सवाल पूछा तो इसके सम्बन्ध में मैंने चिट्ठी लिख कर नाम पूछ लिये कि नाम बता दें, उसका उत्तर तो आपने दिया नहीं। पर आज अकाल और भूख के नाम से मरने का कहना है तो कहें, उसका इलाज मेरे पास नहीं है।

श्री रामकिशन : मन्त्रीजी जानबूझ कर सदन को गुमराह कर रहे हैं। इन्होंने प्रश्न के बारे में नहीं लिखा, मैंने एक एडजोर्नमेंट मोशन दिया उसके बारे में लिखा है। ये दो मामले अलग अलग हैं, मन्त्री महोदय दोनों-को मिला कर गुमराह कर रहे हैं। जो नाम दिये हैं उनसे ही पता चलेगा कि ये दोनों अलग अलग मामले हैं। मन्त्री महोदय इसको हल्के ढंग से न लें।

श्री नाथूराम मिर्धा : नाम बता दें तो तो मैं जांच करा लूंगा, मेरे को इसकी जानकारी नहीं है, पहले नाम बता दीजिये, उनकी जांच करा लूंगा, मुझे इसमें और कौनसा पड़ता है।

श्री मुरलीधर व्यास : यह कैसे कहा कि कोई भूख से नहीं मरा।

श्री नाथूराम मिर्धा : मेरी जानकारी है कि अकाल से कोई नहीं मरा, अब वह मर्द

(श्री नाथूराम मिर्धा)
बात उठाई है, नाम बता दीजिये, मैं इसकी जांच करा लूंगा।

श्री राधाकृष्ण गोयल : एक सरपंच ने रिपोर्ट कर दी कि अकाल से कोई नहीं मरा, बीमारी से मृत्यु हुई है, उसको तो आपने सच मान लिया और ग्राम टोकरावास के सरपंच ने रिपोर्ट की थी कि भूख से वहां लोग मर गये तो उसको आपने सच नहीं माना इसीलिये मेरा सुझाव है कि आप इन मामलों की जुडिशियल एन्क्वायरी करवा लें ताकि कोई न कोई नतीजा निकले कि कहां तक किसकी रिपोर्ट ठीक है। इसमें मन्त्री महोदय को भी आपत्ति नहीं होनी चाहिये, जुडिशियल एन्क्वायरी हो जाने से सही स्थिति सामने आ जायगी और आपके ऑफिसर भी आयन्दा गलत रिपोर्ट नहीं देंगे। जुडिशियल जांच करवायेंगे तो सही बात जानने में आपको मदद ही मिलेगी।

श्री रामकिशन : मैं मन्त्रीजी को नाम दूंगा पर यह बतायें कि अकाल की मृत्यु और बीमार की मृत्यु का क्या फर्क है, धीरे धीरे आदमी की खुराक कम होती है और कमजोर होकर धीरे धीरे मरता है। हिन्दुस्तान की सरकार कहीं मानने को तैयार नहीं होती कि किसी की अकाल से मृत्यु हुई है। तो पहले मन्त्रीजी बता दें कि सरकार का दृष्टिकोण क्या है इन दोनों मृत्युओं के सम्बन्ध में?

श्री नाथूराम मिर्धा : आपने बहुत बुनियादी मुद्दा रखा है। नीति क्या है। कोई आदमी गरीब है, उसे खाने को नहीं मिलता है, धीरे-धीरे कमजोर होता जाता है, तो इस सम्बन्ध में राज्य की कोई सीमा है कि यह भूख से मरा या बीमारी से मरा माननीय अध्यक्ष महोदय, इस देश में जहां तक खाने का सवाल है कई लोग ऐसे हैं जिनको शुरू से जैसा खाना मिलना चाहिये वैसा खाना आज नहीं मिलता है। जैसा उनका बढ़िया स्वास्थ्य होना चाहिए वैसा इस देश के कई लोगों का नहीं है, हम उसको और अच्छा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका स्तर ऊंचा उठे और अच्छा खाना मिले, इस बात की कोशिश कर रहे हैं। कई आदमी कमजोर होते हैं और बीमारियों का एटेक ज्यादा होता है और कई सकम्ब भी कर जाते हैं तो उनको अकाल और भूख से जोड़ना गलत होगा। मैं नहीं कहता इस देश के सब लोगों को खूब खाने को मिलता है, न मैं ऐसा कहने का दावा करता हूं लेकिन जो कुछ हालात देखे की है और जहां तक अकाल की मुसीबत से लोगों को बचाने का प्रश्न है, हम उनको काम-काज देने की कोशिश कर रहे हैं। जो काम-काज नहीं कर सकते २३०० लोग जो मैंने बताया, उनको घर बैठे सहायता दी गई, है क्योंकि उनमें काम करने की शक्ति नहीं रह गई तो सरकार की तरफ से सब प्रकार से व्यवस्था कर दी है। तो आप मुझे उनके नाम बताएं जिनके लिए आप कह रहे हैं तो मैं उनकी जांच करवाऊंगा कि कितने दिन बीमार रहे, कितने एरिया में काम चल रहा था और उन मृत्युओं को सचमुच भूख से मरना कहा जायगा या नहीं।

श्री रामकिशन : आपने जो बात बताई यह गलत है, सरकार कुछ चेष्टा नहीं कर रही है। हम तो एक मापदंड जानना चाहते हैं। आपने तो एक जनरल बात कही कि कमजोरी है तो वे मरेंगे। लेकिन आप किन

Page No. 12

(श्री रामकिशन)

मापदंड से, किस एजेंसी से जांच करवाएंगे ? सरकार की नीति स्पष्ट हो जानी चाहिए कि कलेक्टर की रिपोर्ट प्रमाणित मानेंगे या एस० डी० ओ० की या ग्राम पंचायत की बात प्रमाणित मानेंगे ?

दूसरा आपने जनरल प्रिन्सिपल बताया कमजोरी का वह तो सारे देश पर लागू होता है। लेकिन यहां तो खास तौर से बांसवाड़ा के आदिवासी क्षेत्र के लोग गरीबी से पीड़ित है। आपने लोगों की गिनती बताई है, हमें आप उनकी मृत्यु का कारण तत्काल बताएं कि कौन-कौन सी चीजों को गिनेंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अब कुछ नहीं कहूंगा। मैं कलेक्टर से जांच करवाऊंगा।

श्री रामकिशन : कोई सिद्धांत नहीं बताएंगे ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप पहले ही प्रिज्यूम क्यों करते हैं ?

श्री रामकिशन : जो कुछ कर रहे हैं........

(शोरगुल)

श्री अध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज।

श्री रामकिशन : सरकार लापरवाही से चल रही है।

श्री अध्यक्ष : (श्री रामकिशन से) आप बगैर इजाजत न बोलें।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (बासपुर) : माननीय श्री रामकिशन जी ने जो प्रश्न पूछा है उस संबंध में मैं स्पष्टीकरण के रूप में दो शब्द कहना चाहूंगा। मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिए हैं उन उत्तरों के साथ एक हद तक मेरी सहानुभूति है। बांसवाड़ा जिले में जो राहत कार्य किया गया है, मैं समझता हूं कि वह अपर्याप्त तो है ही क्योंकि कुदरत के विपरीत सरकार कुछ कदम उठाए मेरे ख्याल से कुदरत का मुकाबला करना मुश्किल है। लेकिन अपर्याप्त होते हुए भी प्रशंसनीय एक हद तक है, यह भी मैं अनुभव करता हूं। मैं मंत्री महोदय से सिर्फ यही जानना चाहता हूं कि आप एक आदमी को उजरत १-२-० दें और औरत को १४ आने दें, उस वेज की धनराशि की क्रय शक्ति आज क्या है, वह भी आप सोचें और जो अनाज मिल रहा है सरकारी दुकानों पर उस संबंध में भी आप विचार करें कि एक व्यक्ति यदि दो-दो या तीन-तीन महीने तक २४ घंटे में एक ही दफा खा सकता है और फिर धीरे-धीरे उसकी शक्ति इस हद तक क्षीण हो जाती है कि बीमार होकर मर जाय तो आप उसको किस श्रेणी में लेंगे, आया कि भुखमरी से मरा या बीमारी से मरा यह सरकार की सुविधा के अनुसार है। आप सौ तरह के जवाब दे सकते हैं लेकिन आपको गंभीरतापूर्वक यह विचार करना चाहिए कि आज जो वेज की दर है और उस वेज की क्रय शक्ति मौजूदा खाद्यान्नों के भाव को ध्यान में रखते हुए है. उससे आप संतुलन करें तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा ? हजारों आदमी ऐसे हैं बांसवाड़ा जिले में जिनको २४ घंटे में एक दफा पेट भर अन्न नहीं मिलता है। मैं प्रशंसा करता हूं कि इतने साहस करके काम किया लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। आप इस संबंध में विचार करें और यह महत्वपूर्ण

Page No. 13

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
प्रश्न है। मैं समझता हूं ये लोग भुखमरी से मरे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : अध्यक्ष महोदय, विरोधी पक्ष के नेता ने कहा कि बांसवाड़ा के अन्दर या दूसरी जगह अकाल की जो वेज है वह इतनी कम है कि इससे इस मंहगाई के जमाने में एक टाइम पेट भरता है और उसकी आप प्रशंसा करते हैं। मैं नम्रता से निवेदन करूं कि अकाल के जितने वर्क्स थे उन पर हमने इम्पोर्टेड व्हीट और माइलो हर मजदूर को काफी मात्रा में १०–१२ किलो देते थे और उनकी वेज के बहुत से हिस्से का पेमेन्ट काइन्ड के रूप में करते थे। इम्पोर्टेड व्हीट का एक किलो आदमी ५६ पैसे में खरीद सकता है। उसका मतलब यह हुआ कि अगर आदमी वेज से गेहूं खरीदता है तो उसको दो किलो अनाज और औरत को डेढ किलो १४ आने में मिल सकता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : और बच्चे हों तो ?

श्री नाथूराम मिर्धा : आप पहले मेरी तो सुन लीजिए।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : माइलो फ्री मिलता है, वह आप अकालग्रस्त लोगों को बेचते हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा : एक मजदूर रोजाना एक किलो से ज्यादा अनाज नहीं खा सकता। तो इस तरह से अपने वेज का आधा हिस्सा अनाज में और आधे हिस्से में और चीजें, जैसे तेल, सब्जी, इत्यादि खरीद कर खा सकता है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सब चीजों का दर्शन दुर्लभ है।

श्री नाथूराम मिर्धा : तो जितना एक मजदूर को एक दिन में खाना चाहिए उतना खाना उसको आधी वेज के अन्दर मिल सकता है। इसके अलावा जो उसके दूसरे घर के लोग हैं उनको औरत और १२–१३ साल के बच्चे, हमने सबको काम पर लगाया है और इसलिए एक परिवार का एक ही आदमी काम करे या दो आदमी काम करें, हमने कोई सीमा नहीं रखी बल्कि एक परिवार के जितने भी सदस्य १२ वर्ष के ऊपर हैं, सबको काम पर लगाया; तो आपकी दलील गलत है।

जहां तक अकाल के कामों का प्रश्न है, मिलने वाली वेज का प्रश्न है जहां तक लोगों को अनाज मिलने का सवाल है, राजस्थान के एक-एक गांव के लोग आभारी हैं कि मुसीबत के समय भी अनाज की सप्लाई मिलती रही...........

(शोरगुल)

एक-एक के दिल में सरकार के काम के प्रति कृतज्ञता है, प्रशंसा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इस बात पर आप फूले नहीं समाते। मेरे ख्याल से यह प्रशंसा की बात नहीं है, यह आपका फर्ज है, अपर्याप्त रूप से आधा खाना··

श्री नाथूराम मिर्धा : आपका यह फर्ज नहीं है कि सरकार के किए हुए काम पर पानी फेरें।

(शोरगुल)

Page No. 14

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आगे प्रश्न बाकी हैं।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल'।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : राजस्थान में कितने लोग भुखमरी से सफर कर रहे हैं, इसकी इन्क्वायरी कराएं।

श्री अध्यक्ष: श्री भैरवलाल 'काला-बादल'।

श्री हीराभाई: मंत्री महोदय ने व्यवस्था के बारे में जो जवाब दिया है, उसमें एक प्रश्न रह गया है।

मैं यह जानना चाहता हूं....

श्री अध्यक्ष: ये प्रश्न ऐसे कभी समाप्त नहीं होंगे।

श्री हीराभाई: अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि रिलीफ कानून के अन्तर्गत कितने दिनों में पेमेंट करने का प्रावधान है और इस हिसाब से मजदूरों को कब पेमेंट हुआ, यह देखा जाय। जो मज-दूर मरे हैं वे भूख से मरे हैं और मजदूरी करके मरे हैं, उनको पेमेंट नहीं हुआ है।

श्री नाथूराम मिर्धा: आपको सुन लिया, अब आप सुन लीजिये।

श्री हीराभाई: रास्ते में मर गये, आप कैसी बात करते हैं?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य! आपने कह लिया।

श्री हीराभाई: आपके आदमियों ने मजदूरों को पेमेंट नहीं किया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य!

(घंटी)

श्री हीराभाई: (लगातार बोलते रहे) मंत्री महोदय मौजूद थे....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य!

श्री हीराभाई : मंत्री महोदय कहते हैं कि बीमारी से मर गये, जब कि वे भूख से मरे हैं, उनको पेमेंट भी नहीं हुआ है। डिप्टी मिनिस्टर के सामने बताया....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपसे निवेदन करूंगा।

श्री हीराभाई : आप यह कह रहे हैं कि बीमारी से मर गये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य! यह प्रश्नोत्तरकाल है, ३० प्रश्न आज रखे गये हैं। यदि एक ही प्रश्न के लिये कि १५-२० मिनिट ले लिये जायें तो माननीय सदस्यों को एतराज होता है कि उनके प्रश्न रह जाते हैं। श्री 'कालाबादल'।

श्री मुरलीधर व्यास : उनको मजदूरी का पैसा नहीं मिला इसके लिये, अध्यक्ष महोदय, कोई ज्युडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य! आप कह चुके हैं पहले। इसको दोहराने से कोई मतलब नहीं है।

Page No. 15

श्री मुरलीधर व्यास : फेक्ट्स अभी रखे हैं।

श्री अध्यक्ष : श्री 'कालाबादल'।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : प्रश्न संख्या १।

उपनिवेश मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा):

(१) जी हां, मामला चल रहा है।

(२) आबावास के लिये भूमि छत्रपुरा तालाब के पास जमीन देने का मामला विचाराधीन है।

श्री हीराभाई : उसके बारे में आप कहें.......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! आप निवेदन कर चुके हैं, आप अपना स्थान ग्रहण करलें। मैं खड़ा हूं और आप बोलते चले जा रहे हैं। आपकी अर्ज सुनली, अब मेरी अर्ज सुन लीजिये। इस प्रकार के प्रश्नों पर विवेचन और वाद-विवाद के लिये नियमों में प्रावधान है। आप उनके अन्तर्गत प्रश्न उठा सकते हैं, यह तो प्रश्नोत्तर काल है और इसमें यदि इस प्रकार एक प्रश्न के लिये लम्बी बहस चलती रहे तो अन्य प्रश्न रह जाते हैं और माननीय सदस्य अन्य प्रश्नों के लिये बैठे रहते हैं और उनकी शिकायत रहती है कि उनके प्रश्न रह जाते हैं। इसलिये आप नियमों के अन्तर्गत दूसरी बहस उठा लें। प्रश्नोत्तर काल में संयम रखें जिससे ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्रश्नों पर सामने आ सके।

श्री मुरलीधर व्यास : जो फेक्ट्स रखे हैं वे सही हैं तो आगे समय लेने की क्या आवश्यकता है। इसलिये इस विषय की इन्क्वायरी करा ली जाय।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! आखिर दूसरे लोगों का भी ध्यान रखिये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय इस सदन में पिछले सत्र में भी प्रश्न आया था अकाल और भूख से मरने का। उस समय सरकार ने कहा था कि अकाल से और भूख से कोई नहीं मरा है। सरकार ने ऐसा कोई निर्धारित नहीं किया कि जितने व्यक्ति मरे हैं उनमें भूख से कौन मरा है और बीमारी से कौन मरा है। यदि भूखा रहा तो बीमारी से मर सकता है। बंगाल में अकाल पड़ा और लाखों लोग मरे तो कहीं पर भी रिकार्ड पर नहीं है कि भूख से मरे हैं। यद्यपि देश ने और कांग्रेस वालों ने भी कहा कि भूख से मरे हैं। राजस्थान में अनेक बार प्रश्न आते हैं कि जिलों में अकाल पड़ा हुआ है, अनेक जिलों में पीने का पानी नहीं है और खाने को अन्न नहीं है और सरकार इस प्रकार कह कर निकल जाती है कि रिपोर्ट ऐसी है कि बीमारी से मरे हैं और भूख से नहीं मरे हैं। जब कि वास्तविक स्थिति यह है कि शनैः शनैः भोजन न मिलने से बीमार होने से मर जायं उससे सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है। अनेक जिलों में आज ऐसी भयावह स्थिति है कि अनाज नहीं मिलता और यदि मिलता है तो

Page No. 16

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
सड़ा गला मिलता है, उसको खाकर, जो कुछ भी जैसा भी मिलता है और वह भी पूरा नहीं, उसको खाकर भूखे मर कर बीमार हो कर मर रहे हैं। सरकार कहती है कि भूख से नहीं मरे। आखिर सरकार के पास इसका क्या क्राइटेरिया है ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय मन्त्रीजी····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। फिर इसी पर ही बहस कर लें।

श्री रामानन्द अग्रवाल : बहस नहीं कर रहा हूं। मृत्यु के आंकड़े बढ़ाने में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है और गवर्नमेंट को भी बचाने में कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिये। मैं तो आपके थ्रू यह जानना चाहता हूं कि माननीय मन्त्रीजी इस प्रकार की इन्क्वायरी करें, एजेन्सी कायम करें जिससे विरोधी पक्ष को कोई आश्वासन मिल सके वरना तो सदस्य यहां पर असर्ट करें यह भूख से मृत्यु हुई है और मन्त्री महोदय कहें कि ऐसा नहीं हुआ, इससे कोई मामला हल होने वाला नहीं है। इसलिए एक ऐसी एजेन्सी कायम कर लें ताकि यह कन्ट्रोवर्शियल प्रश्न न रहे और राजस्थान की जनता को भी वास्तविक स्थिति मालूम हो सके।

श्री अध्यक्ष : श्री "कालाबादल"।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप इसको आवश्यक नहीं समझते हैं ?

श्री अध्यक्ष : इस सम्बन्ध में आपने कहा कि एजेन्सी कायम कर लें जो सदन में आरोप-प्रत्यारोप लगाये गये हैं उनका निर्णय करें। सदन में एक तरफ से एक बात कही जाती है दूसरी तरफ से दूसरी बात कही जाती है। इस सम्बन्ध में कोई नई एजेन्सी कायम करने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं माननीय सदस्य स्वीकार करते हैं कि इस विषय में कोई आधार नहीं मालूम हो सकता है। यदि जुडिशियल अफसर भी मुकर्रर करेंगे तो वह भी तो कानून के अन्तर्गत ही काम करेगा। इसलिए निश्चित कोई बात आ जाय उसके लिये अपेक्षा करें कि सदन या अध्यक्ष की ओर से कोई एजेन्सी कायम की जाय उसके लिये नियमों में कोई प्रावधान नहीं है। माननीय सदस्य अपनी बात रखते हैं और सरकार अपनी बात रखती है और उसका निराकरण कराने के लिए कोई निर्णय लिया जाय यहां पर यह उचित नहीं होगा। भूख से मरने की बात हो, लाठी चार्ज की बात हो और कोई बात हो वे सब प्रश्न यहां पर जानकारी के लिए उठाये जाते हैं। यदि सरकार की नीतियों से आप सहमत नहीं हैं तो यहां सदन में और बाहर जो प्रजातन्त्रीय तरीके हैं उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। सदन की कार्यवाही का ध्यान रख कर आरोप और प्रत्यारोप का कोई निर्णय कराने की कोशिश करें तो जो प्रक्रिया है उसका ख्याल रखें वरना कोई भी स्थिति नहीं बन सकती है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : एक पटवारी की रिपोर्ट पर यहां पर उत्तर दिया जाता है। सरपंच वगैरा को कोई पूछता ही नहीं और यहां इस प्रकार का वातावरण बनाया जाता है, इस सिस्टम में बदलाव नहीं आ सकते ?

श्री अध्यक्ष : वातावरण बनाया जाता है जैसा माननीय सदस्य ने कहा तो वह

(श्री अध्यक्ष)
सदन है ही इसीलिए। यदि कोई चीज है तो उसके लिए जनतन्त्र में जनता का मानस बनाने की कोशिश करें न कि इस तरह से बनावें।

श्री मोहनलाल सारस्वत (रतनगढ़) : अकाल के कारण लोग मर रहे हैं। गलत जवाब देते हैं मन्त्री महोदय इसका तो कोई इलाज होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आप करना इलाज थोड़े महीनों के बाद में।

श्री 'कालाबादल'

श्री भैरवलाल "कालाबादल" : प्रश्न संख्या ३।

श्री माणिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, कम से कम यह तो आदेश हो कि रिपोर्ट पेश न कर दें तब तक बांसवाड़ा में कोई भूख से मृत्यु नहीं हुई है यह जवाब तो विद्ड्रॉ कर लें। अध्यक्ष महोदय,....

(माननीय सदस्य एवं मन्त्री महोदय साथ साथ बोलते रहे)

नगर विकास योजना कोटा के क्षेत्र में आदिवासी छात्रावास के लिए प्लॉट

३ श्री भैरवलाल "कालाबादल" (अकलेरा–सु०) : क्या उपनिवेशन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि नगर विकास योजना, कोटा, क्षेत्र में आदिवासी छात्रावास भवन बनाने की मांग लम्बे समय से चल रही है ? यदि हां, तो उपरोक्त छात्रावास भवन के लिये प्लॉट दिये जाने में क्यों देरी की जा रही है ?

(२) उपरोक्त प्लॉट प्रार्थना-पत्र के अनुसार किस जगह पर दिया जाना मंडी कमेटी कोटा ने स्वीकार किया है ?

(३) उपरोक्त छात्रावास के प्लॉट के लिये प्रथम प्रार्थना-पत्र किस तारीख को दिया और मंडी कमेटी ने क्या कार्यवाही की है और कब तक प्लॉट मिल जाने की आशा है ?

(४) क्या मंडी कमेटी ने अपनी राय देकर राज्य सरकार की स्वीकृति के लिए फाइल भेज दी है ?

उपनिवेशन मंत्री (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां, मामला चल रहा है।

(२) छात्रावास के लिये छत्रपुरा तलाब के पास जमीन देने का मामला विचाराधीन है।

(३) छात्रावास के लिए प्रथम प्रार्थना-पत्र दिनांक २६ मई, १९६२ को मण्डी कमेटी को पेश किया गया। यह निर्णय लिया गया कि जो मास्टर प्लान बना है, उसमें इस प्रयोजन हेतु भूमि का प्रोविजन रख दिया जावे। मामला सरकार के जांच में है।

श्री माणिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय....

Page No. 18

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य । मैं निवेदन करूंगा कि प्रश्नोत्तर काल में ऐसी बातें न उठायें। माननीय सदस्य शिकायत करते हैं कि उनके प्रश्न बाकी रह जाते हैं। इसलिए और समय में आप इसकी चर्चा उठा सकते हैं। इन प्रकार से सदन का समय लेना मैं उचित नहीं समझता और प्रश्नोत्तर काल में इस प्रकार की बहस न न करें।

श्री मानिकचन्द सुराणा : माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया, माननीय रामकिशनजी ने तीन नाम दिये कि भूख से मरे या नहीं मरे, आप उसकी जांच करालें और आप जांच करायें तब तक आप अपने जवाब को विद्ड्रॉ कर लें कि बांसवाड़ा में कोई भूख से मृत्यु नहीं हुई है।

श्री अध्यक्ष : श्री 'कालाबादल'।

श्री रामप्रसाद लड्ढा ; (४) जी हां, लेकिन कुछ मजीद जानकारी चाही गई है, उसको प्राप्त होने पर उचित कार्यवाही की जायगी।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : यह उत्तर क्या हुआ साहब ?

श्री अध्यक्ष : श्री 'कालाबादल' बतावेंगे कि क्या उत्तर हुआ है।

श्री भैरवलाल 'कालाबादल' : दो-तीन प्रश्नों का उत्तर एक ही में दे दिया। जानकारी किससे मांगी, कब मांगी, कब का प्रार्थना-पत्र दिया हुआ है, यह सब कुछ नहीं बताया गया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इस छात्रावास के लिये प्रशासनिक स्वीकृति तो हो चुकी है, वित्तीय अनुमति प्राप्त होते ही आदेश दे दिया जावेगा। वित्तीय स्वीकृति प्राप्त करते समय वित्त विभाग ने कुछ और स्पष्टीकरण मांगा है जिसके लिए हमने कोटा से जानकारी भेजने के लिये लिखा है। उस स्पष्टीकरण के आते ही और वित्तीय अनुमति प्राप्त होते ही छात्रावास के लिये अनुमति दे दी जावेगी।

प्रश्न संख्या ४

श्री अध्यक्ष : श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

श्री जुझारसिंह।

घास का वितरण

५. श्री जुझारसिंह (चेचट) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) कोटा फोरेस्ट कन्जरवेटर सर्किल में १९६५ में किन किन स्थानों पर कितना २ घास किस किस दर पर इकट्ठा किया गया था ?

(२) इकट्ठा किया गया स्टॉक कहां कहां किन किन दरों पर बेचा गया व उसमें सरकार को कुल कितना नुकसान या फायदा रहा ?

(३) उपरोक्त स्टॉक में से कितना प्रतिशत घास इसी क्षेत्र के अकालग्रस्त स्थानों पर बांटा गया और कितना बाहर भेजा गया था ?

Page No. 19

(श्री जुझारसिंह)

(४) क्या यह सही है कि मंडाना व दूसरे स्थानों पर बहुतसा घास जुलाई व अगस्त तक भी नहीं बांटा गया है और बरसात के कारण खराब हो गया है ? इन स्थानों पर कितना घास बांटने से रह गया है ? नहीं बांटने के कारण भी बतायें।

वन मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) यह सूचना उपरोक्त सूची में दे दी गई है। कुछ घास १२) रुपया प्रति क्विन्टल की सब्सीडाइज्ड रेट पर बेचा गया है और कुछ घास अकाल सहायता विभाग के निर्देशानुसार माइग्रेशन डिपो पर भेजा गया है और बाकी पोते पड़ा है। अतः फायदा व नुकसान का अनुमान अभी नहीं लगाया जा सकता।

(३) इस सर्किल में कुल १३,८०६.६७ क्विन्टल घास इकट्ठा कराया गया था। उसमें से ७६८७.८६ क्विन्टल घास इसी क्षेत्र में काम आया और २७३६.०२ क्विंटल घास अजमेर जिले में भेजा गया जो क्रमशः ५७ और १६ प्रतिशत होता है।

(४) जी नहीं। मंडाना डिपो का घास सब बांट दिया गया है। घास की मांग न होने के कारण कोटा में १७३६.४१ क्विन्टल (कोलीपुरा पर १३३७.५७ एवं गिरधरपुरा पर ३६८.८४ क्विन्टल), बारां में अटुरू डिपो पर ४६८.३६ क्विंटल और बूंदी में ५३८.२८ क्विंटल घास रखा है। बरसात में कोई घास खराब नहीं हुआ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जुझारसिंह : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रेट ऑफ कलेक्शन में इतना अन्तर क्यों है ? पांच रुपये से लेकर १२ रुपये तक का अन्तर है। एक जगह पर तो एक ही प्लान्टेशन से इकट्ठा करने पर भी उसमें दो-तीन रुपये तक का अन्तर है। इसका क्या कारण है ?

श्री भीखाभाई : विस्तृत जानकारी तो इस समय नहीं दे सकूंगा क्योंकि मुख्य प्रश्न इनका घास के कलेक्शन के बारे में पूछा गया है; रेट के बारे में उतना नहीं था। यह तो मैंने अपने आप बताया है। फिर भी माननीय सदस्य यह प्रिज्यूम करके चल सकते हैं कि अगर अन्तर है भी तो वह ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज, और कटिंग चार्जेज की कमी-बेशी से है। पर स्पेसिफिक प्रश्न का मैं स्पेसिफिक उत्तर दूंगा।

श्री जुझारसिंह : मैंने रेट के बारे में भी पूछा है, न पूछा हो और आपने स्वतः ही बताया हो, ऐसी बात नहीं है। अब आपने ट्रांसपोर्टेशन और कटिंग चार्जेज की कमी-बेशी की बात बताई पर मैं निवेदन करूं कि कवाई प्लान्टेशन है उसमें न डिस्टेन्स का अन्तर है न कटिंग चार्जेज में कमी-बेशी आ सकती है। एक ही के तीन हिस्से हैं, पर उसकी रेट में भी दो रुपये प्रति क्विन्टल का अन्तर है। क्या इसके बारे में भी विभाग ने जानकारी करने की कोशिश की है ?

दूसरा जो मुख्य प्रश्न था वह यह था कि उनको कितना नफा-नुकसान हुआ। पिछले दो सालों से आप बीड़ों को ठेके पर नहीं देकर विभाग मे ही कटवा रहे हैं तो क्या यह आपके लिये जरूरी नहीं है कि आप भी नफे और नुकसान का हिसाब रखें?

Page No. 20

श्री भीखाभाई : गत वर्ष अकाल का वर्ष था। राजस्थान में सर्वत्र अकाल था। हमें कलेक्शन, कटिंग और ट्रान्सपोर्ट चार्जेज फेमिन विभाग से मिलते थे। हम तो उसके एजेन्ट के रूप में घास एकत्रित करते थे और चूंकि अकाल का प्रश्न था इसलिए रेट का विचार और नफे नुकसान का विचार नहीं करते हुए सब्सीडाइज्ड रेट पर हमने घास दी थी। अगर बाजार भाव से नफे-नुकसान का विचार करते हुए देते तो जो घास सब्सीडाइज्ड रेट पर हमने १२) रु० प्रति क्विन्टल से दी वह बाजार में आसानी से बीस रुपया और पचीस रुपया प्रति क्विन्टल तक चली जाती। ऐसी स्थिति में अकाल का विचार करके हमने जो किया उसमें नफे-नुकसान का प्रश्न पैदा नहीं होता। जैसे उस समय भी कोटा में ३५) रु० का, बारां में ३०) रु० का और बूंदी में २५) रु० का भाव था।

श्री जुझारसिंह : घास की कमी और मंहगाई होते हुए भी कोटा का घास बिकने से रह गया। जितना घास आपने कोटा डिविजन में एकत्रित किया उसका २४ प्रतिशत तो अभी मौजूद ही है बावजूद इतनी मंहगाई के और ५७ प्रतिशत उसी डिविजन में आपने बांटा, सिर्फ १९ प्रतिशत अजमेर में भेजा। तो ऐसी हालत में उसका हिसाब और नफे-नुकसान का हिसाब तो रखना चाहिए था।

श्री भीखाभाई : इसमें केवल हम यह हिसाब रखते हैं कि कितना घास आया, कितना घास फेमिन वालों ने हम से लिया और कितना शेष है। आगे का हिसाब इसका फेमिन विभाग द्वारा ही रखा जाता है। जब सारे राजस्थान में अकाल हो तो कोटा का सवाल पैदा होता नहीं, सारे राजस्थान में भेजा जा सकता है।

श्री जुझारसिंह : अध्यक्ष महोदय मैं सिर्फ एक प्रश्न और करूंगा। पिछले वर्ष सरकार ने घोषणा की थी कि घास का बैंक वह खोलने वाली है और यह करीब करीब सरकार की नीति बन गई है। तो जब सरकार बैंक खोलेगी तो फिर तो उसका हिसाब और नफे नुकसान का हिसाब रखना जरूरी होगा।

प्रश्न संख्या ६

श्री अध्यक्ष : श्री भवरलाल।

(अनुपस्थित—कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या ७

श्री प्रभुलाल सेन्टर।

(अनुपस्थित-कृपया आगे देखिये)

श्री हरलाल मीणा।

सालमगढ़ में वन विभाग का भवन

८. श्री हरलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या वन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि सब-डिविजन, तहसील प्रतापगढ़ में फोरेस्ट रेन्ज ऑफिस सालमगढ़ का भवन पूर्णतया पक्का बन चुका है ? यदि हां, तो कब बना ?

(२) क्या यह भी सही है कि यह ऑफिस अब तक पहले से किराये पर लिये

(श्री हरलाल मीणा)
हुए मकान में ही चल रहा है ? यदि हां, तो इस मकान का माहवारी कितना किराया दिया जा रहा है ?

वन मन्त्री (श्री भीखाभाई) : (१) जी नहीं।

(२) वन विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार लिये जाते हैं।

श्री हरलाल मीणा : आठ का उत्तर मांग रहा हूं।

श्री भीखाभाई : आठ का ही उत्तर बोल रहा हूं।

श्री हरलाल मीणा : आप किसी और का जवाब दे रहे थे।

(अल्प विराम के अनन्तर)

श्री भीखाभाई : मैं जरा गलत हो गया। पहले प्रश्न का उत्तर तो ठीक था।

(१) जी नहीं।

(२) जी हां, माहवारी किराया १४.२५ दिया जाता है।

श्री हरलाल मीणा : यह भवन कब बन चुका था ?

श्री भीखाभाई : जी नहीं का मतलब है नहीं बना।

प्रश्न संख्या ९

श्री अध्यक्ष : श्री लक्ष्मीचन्द।

(अनुपस्थित---कृपया आगे देखिये)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

(१२ मध्याह्न)

भीलवाड़ा जिले की मंडियों से अनाज की निकासी

१०. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा): क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) भीलवाड़ा जिले की किस किस मण्डी से सन् १९६४ व १९६५ में किस किस तरह का कितना कितना कोर्स ग्रेन राजस्थान से बाहर भेजा गया ? एक हजार क्विन्टल से ज्यादा अनाज किस किस व्यापारी ने कहां कहां भेजा ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि जिन लोगों ने यह अनाज बाहर भेजा है उन्होंने सरकारी नियमों का पालन नहीं किया है ?

(३) सरकारी नियमों के आधार पर जो ५० प्रतिशत अनाज सरकार को देना चाहिये था उसके अन्तर्गत सरकार ने कितना अनाज किस किस व्यापारी से खरीदा व उसकी कुल लागत क्या है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

खाद्य मंत्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : (१) सन् १९६४ में भीलवाड़ा जिले से कोई अनाज राजस्थान से बाहर नहीं भेजा गया। सन् १९६५ के दिसम्बर माह तक निम्न प्रकार अनाज बाहर भेजा गया :—

भीलवाड़ा

मक्की ३१,२९०-४८-५००

(श्री नाथूराम मिर्धा)

ज्वार	३५२-००-०००
चना	१६,३६०-४०-०००

गुलाबपुरा

मक्की	२,२११-६७-१००
ज्वार	....
चना	७१-००-०००

योग

मक्की	३३,४७२-४५-६००
ज्वार	३५२-००-०००
चना	१६,४३१-४०-०००

एक हजार क्विन्टल से अधिक अनाज जिन व्यापारियों ने भेजा उसकी सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(२) यह सही नहीं है।

(३) वांछित सूचना सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, जो यह सूचना दी गई है उसके तीसरे पेज पर लिखा है कि गेहूं भी आपने बाहर भेजा है। क्या यह सही है कि गेहूं भी आपने भीलवाड़ा से बाहर भेजा है?

श्री नाथूराम मिर्धा : गेहूं खरीदा था और मक्का गेहूं के बजाय बाहर भेजा है?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जो गेहूं खरीदा है तो सरकार ने उनसे भी ५० परसेन्ट के हिसाब से खरीदा है?

श्री नाथूराम मिर्धा : गेहूं के एवज में मक्का भेजा है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : गेहूं किस हिसाब से खरीदा?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह तो आप पूछते तो बता देता।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह सारी रकम वगैरह सब कुछ मांगा है, जब गेहूं खरीदा है और मक्का का परमिट दे दिया तो एक तो कानून के तोड़ने का सरकार ने सबसे पहले अपने हाथ में लिया और अब बता भी नहीं रहे हैं कि गेहूं किस हिसाब से खरीदा।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं बताने से इंकार थोड़े ही करता हूं। मैंने कहा कि उन लोगों के पास देशी गेहूं था और उसकी हमको जरूरत थी और वह हमने उनसे खरीदा और जो रेट दी उसकी विगत अलग अलग मेरे पास नहीं है। बाकी उनको मक्का बाहर भेजने की इजाजत दी और उनसे गेहूं लिया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बात ६४ के अन्दर मैंने पूछी थी कि क्या गुलाबपुरा से किसी भी व्यापारी को मक्का बाहर एक्सपोर्ट करने के लिए लाइसेन्स दिया है, तो सरकार ने उसका जवाब दिया है, हमने किसी को नहीं दिया। क्योंकि उस समय बाई इलेक्शन का टाइम था....

श्री नाथूराम मिर्धा : आप ६४ का पूछ रहे हैं मैंने उसका जवाब दिया है और उस समय भी नहीं किया और इस समय भी नहीं कर रहा हूं। मैं यह ६५ की बात कर रहा हूं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जो गुलाबपुरा का नाम दिया है और जिस आदमी का नाम दिया है मैंने सवाल पूछा था उस समय १९६४–६५ का पीरियड था उस समय पूछा था। और बाई-इलेक्शन हो रहे थे उस समय कहा था कि सरकार ने रोक लगा रखी है। सिर्फ, क्योंकि बाई-इलेक्शन था और सारा का सारा बाहर भेजने के स्पेशल परमिट्स आपने व्यापारियों को दिए इसलिए कि आप को वोट हासिल हों और आप कह रहे हैं कि उस समय नहीं दिया। यह सारी की सारी चीजें लिखी हैं। इसके अलावा पूछना चाहता हूं कि सरकार ने जो ५० परसेन्ट अनाज उनसे खरीदा क्या वह सरकार ने खरीदा या फूड कॉरपोरेशन ने खरीदा ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उस समय सरकार ने खरीदा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : कहां स्टोर रखा है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अब यह तो क्या बताऊं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : भीलवाड़ा में रखा या गुलाबपुरा में रखा है।

श्री नाथूराम मिर्धा : मैं माननीय सदस्य से कहना चाहता हूं कि जहां गोडाउन्स हैं वहीं रखा होगा। अब स्टॉक को कहां रखते, किस बोरी को कहां रखा है यह सूचना मेरे पास कहां से आई।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): मंत्रियों के पेट में।

श्री नाथूराम मिर्धा : जोधपुर में, भीलवाड़ा में, बीकानेर में और जयपुर में भी कई जगह इनको रखने की है। वेयरहाउसेज हैं। अगर जगह नहीं होती है तो कहीं और भी रखे जाते हैं। सरकार ने खरीदा और जहां सरकार की जगह थी वहां रख दिया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह सवाल इसलिए ही पूछा है। जैसे आपने ज्वार के बारे में कहा तो मैं आपको बताऊं कि भीलवाड़ा में ज्वार पैदा ही बहुत कम होती है और आप अब कह रहे हैं उसको हमने एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी है जब कि भीलवाड़ा में ज्वार दूसरे इलाके से लाते हैं। फिर समझ मे नही आता कि ज्वार किन लोगों से खरीदी और उसे लोग कहां से लाए, इतना जो आप हिसाब दे रहे हैं उसके हिसाब से ही आप बतायें कि क्या भीलवाड़ा में इतनी ज्वार पैदा होती है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : अब पैदा होती है या राजस्थान के और किसी हिस्से में पैदा हुई और फिर भीलवाड़ा के व्यापारियों के पास आ गयी यह तो पता नहीं है। लेकिन उस समय जो कानून था वह यह था कि राज्य सरकार को चने का ५० परसेन्ट और ज्वार का ३३ परसेन्ट जो भी कानून था उसके हिसाब से जो सरकार को माल तुला देंगे और उसके बाद में माल वह बाहर भेज सकेंगे इस तरह की व्यवस्था हमने उस समय की थी और भीलवाड़ा के व्यापारियों ने भी उस व्यवस्था का लाभ उठाया है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: दो इसमें ऐसे आइटम्स हैं, एक तो ज्वार का और दूसरा चने की दाल का जो कि दाल मिल इसमें लिखा है जो कि वहां का मालिक है उसके द्वारा बाहर भेजी गई तो आप कृपया बतायें कि क्या दाल मिल की कैपिसिटी है कि वह

Page No. 24

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

इतना प्रोडक्शन कर सकती है जितना कि एक्सपोर्ट किया है। और ज्वार जितनी एक्सपोर्ट की उसकी केपिसिटी है या नहीं और नहीं है तो उन व्यापारियों ने आपको कहां से लाकर स्टॉक दिखाया? यह बहुत बड़ा प्रश्न है जो कि मूल नीति से ताल्लुक रखता है।

श्री नाथूराम मिर्धा : कोई बहुत बड़ा प्रश्न नहीं है। यह तो बहुत छोटा सा प्रश्न है, आपका प्रश्न यह है, कि एक दाल मिल की केपिसिटी जो कि कम मानते हैं उसने ज्यादा दाल कैसे बाहर भेज दी और दूसरे वहां पर लोगों ने जो ज्वार भेजी तो वहां से बाहर कैसे भेजदी जब कि वहां पैदा ही नहीं होती है। तो इसका जवाब मैं पहले दे चुका हूं कि राजस्थान के किसी भी इलाके में पैदा हुआ चना या किसी भी मिल के द्वारा उत्पादित दाल अगर कोई व्यापारी खरीदकर गवर्नमेंट की सरटेन परसेन्टेज देने के बाद बाहर भेजने की नीति थी उसकी पाबन्दी का प्रोडक्शन के साथ में कोई सिलसिला नहीं था। सरकार ने कभी नहीं कहा था कि वहां पैदा हो और वहीं खरीदें और फिर बाहर भेजें। इस प्रकार की पाबन्दी नहीं थी। इस लिए कहीं भी पैदा हुई, दाल किसी भी इलाके में पहुंच कर अमुक परसेन्ट सरकार को दिलवा देता है तो उसके बाद में वह अपना परमिट लेकर बाहर भेज सकता है। इस प्रकार आपका प्रश्न जिसको आप बहुत बुनियादी मानते हैं, मैं समझता हूं कि इस पॉलिसी के पीछे बहुत ही कम महत्व का है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : क्या ६५ के अन्दर अध्यक्ष महोदय, इस बात की इजाजत थी कि एक जिले से दूसरे जिले में चना और ज्वार चली जाये या इन्टर प्रोविन्स? ६४-६५ और ६५-६६ के अन्दर भारतवर्ष के अन्दर जोन्स नहीं थे और एक जोन से दूसरे जोन को यह कमोडिटीज नहीं जा सकती थीं। क्या यह स्थिति उस समय नहीं थी? अगर थी तो निश्चित रूप से यह स्मगलिंग हुआ है चने और ज्वार का।

श्री नाथूराम मिर्धा : यह हाईपोथेटिकल क्वेश्चन है। उस समय इन्टर जिले के मूवमेंट पर कोई पाबन्दी नहीं थी।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या यह नियम थे कि जिस तरह का अनाज राज्य सरकार ले उसी किस्म का अनाज राज्य सरकार बाहर भेजने की इजाजत देती थी? अगर ऐसा था तो इस मामले में जहां देशी गेहूं लिया है और मक्का बाहर भेजी है तो इस रूल को रिलेक्स किया है क्या?

श्री नाथूराम मिर्धा : जी हां, ऐसा किया है।

श्री मानिकचन्द सुराणा : इस रूल को रिलेक्स करने की क्या आवश्यकता आई जब कि आपके कथनानुसार जो फिगर्स दी है उसमें २८३ क्वि० ११ कि० २८५ क्वि० ही देशी गेहूं लेने का प्रश्न राज्य सरकार के पास था?

श्री नाथूराम मिर्धा : उस समय देशी गेहूं की कमी थी और उस समय जो मैक्जिमम भाव कर रखे थे उसके हिसाब से बहुत से लोग, जैसे सरकारी कर्मचारी और दूसरे लोगों को गेहूं मिलने की कमी थी इसलिए गेहूं खरीदना जरूरी था और मांग काफी थी इसलिए मक्का को बाहर भेजने की इजाजत दे दी।

Page No. 25

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जितने रुपये का गेहूँ लिया क्योंकि मक्का का भाव कम था, क्या उतने ही रुपये की मक्का को एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी या ज्यादा की ?

श्री नाथूराम मिर्धा : रुपये की बात नहीं थी क्वान्टिटी का सवाल था।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : गेहूं का भाव ६५ रुपये था और मक्का का भाव ४४ रुपये था, तो फिर कैसे गेहूं लिया और मक्का को बाहर भेजने की इजाजत दी ?

श्री नाथूराम मिर्धा : उनमें तो फायदे में रहे। उनसे जितनी मात्रा में गेहूं खरीदा उन्होंने कहा कि हमको मक्का बाहर भेजने दो और हमने इजाजत दे दी।

श्री मानिकचन्द सुराणा : प्रश्न अध्यक्ष महोदय, यह नहीं है कि उन्होंने देशी गेहूं ले लिया और मक्का का परमिट दे दिया। माननीय मंत्रीजी की बात से साफ है कि इसमें ऐसा करने में रूल्स को रिलेक्स किया और रूल्स को रिलेक्स करना ही राज्य सरकार और मंत्रीजी के लिए इस सारी बात को गम्भीर बनाता है कि ऐसी छोटी क्वान्टिटी के लिए इन रूल्स को रिलेक्स करने की आवश्यकता क्यों पड़ी और यह रूल्स को रिलेक्स करके परमिट दिया गया ? उस समय उप-चुनाव चल रहा था। इस सारी परिस्थिति के अन्दर सारा मामला गम्भीर है।

श्री नाथूराम मिर्धा : चुनाव से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। मात्रा आपको छोटी दिखती है लेकिन वहां पर गेहूं की दरकार थी इसलिए गेहूं लेकर मक्का का परमिट दिया गया।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तो क्वान्टिटी को देखने से ही मालूम हो जाता है कि कितनी क्वान्टिटी थी। आपके पास आंकड़े मौजूद हैं, कितने गेहूं कि दरकार थी ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : भविष्य के लिए भी क्या सरकार ने इस तरह का प्रोविजन रखा है कि एक किस्म का अनाज देकर दूसरे किस्म के अनाज का परमिट दिया जा सकता है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : वह सारी नीतियां बदल गई हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उस समय जब गेहूं को लेकर ६५ रुपये में और मक्का को एक्सपोर्ट करना अलाऊ किया था तो उस समय भी ६५) रुपये की रेट तो उस क्षेत्र के लिए मुकर्रर की हुई थी गेहूं की। सरकार को गेहूं लेना था तो ६५) रुपये के हिसाब से गेहूं सरकार वैसे भी ले सकती थी। लेकिन गेहूं के बदले में मक्का का परमिट देना तो यह सिद्ध करता है कि उसको यह एडीशनल फेसेलिटी दी गई थी।

श्री नाथूराम मिर्धा : गेहूं किस भाव से लिया, क्योंकि इस समय मेरी जानकारी में नहीं है इसलिए मैं नहीं कह सकता। पर ६५) रुपये मेक्जिमम गेहूं के भाव थे जिस पर हम लोगों को बेचते थे। इसलिए कितने भी भाव पर लिया हो लेकिन ६५) रुपये से ज्यादा पर नहीं लिया गया। और देशी गेहूं किस क्वालिटी का और कितनी तादाद में, किस भाव पर लिया, इसको अभी मेरे पास जानकारी नहीं है, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बता सकता।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : गेहूं की जो रेट फिक्स थी उस रेट से गेहूं लेने का आपको अधिकार था बगैर मक्का को एक्सपोर्ट करने का परमिट दिए, बिल्कुल अधिकार था आपको ।

श्री मानिकचन्द सुराणा : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने इस बात का हिसाब लगाया नहीं कि इतनी मक्का एक्सपोर्ट करने के बाद उन्होंने कितना प्रोफिट कमाया है। जिस समय मक्का एक्सपोर्ट की गई, बम्बई, महाराष्ट्र और दूसरे-दूसरे प्रान्तों में इस भाव पर मक्का नहीं मिल सकती थी और मंत्रीजी कहते हैं कि राज्य सरकार ने प्रोफिट किया है ।

श्री नाथूराम मिर्धा : जब तक रेट नहीं हों मेरे सामने, मैं कैसे हिसाब लगा सकता हूं कि कितना प्रोफिट हो सकता था....

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपके पास किस किस्म का हिसाब है।

(व्यवधान)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न साफ है। आप कहते हैं कि हमने ज्यादा फायदा किया, गेहूं ले लिया और मक्का एक्सपोर्ट करने की इजाजत दे दी। अध्यक्ष महोदय, बात बहुत साफ है कि मक्का का भाव ४०-४२) रुपये क्विन्टल जिस समय राजस्थान में था, उस समय मध्यप्रदेश, बंगाल आदि राज्यों में ७५ से ७० रुपये तक था और इस प्रकार व्यापारियों को एक का दूना मुनाफा उठाने की छूट दी गई। गेहूं तो वहां भी इसी भाव में बिक रहा था, वहां अगर गेहूं भेजा जाता तो कोई खास मुनाफा नहीं होता और इसलिए उनको दुगुना मुनाफा कराने के लिये मक्का एक्सपोर्ट करने का परमिट दिया गया ताकि उप-चुनाव के अन्दर इनके मित्रों को वोट दें और ये कहते हैं कि हम तो बहुत पोलिश्ड हैं ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए ।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए कृपया परिशिष्ट देखिए)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

पुस्तकें खरीदने का अधिकार

४. **श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत** (भीम) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) क्या यह सही है कि मिडल तथा प्राइमरी स्कूलों की लाइब्रेरी के लिए पुस्तकें खरीदने का अधिकार वहां के प्रधानाध्यापकों को दे दिया गया है ?

(२) यदि हां, तो क्या यह वित्तीय नियमों के अनुसार है और वित्त विभाग ने उन्हें यह अधिकार देना स्वीकार कर लिया है ?

उत्तर

(१) जी नहीं। केवल वह छात्रकोष में से पुस्तकें खरीद सकते हैं।

(२) सभी प्रकार की पुस्तकें वित्त विभाग के नियमानुसार ही खरीदी जाती हैं।

हिन्डौन व करौली में खनिज विभाग से सरकार को आय

६. श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-मु०) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) सन् १९६२ से सन् १९६६ में अब तक प्रत्येक साल में पृथक् २ हिन्डौन व करौली में खनिज विभाग से सरकार को कितनी २ आय हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) हिन्डौन व करौली खनिज विभाग की ओर से माइन्स तक जाने वाली सड़कों पर उक्त वर्षों में कितना २ रुपया प्रत्येक सड़क पर खर्च किया गया है । सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(३) यदि खर्चा नहीं किया गया है, तो क्या कारण हैं ?

उत्तर

(१) सन् १९६२ से १९६६ तक की आय का ब्यौरा करौली सब-डिवीजन व हिण्डौन सब-डिवीजन का पृथक् २ निम्न-प्रकार है: —

सन्	करौली की आय	हिण्डौन की आय
६२-६३	४,८७,५६३.५३	१,७६,७८९.७८
६३-६४	५,५४,३०२.१४	२,०४,७१७.९९
६४-६५	५,२१,२६५.४२	१,८९,६८७.५२
६५-६६	४,८८,१०३.१५	२,११,६१०.४९

(२) सरकार के आदेश संख्या–दिनांक ३०-६-६० के द्वारा कोटरी-अगर सड़क के लिये बजट में ४,१६,००० की राशि स्वीकार की थी । भवन एवं पथ निर्माण विभाग द्वारा सर्वेक्षण एवं एस्टीमेट बनाने में काफी समय लग जाने के कारण और फिर आपत्तिकालीन स्थिति होने से मंजूर शुदा राशि अवधि के अन्दर खर्च नहीं की जा सकी ।

(३) इसका उत्तर नम्बर २ में आ चुका है ।

भीमसागर से बांध सिंचाई

७. श्री प्रभुलाल सेन्टर (खानपुर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) भीम सागर बांध, जिला झालावाड़ से कितने क्षेत्र में सिंचाई करने का विचार है । यह सिंचाई कब तक होने लग जावेगी ?

(२) भीम सागर बांध का काम कौन से सन् में शुरू हुआ ?

(४) इस बांध का जो काम अधूरा पड़ा है वह कब से पुनः चालू होने की उम्मीद है ?

उत्तर

(१) योजना के अनुसार १५००० एकड़ भूमि में सिंचाई करने का अनुमान है जो योजना के पूर्ण होने व सिंचाई के पूर्ण विकसित होने पर सम्भव होगा ।

(२) भीम सागर बांध का कार्य कोटा राज्य के समय में सन् १९४२ में शुरू हुआ था और उसी साल बन्द कर दिया गया । तत्पश्चात् यह कार्य नवम्बर सन् १९५४ में

(श्री सिंचाई मंत्री)

राजस्थान बनने पर पुनः चालू किया गया था।

(३) इसके बारे में कुछ निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता। आवश्यक धन-राशि उपलब्ध होने पर कार्य पुनः चालू किया जा सकेगा।

तहसील मांगरोल के काश्तकारों को मुआवजा

६. श्री लक्ष्मीचंद (पीपलदा) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(१) क्या यह सत्य है कि कोटा जिले की तहसील मांगरोल में सन् ६०-६१ में नहर निकलने के कारण काश्तकारों की खरीफ व रबी की फसलों में नुकसान हुआ था ?

(२) क्या यह सत्य है कि इन काश्तकारों को अभी तक फसलों का मुआवजा नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

(३) ऐसे कितने कितने काश्तकार हैं जिनकी फसलों में नुकसान हुआ था।

उत्तर

(१) जी हां।

(२) कुल ४१७ बीघा १३ बिसवा खराब हुई फसलों में से १८१ बीघा ११ बिसवा फसलों का मुआवजा चुकाया जा चुका है। शेष २३६ बीघा २ बिसवा रकबे के मुआवजे की सूची राजस्व विभाग के तहसीलदारों से प्रमाणित होकर अपेक्षित है। प्राप्त होते ही मुआवजे का भुगतान कर दिया जायगा।

(३) इस प्रकार के काश्तकारों की संख्या २११ है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सिकराय के हायर सैकन्डरी स्कूल में कमरों की व्यवस्था

१. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय-सु०) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की करेंगे:-

(१) क्या यह सही है कि सिकराय के हायर सैकन्ड्री स्कूल में कमरों की कमी है ? यदि हां, तो पूर्ति कब तक कर दी जावेगी।

(२) क्या इसके लिये कभी कोई राशि स्वीकार की गई थी ? यदि हां, तो कब ?

उत्तर

(१) हायर सैकन्डरी स्कूल सिकराय में निम्न कमरों की कमी है:-

१.	क्लास रूम २५'×२०'	१ कमरा
२.	सामान्य विज्ञान कमरा मय स्टोर	१ ,,
३.	पुस्तकालय एवं वाचनालय	१ ,,
४.	उद्योग	१ ,,

धनाभाव के कारण अभी सम्भव नहीं है।

(२) सत्र १६६१-६२ में स्वीकृत धन-राशि जिसकी फिर से प्रशासकीय स्वीकृति चाही गई थी धनाभाव के कारण पुनः स्वीकृति नहीं दी जा सकी।

खानपुर सेकेन्डरी स्कूल का हायर सेकेन्डरी स्कूल में परिवर्तन

२. श्री प्रभुलाल सेन्बर (खानपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(१) खानपुर सेकन्डरी स्कूल को कब तक हायर सेकन्डरी में परिवर्तित किया जा सकेगा ?

(२) खानपुर सेकन्डरी स्कूल में किस किस कक्षा में कितने कितने छात्र हैं, तथा किस किस कक्षा में एक से ज्यादा सेक्शन्स हैं ? ऐसी हर कक्षा में कितने कितने सेक्शन्स हैं ?

(३) क्या सेकन्डरी स्कूल खानपुर में जितने सेक्शन्स हैं उसके अनुसार पर्याप्त एवं आवश्यक योग्यता के अध्यापक मौजूद हैं ? यदि नहीं, तो आवश्यक योग्यता वाले अध्यापकों की कमी की पूर्ति कब तक कर दी जावेगी ?

उत्तर

(१) हाई स्कूलों को हायर सेकन्डरी स्कूलों में परिवर्तित नहीं किया जा रहा है।

(२) खानपुर सेकन्डरी स्कूलों में सत्र १९६५–१९६६ में छात्र संख्या तथा कक्षाओं के विभाग निम्न प्रकार हैं:–

कक्षा	छात्र संख्या	कक्षा के विभाग
६	१७०	५
७	११८	४
८	६०	२
९	१६७	५
१०	१६५	५
	७१०	

(३) इस स्कूल में अध्यापकों के जो पद स्वीकृत हैं उन्हे देखते हुए अध्यापकों की संख्या इतनी कक्षाओं के लिये पर्याप्त नहीं है। शिक्षकों के पदों की कमी के कारण अधिक पद नहीं दिये जा सकते।

इटावा हायर सेकेन्डरी स्कूल में विज्ञान की कक्षाएं

३. श्री लक्ष्मीचन्द (पीपलदा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि पीपल्दा तहसील के ग्राम इटावा में जब १३ मई, ६६ को मुख्य मंत्री महोदय व शिक्षा मंत्री महोदय आये थे तब वहां की जनता ने वहां के हायर सेकेन्डरी स्कूल में विज्ञान की कक्षाओं की मांग की थी ?

(२) क्या यह सच है कि मुख्य मंत्री महोदय ने व शिक्षा मंत्री महोदय ने विज्ञान की कक्षाएँ खोलने का जनता को आश्वासन दिया था ? तथा जनता ने कुछ रकम उक्त कक्षाओं के लिए उसी वक्त मुख्य मंत्री को पेश की थी ?

(३) क्या सरकार वहां शीघ्र से शीघ्र विज्ञान की कक्षायें खोलने का विचार रखती है ?

उत्तर

(१) जी हां।

सूची सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(२) पुलिस द्वारा प्रस्तुत किये गये मामलों में से ४२ में ५ रुपये से ५०० रु० तक जुर्माना २ मामलों में २०००) रु० जुर्माना

Page No. 30

(श्री खाद्य मंत्री)
एवं ७ मामलों में एक सप्ताह से तीन माह कैद व जुर्माना की सजा मिली।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राज्य का सिंचित क्षेत्र

५. श्री रामकिशन (वैर) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान निर्माण के समय राज्य में कुल कितना सिंचित क्षेत्र था और तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक इस क्षेत्र में कितनी वृद्धि हो जायेगी ?

(२) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक राज्य का कितना क्षेत्र नहर, कुआ तथा छोटे तालाबों के अन्तर्गत सिंचित क्षेत्र हो जायेगा ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(१) राजस्थान निर्माण के समय राज्य में सिंचाई विभाग की नहरों व तालाबों से करीब ६ लाख एकड़ भूमि में प्रति वर्ष सिंचाई होती थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक सिंचित क्षेत्र ६ लाख एकड़ से बढ़ा कर करीब २२.१६ लाख एकड़ हो जाने का अनुमान था।

(२) तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक नहरों व तालाबों से २०.११ लाख एकड़ भूमि सिंचित होने लग गई है। कुओं एवं पंचायतों के अधीन तालाबों तथा व्यक्तिगत तालाबों से सिंचित होने वाली भूमि के आंकड़े इस विभाग में उपलब्ध नहीं हैं। यह क्षेत्र उपरोक्त क्षेत्र के अलावा है।

यातायात उद्योग में न्यूनतम वेतन

६. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि १९५६ में राजस्थान सरकार द्वारा न्यूनतम वेतन ट्रान्सपोर्ट उद्योग में तय कर दिया गया था जिसके अनुसार ड्राइवर, क्लीनर एवं कन्डक्टर का न्यूनतम वेतन १९६४ के अन्त तक क्रमशः ७५ रु०, ४५ रु० व ५२.५० पैसे होना था ?

(२) क्या यह सही है कि कमल एण्ड कम्पनी सेन्ट्रल ट्रान्सपोर्ट सर्विस, जयपुर ने उपरोक्त फैसले के अनुसार अपने कर्मचारियों को १९६४ के अन्त तक पैसे नहीं दिये हैं ?

(३) श्रम विभाग द्वारा कम्पनी के कर्मचारियों को बकाया राशि दिलाने के क्या प्रयत्न किये गए हैं जब कि कर्मचारियों द्वारा बार-बार श्रम विभाग को शिकायत भी की गई है ?

उत्तर

(१) जी हां।

(२) यह सही है कि कमल एण्ड कम्पनी सैन्ट्रल ट्रान्सपोर्ट सर्विस जयपुर के कुछ श्रमिकों को निर्धारित न्यूनतम वेतन से कम पैसा मिल रहा था। इसके लिए न्यूनतम वेतन निरीक्षक जयपुर ने जनवरी, १९६४ तक के वेतन के अन्तर का क्लेम सिटी मजिस्ट्रेट, जयपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया। यह क्लेम अभी भ न्यायालय के विचाराधीन है।

Page No. 31

(श्री यातायात मंत्री)

(३) जुलाई, ६४ से, दिसम्बर, ६४ समय का निर्धारित दर से कम भुगतान करने का क्लेम श्रमिकों की ओर से यूनियन ने न्यायालय सिटी मजिस्ट्रेट, जयपुर के पास प्रस्तुत किया है। बकाया राशि दिलाने के लिए श्रम विभाग के न्यूनतम वेतन निरीक्षक जयपुर ने, जैसा कि ऊपर बताया है, न्यायालय सिटी मजिस्ट्रेट के यहां क्लेम प्रस्तुत कर रखा है जो अभी भी न्यायालय के विचाराधीन है। १९६४ के पूर्व श्रमिकों का कोई रजिस्टर्ड यूनियन नहीं था इस कारण श्रम विभाग के पास श्रमिकों की ओर से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

(१२.१३ म. प.)

भूतपूर्व सदस्य श्री आबिदअली के निधन पर शोक व श्रद्धांजलि

श्री अध्यक्ष : मुझे यह सूचना मिली है कि श्री आबिद अली, सदस्य द्वितीय राजस्थान विधान सभा का ३० जून, १९६६ को देहान्त हो गया है। वे सवाई-माधोपुर क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे और सन् १९५७ से ६२ तक विधान सभा के सदस्य रहे थे। श्री आबिदअली इस सदन के सक्रिय सदस्यों में से थे तथा वे सभापति तालिका के सदस्य भी रहे थे। उन्होंने विधान सभा की कार्यवाही में भी काफी योगदान दिया और इसके अतिरिक्त वे विधान सभा की विभिन्न समितियों के सदस्य रहे थे तथा उन्होंने समितियों के कार्यों में भी काफी रुचि ली। वे जमी अतुल-उलमा, राजस्थान के अध्यक्ष थे और राजस्थान वक्फ बोर्ड के निर्माण के पश्चात् बोर्ड के सभापति के पद पर कार्य कर रहे थे। उनके स्वभाव के कारण सदन के सभी सदस्यों का उनके साथ मैत्री भाव था। उनके आकस्मिक निधन से हमें बहुत क्षति हुई है। मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि वे दिवंगत आत्मा के सम्मान में कुछ समय के लिए खड़े होजांय।

(१२.१५ म. प.)

(सदन दो मिनिट तक मौनवत् खड़ा रहा)

(१२.१७ म. प.)

सदस्यों की गिरफ्तारी व रिहाई संबंधी सूचना

दिनांक १२ से १४ सितम्बर, १९६६ के दौरान राजस्थान विधान सभा के निम्नलिखित सदस्य गिरफ्तार किए गए:—

(१) श्री महेन्द्रसिंह (कोटा)
(२) श्री सम्पत्तिलाल बोहरा
(३) श्री जोधसिंह
(४) श्री विजयसिंह झाला
(५) श्री भैरोंसिंह शेखावत
(६) श्री गोविन्दसहाय
(७) श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल
(८) श्री कृष्णकुमार गोयल
(९) श्री हरिप्रसाद
(१०) श्री श्रवणलाल
(११) श्री दयाचन्द सोन।

श्री दयाचन्द सोन के अलावा सभी माननीय सदस्यों को रिहा किए जाने की सूचना प्राप्त हुई है।

(१२.१८ म. प.)

अनुपस्थिति के लिए अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ हो उससे

(श्री अध्यक्ष)

पूर्व मैं माननीय सदस्यों को सूचित करूं कि माननीय सदस्य श्री दिग्विजयसिंह, विभाजन सं० ३७, ने दिनांक १५ सितम्बर, १९६६ से सत्र के अन्त तक विधान सभा की बैठकों से अनुपस्थित रहने की अनुमति की प्रार्थना की है। क्या सदन की अनुमति है कि आज्ञा प्रदान कर दी जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

(१२.१६ म. प.)

दो सदस्यों द्वारा पार्टियों की सदस्यता छोड़ने संबंधी घोषणा

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि राजा मानसिंह, विभाजन सं० १०७ ने स्वतंत्र पार्टी की सदस्यता से तथा श्री अब्दुल जब्बार, वि० सं० १ ने जन संघ पार्टी की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है और अब वे निर्दलीय सदस्य के रूप में सदन में बैठेंगे।

(राजपक्ष की ओर से तालियां)

श्री रामकिशन : दूसरा किसने दे दिया है त्याग-पत्र ?

श्री अध्यक्ष : श्री अब्दुल जब्बार।

श्री रामानन्द अग्रवाल : कांग्रेस के भी दो सदस्यों ने स्तीफा दे दिया है, इसकी सूचना नहीं मिली।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : अध्यक्ष महोदय, इन तालियों की क्या तुक थी, ये बतायें।

(१२.१९ म. प.)

स्थगन प्रस्तावों संबंधी व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : कुछ स्थगन प्रस्तावों की सूचना आई है वे इस प्रकार हैं:—

माननीय सदस्य श्री मुरलीधर व्यास ने राजस्थान में जो विद्युत् पर सरचार्ज लगाया गया है उसके सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। माननीय सदस्य मुरलीधर व्यास ने राजस्थान की सीमा पर जो स्थिति है उसके सम्बन्ध में भी स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य श्री उमरावसिंह ढाबरिया व माननीय सदस्य श्री मानिकचन्द सुराणा ने भी इसी तथ्य का, पाकिस्तान की सीमा पर जो गतिविधियां हो रही हैं, उसके सम्बन्ध में स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

पहला जो स्थगन प्रस्ताव बिजली के सम्बन्ध में है उसे अस्वीकार किया जाता है। दूसरा प्रस्ताव और उसके साथ दो अन्य माननीय सदस्यों के प्रस्ताव सीमा के सम्बन्ध में हैं उन्हें भी अस्वीकार किया जाता है, परन्तु अगर सम्भव हो तो जो स्थिति अभी हमारी सीमा पर है और जहां तक राज्य सरकार का वहां पर व्यवस्था करने का सम्बन्ध और दायित्व है उसके सम्बन्ध में सरकार एक वक्तव्य देगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न तो अपने आप में बहुत गम्भीर है और हम यह चाहेंगे कि न केवल सरकार उत्तर दे बल्कि आप इसके लिए समय निर्धारित करिये ताकि इस सदन के माननीय सदस्य इस प्रश्न पर अच्छी तरह से

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
अपने विचार रख सकें और यहां पर बहस करके इस पर अपने विचार रखने का उनको पूरा मौका दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने इस विषय के सम्बन्ध में कहा है लेकिन जो स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत हुए हैं उनमें कई विषय ऐसे हैं जो स्थगन प्रस्ताव के रूप में स्वीकार करने के उपयुक्त तो नहीं हैं लेकिन अपने आप में महत्वपूर्ण हैं और कार्य सलाहकार समिति में जब माननीय सदस्य व मंत्री महोदय मिलेंगे तो उनमें से कुछ विषयों पर अध्ययन करके सदन के समक्ष वे विषय आ सकें जिससे उन पर चर्चा हो सके, बहस हो सके, उसकी व्यवस्था करने का प्रयास किया जाएगा ।

(विराम)

माननीय सदस्य श्री मुरलीधर व्यास ने राजस्थान में जो मंहगाई है उस सम्बन्ध में एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है व माननीय सदस्य श्री रामकिशन ने जो बांसवाड़ा जिले में दुष्काल है और विशेष रूप से आदिवासी क्षेत्र के सम्बन्ध में भी स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है । इन दोनों प्रस्तावों को स्वीकार नहीं किया जाता है, परन्तु अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो एक तरह से सामान्य बहस हमारे राज्य में जो खाद्य व कृषि की स्थिति है उसके बारे में और जो अकाल के सम्बन्ध में कार्य हुए हैं उस सम्बन्धी चर्चा करेंगे या कम से कम एक वक्तव्य देने का प्रयास किया जायेगा ।

माननीय सदस्य....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : मंहगाई के सम्बन्ध में कॉल अटेन्शन नोटिसेज हमारे दिये हुए हैं उनको भी साथ में कर लिया जाय तो ज्यादा अच्छा रहेगा ।

श्री अध्यक्ष : कई तरह के नोटिसेज व स्थगन-प्रस्ताव आये हैं उनके सम्बन्ध में जैसा कि मैंने माननीय सदस्यों से निवेदन किया उनका चयन करके जो वास्तविक महत्व के हैं उन्हीं पर चर्चा किसी तरह की सदन में की जायगी ।

माननीय सदस्य श्री हीराभाई ने एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है जो कि जिला बांसवाड़ा और जिला कुशलगढ़ की सबजेल के सम्बन्ध में है । यह स्थगन-प्रस्ताव स्वीकार करने के योग्य नहीं है । लेकिन चूंकि यह एक विशेष घटना से सम्बन्ध रखता है, मैं गृह मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि इसके बारे में स्पष्टीकरण हेतु वक्तव्य दें ।

माननीय सदस्य श्री अब्दुल जब्बार ने इसी प्रकार की एक घटना जो प्रधान, पंचायत समिति, छोटी सादड़ी से सम्बन्ध रखती है, के बारे में एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है । इसको स्वीकार नहीं किया जाता है, परन्तु जो गृह मन्त्री हैं उनसे निवेदन किया जाता है कि वे तथ्यों की जानकारी कर लें और जब सूचना उनके पास होगा और उचित हुआ तो सदन में उसका उल्लेख करने की व्यवस्था की जायगी ।

माननीय सदस्य श्री अब्दुल जब्बार ने एक सूचना दी है कि हिन्दू महासभा का जो अभी अधिवेशन निम्बाहेड़ा में हुआ उस सम्बन्ध में कुछ बातों का उल्लेख करते हुए एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है । इस प्रस्ताव को 'अस्वीकार किया जाता है और

(श्री अध्यक्ष)

गृह मंत्रीजी से इसके बारे में स्पष्टीकरण हेतु निवेदन किया जायेगा।

माननीय सदस्य श्री अब्दुल जब्बार ने इसी प्रकार की घटना राजस्थान प्रान्त में जनसंघ द्वारा जो आन्दोलन चलाया गया था उसके सम्बन्ध में कई गिरफ्तारियां हुईं उनके सम्बन्ध में एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है। इसी आशय के दो प्रस्ताव और आये हैं। एक श्री राधाकृष्ण गोयल और एक श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल का। इन पिछले दोनों प्रस्तावों का संबंध विशेष रूप से टोंक में हुई घटनाओं से है। इनके बारे में यह व्यवस्था है कि इनको अस्वीकार किया जाता है। गृह मंत्रीजी कृपया इनके बारे में स्पष्टीकरण यथासमय दें।

एक स्थगन-प्रस्ताव की सूचना श्री रामानन्द अग्रवाल ने दी है जिसका सम्बन्ध महालक्ष्मी मिल, ब्यावर से है। यह ३ मई, १९६६ से बन्द हुई बताई जाती है, ऐसा माननीय सदस्य का इसमें उल्लेख है। मैं समझता हूं कि इसका स्थगन-प्रस्ताव के रूप में स्वीकार करना तो उचित नहीं है, लेकिन निश्चय ही यह एक ऐसा मामला है जो सार्वजनिक महत्व का है। श्रम मंत्रीजी या उद्योग मंत्रीजी जो भी इससे सम्बन्ध रखते हों वे इस सम्बन्ध में सरकार की क्या नीति है और आगे क्या नीति रहेगी कृपया स्पष्टीकरण हेतु एक वक्तव्य शीघ्र ही देने की कृपा करेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): माननीय अध्यक्ष, इस स्थगन-प्रस्ताव के सम्बन्ध में मेरा यह निवेदन करना था कि एक तो माननीय मंत्रीजी, चाहे उद्योग मंत्रीजी या श्रम मंत्रीजी जो भी इसका उत्तर देना चाहें वे उसकी जिम्मेदारी लें और इसका उत्तर शीघ्र मिलना चाहिए। इसका कारण यह है कि न केवल मिल बन्द होने के कारण कुछ मजदूरों के बेरोजगार होने का प्रश्न है, बल्कि बन्द होने के बाद, ५ महीने से मिल बन्द होने के बाद जब मजदूरों ने अप्रेल के महीने में वर्क किया पूरी उसकी तनख्वाह कोई नहीं मिली। ले-ऑफ है तो आधी तनख्वाह मजदूरों को मिलनी चाहिए, लेकिन वह उनको नहीं मिली; जो प्रोविडेन्ट फण्ड उनका जमा है उसको मिल वालों ने सरकार के पास जमा नहीं करवाया है। लोन मजदूर उसमें से मांग रहे हैं तो आपका प्रोविडेन्ट फण्ड कमिश्नर उसमें अड़चने डाल रहा है। इलाके के अन्दर अकाल है, लोन मिलता नहीं, आखिर मजदूर क्या करें? बहुत ही भयंकर उनकी स्थिति है। गवर्नमेंट को मिल चलाने के पहले सेन्ट्रल गवर्नमेंट से कन्सल्ट करना पड़ता है। लेकिन और तमाम मामले वेजेज वगैरह के पेमेन्ट कराने के वह राजस्थान सरकार से ताल्लुक रखते हैं। गवर्नमेन्ट ने इस तरफ कोई कदम नहीं उठाया। यह गवर्नमेन्ट के लिए निन्दा की बात है। आखिर मजदूर क्या करें? मजदूर डकैती करें या चोरी करें। उनको मजबूर होकर आन्दोलन छेड़ने का निश्चय करना पड़ा। इस प्रश्न को गम्भीरता से लेकर कल उत्तर दें और जो भी मंत्रीजी उत्तर दें वे इसके बारे में पूरी जिम्मेदारी लें।

श्री अध्यक्ष: मैं समझता हूं कि दोनों मंत्रीजी अपने अपने विभाग के बारे में बता दें। श्रम मंत्रीजी श्रम के बारे में और उद्योग मंत्रीजी उस मिल को सरकार लेने की स्थिति में है कि नहीं उसके बारे में कह दें।

Page No. 35

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने जो स्थगन-प्रस्ताव की सूचना दी है उसके सम्बन्ध में निवेदन करना है कि यहां पर न तो गृह मंत्री जी दिखाई दे रहे हैं और न उनके पोर्टफोलियो का चार्ज लेने वाले।

श्री भीखाभाई (वन मंत्री) : वे पीछे बैठे हुए हैं। आपका ध्यान नहीं गया है उनकी तरफ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज वे सफेद टोपी पहने हुए हैं इसलिए पहचानने में नहीं आ रहे हैं। नया पोर्टफोलियो मिला है इस खुशी में आज वे टोपी पहन कर आये हैं और इसी खुशी में उन्होंने चार्ज लेते ही टोंक में लोगों पर डंडे बरसा दिये हैं।

श्री निरन्जननाथ आचार्य (विधि मंत्री): मखौल मत उड़ाइये।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अजी मखौल तो आपने किया है कि चार्ज लेते ही टोंक में लोगों पर डंडे बरसा दिये और ५०-५० लोग अस्पताल में पड़े हुए हैं। नया प्रमोशन रामप्रसादजी लड्ढा जो आपसे सीनियर थे उनके मुकाबले में आपको मिला है उसके बावजूद भी आपने उन लोगों को यह तोहफा दिया है।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : आपने व्यवस्था देदी है कि उस पर मुझे एक स्टेटमेन्ट देना है तो फिर उसके पहले आपके बोलने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। आज आप कह देंगे तो कल नहीं दूं फिर मैं वक्तव्य।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आज आप स्टेटमेन्ट देने की हालत में नहीं हैं तो कल दे दें।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : मैं बड़ी तन्दुरुस्त हालत में हूं। आपका गला खराब हो रहा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो आज ही दे दें।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय के आदेश का पालन होगा। आदेश कल का है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आदेश तो समझने की बात है, आप में समझने की ताकत होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय, कोई भी यह नहीं चाहता कि ऐसे सार्वजनिक महत्व के प्रश्न पर मंत्री महोदय स्टेटमेन्ट देने में देरी करें। यदि उनके पास लेटेस्ट इन्फोर्मेशन हो तो अभी दे दें नहीं तो वे कल का समय ले सकते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस सम्बन्ध में वहां पर स्थिति गम्भीर है और पब्लिक में टेन्शन है। सत्याग्रहियों का जत्था गिरफ्तार होने के बाद लोग चले गये। १०हजार के करीब नागरिक वहां घण्टाघर पर इकट्ठे हुए थे तो पुलिस ने छेड़खानी करके लोगों पर डण्डे बरसाए, जिससे ५० लोगों को चोटें आई जिनमें से तीन-चार तो अभी भी अस्पताल में पड़े हुए हैं। पब्लिक में बड़ा डिस्कन्टेन्टमेंट है। सारे टोंक में आज हड़ताल है और काले झण्डों का जुलूस निकल रहा है। आम जनता में बड़ा पैनिक छाया हुआ है और पुलिस का बड़ा आतंक छाया हुआ है। मैं नहीं जानता कि किस प्रकार से यह स्थिति उत्पन्न हुई है। सरकार इसको स्पष्ट करेगी। हमारे नेता श्री भैरोंसिंहजी आज वहां

Page No. 36

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

गये हुए हैं और अभी तक लौट कर नहीं आए हैं, पता नहीं कि वे गिरफ्तार हुए हैं या क्या हुआ है, यह मैं नहीं कह सकता। माननीय मन्त्री महोदय सारी स्थिति सदन के सामने रखेंगे।

संगरिया और नोहर के बारे में भी मैंने स्थगन-प्रस्ताव रखा है। नोहर में भी लाठी चार्ज किया गया है। मैं समझता हूं कि भाई दयारामजी जो नोहर से आए हैं जो कि संयुक्त सोशियलिस्ट पार्टी के हैं वे ज्यादा इस सम्बन्ध में बता सकेंगे। मेरे पास तो कल तीन बजे तार आया है उसके आधार पर मैंने यह स्थगन-प्रस्ताव रखा है। मैं चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, कि इन दोनों स्थानों के सम्बन्ध में माननीय गृह मन्त्रीजी, जो कि स्थानापन्न हैं, कुछ न कुछ बयान सदन में देंगे।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : अध्यक्ष महोदय, जैसी कि सूचना अभी माननीय श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल ने दी है उसमें काफी तथ्य है। मैं अभी टोंक से आया हूं और वहां पर पुलिस के द्वारा······

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि स्थगन-प्रस्ताव आपका आगया और उस पर व्यवस्था हो गई।

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं सारी स्थिति से आपको अवगत करा दूं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपको बोलने का अधिकार तब तक नहीं होता है जब तक कि मैं अपना स्टेटमेंट न दे दूं। उसके बाद ही आप बोल सकते हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : अध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसे तथ्य हैं जो मैं उनकी दृष्टि में ला देना चाहता हूं ताकि उनके सम्बन्ध में भी जानकारी करलें ताकि वे फिर बाद में नहीं कहें कि इन तथ्यों की वे जानकारी नहीं कर सके। क्योंकि १२, १३ और १४ तारीख, इन तीन दिनों में जो घटनाएं योजनाबद्ध तरीके से हुईं, अधिकारियों ने कीं उनके सम्बन्ध में मन्त्रीजी को जानकारी हो न हो, होती हो न होती हो, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन पर गम्भीरता से विचार करना पड़ेगा····

श्री निरंजननाथ आचार्य : लिख कर वे दें तो अच्छा होगा··

श्री राधाकृष्ण गोयल : १२ तारीख को जब सत्याग्रही जा रहे थे तब पुलिस वालों ने उन पर डण्डों का प्रहार किया। मैं स्वयं उस समय वहां पर मौजूद था, कलेक्टोरेट में मौजूद था। मैंने उस समय स्थानीय कलेक्टर को कहा कि आप यह उल्टा काम क्या कर रहे हो व आपका काम शांति बनाने का है, उसके विपरीत आप शांति भंग कर रहे हो। इन्होंने कहा कि हमारे कांस्टेबल को अन्दर घुसने के प्रयास में घूंसा मार दिया। मैंने कहा कि घूंसा मारने का मतलब यह थोड़े ही है कि उन पर डण्डे चलाओ, यह उचित नहीं है। डाक्टर पर दबाव डाल कर उल्टा-सीधा लिखवा लिया। मैं भी उस समय अस्पताल में मौजूद था। जिस वातावरण में यह कार्यवाही की गई उससे ऐसा मालूम होता है मानो पब्लिक सर्विस न हो कर प्राइवेट सर्विस हो····

श्री निरंजननाथ आचार्य : ओन पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर····

Page No. 37

श्री राधाकृष्ण गोयल : आपने ही व्यक्तियों की भीड़ इकट्ठा कर के ऐसी व्यवस्था....

श्री अध्यक्ष : मन्त्रीजी का पोइन्ट ऑफ ऑर्डर है ।

श्री राधाकृष्ण गोयल : I am in possession of the House.

श्री निरंजननाथ आचार्य : स्थगन-प्रस्ताव के बाद ही प्रश्न पैदा होगा । आप जो बोल रहे हैं वह किसी नियम के अन्तर्गत नहीं आता । आप अधिक तथ्य देना चाहते हैं तो मुझे लिख कर दे दें ताकि मालूम करलूं । कल भी आप बोलेंगे । मेरे स्टेटमेंट के पूर्व बोलते हैं यह नियम के अनुसार नहीं है, यही मेरा निवेदन है ।

(कुछ माननीय सदस्य एक साथ बोलने लगे—अश्रव्य)

श्री राधाकृष्ण गोयल : यह कोई पोइन्ट ऑफ ऑर्डर नहीं है । आप उपाध्यक्ष रहे हैं आपको यह भी पता नहीं है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मन्त्रीजी ने पाइन्ट ऑफ ऑर्डर उठाया कि माननीय सदस्य किन नियमों के अन्तर्गत बोल रहे हैं । मैं पूछना चाहता हूं कि किसी माननीय सदस्य को बोलने के लिए अध्यक्ष महोदय इजाजत देते हैं उसके बाद कौनसा नियम है जिसकी तहत आप पोइन्ट ऑफ ऑर्डर रेज कर सकते है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं अध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : आप टोपी पहन कर हम लोगों को प्रभावित कर रहे हैं, बैठ जाइये ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता था ।

श्री अध्यक्ष : आकर्षित हो जाय सब के लिये ।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न पर आज जब कि विधान सभा का अधिवेशन शुरू हो रहा है, यह घटना दो रोज पहले हो चुकी थी, मैं समझता हूं मन्त्रीजी को इस बात पर स्वतः बिना मांग किये ही अपना स्टेटमेंट देना चाहिये था । आज सरकार ने जो जनता की समस्याओं के प्रति रुख अपनाया है उसको देखते हुए समस्याओं को हल करने के लिए लोग आंदोलन करेंगे तो उन पर डंडे और लाठी चलायेंगे । यह सरकार का एक रवैया बन गया है । विधान सभा में जब यह प्रश्न उठाया जाता है तो उसको मजाक में टालें तो यह चीज असह्य होती जा रही है । यह इस तरह का टालू रुख मन्त्रीजी का है यह उचित नहीं है । लोग कहें कि मंहगाई क्यों बढ़ रही है, लोग कहें कि अवमूल्यन क्यों किया है, यह देश के साथ गद्दारी है, इस पर कुछ समस्यायें खड़ी करके पत्थर फिकवाना और फिर लाठी चलवाना अनुचित है; इस बात को हम सदन में लाना चाहें, सदन ६ महीनों के बाद बुलावें और वह भी १५ दिन के लिये और उसमें भी टालम-टोल का रुख अपनावें इससे मालूम होता है कि समस्याओं को हल नहीं करना चाहते हैं तो मैं यह कहना चाहता हूं कि ये गलत परम्पराएं डाल रहे हैं । डेमोक्रेसी में मेजोरिटी

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

के बल पर इस तरह से नहीं करें नहीं तो इसके गम्भीर नतीजे होंगे। हम जो आरोप लगाते हैं उनको सुनना नहीं चाहते। यदि आप इस तरह का रुख अपनायेंगे तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जनता के साथ मजाक का रुख अपनाया तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जायगा। आप गम्भीरता से इसको लें, इसका उत्तर दें। जो लोग शांत सत्याग्रह करें आप उनका सर फोड़ें और यहां मजाक उड़ावें, तो यह बर्दाश्त काबिल नहीं है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने कहा कि जन संघ का आंदोलन हुआ उस सम्बन्ध में जो घटनाएं हुई हैं उस सम्बन्ध में सरकार की तरफ से तत्काल स्पष्टीकरण होना चाहिये, सामान्य तौर से होना उचित था, आवश्यक था। लेकिन जो तथ्य उठाये उनकी जानकारी तत्काल नहीं हो सकती इसलिये मेरा यह सुझाव था कि मंत्री महोदय चाहें तो आज वक्तव्य दे सकते हैं और यदि पूरी जानकारी न हो तो कल दे सकते हैं। टालमटोल करने की, मैं नहीं समझता सरकार की नीयत हो या पूरी समस्या सदन के सामने लाने से रोकी जाय, ऐसी स्थिति नहीं है। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि जितना जल्दी हो सके इस पर वक्तव्य दे दें।

श्री अब्दुल जब्बार : अध्यक्ष महोदय, मेरा स्थगन प्रस्ताव छोटी सादड़ी पंचायत समिति के सम्बन्ध में है....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने अपने प्रस्ताव में जो प्रश्न उठाया है वह निश्चित घटना के संबंध में है और उक्त घटना के संबंध में जानकारी करनी है। सामान्य जानकारी नहीं है। मंत्रीजी के स्पष्टीकरण के बाद कुछ कहना चाहें तो कहें, तो ज्यादा अच्छा होगा।

श्री अब्दुल जब्बार : इस प्रश्न को लेकर मध्यप्रदेश की विधान सभा में हंगामा हुआ है........

श्री अध्यक्ष : अपन नहीं करेंगे भाई साहब।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह सरकार मजबूर करेगी तो करेंगे।

श्री अब्दुल जब्बार : पंचायत और गृह विभाग के मंत्री हैं मैं उम्मेद करता हूं कि वे इस बारे में प्रयत्न करेंगे। गवर्नमेन्ट की ढिले की नीति के कारण ही आज कातिल सरकारी गाड़ियों में प्रोटेक्शन पाता है। मध्य प्रदेश विधान सभा में हमारे पंचायत राज्य को बदनाम करने के चार्ज लगाये जा रहे हैं। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि हमारे पंचायत राज्य और मंत्री पर कलंक नहीं लगावें। गृह विभाग सतर्क होता तो कातिल इस तरह से प्रोटेक्शन नहीं पा सकता था और पंचायत राज्य पर लांछन नहीं आ सकता था। वह भी सरपंच था जो मारा गया और दूसरा प्रधान है, इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि सरकारी मशीनरी और प्रोटेक्शन से किस प्रकार बुरे काम कर रहे हैं यह जनहित और प्रजातंत्र पर काला कलंक का टीका है, जनता कभी इसको माफ नहीं करेगी, सरकार को मजबूर करके दिखादेगी कि कानून तोड़ने वालों और जुल्म करने वालों को बर्दाश्त नही किया जा सकता।

(१२.३८ म.प.)

सदन की मेज पर रखे गए पत्र

श्री अध्यक्ष : सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र।

(१) राष्ट्रपति महोदय व राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

सचिव, राजस्थान विधान सभा (श्री सोहननाथ मोदी) : महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा द्वारा गत सत्र में पारित उन विधेयकों का विवरण सदन की मेज पर रखता हूं जिन पर राष्ट्रपति महोदय अथवा राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो चुकी है :

(क) राष्ट्रपति महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

(१) राजस्थान भू-गृहादि (किराया नियंत्रण तथा बेदखली) (संशोधन) विधेयक, १९६६ ।

(२) राजस्थान कृषि उपज विपणि (वैधकरण उपलब्ध) विधेयक, १९६६ ।

(१२.३६ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

(३) नाथद्वारा मन्दिर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, १९६६ ।

(४) राजस्थान स्टाम्प लॉ (अनुकूलन) (संशोधन) विधेयक, १९६६ ।

(ख) राज्यपाल महोदय से अनुमति प्राप्त विधेयक

(१) राजस्थान करारोपण विधि (संशोधन) विधेयक, १९६६ ।

(२) राजस्थान बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९६६ ।

(३) राजस्थान विनियोग (संख्या ३) विधेयक, १९६६ ।

(४) राजस्थान सिनेमा (रेग्यूलेशन) संशोधन विधेयक, १९६६ ।

(५) उदयपुर विश्व विद्यालय (संशोधन) विधेयक, १९६६ ।

(६) राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) विधेयक, १९६६ ।

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य ।

(२) राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन तथा वैधकरण) अध्यादेश, १९६६

श्री कुम्भाराम आर्य (राजस्व मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन तथा वैधकरण) अध्यादेश, १९६६ (अध्यादेश सं० ५, सन् १९६६) को सदन की मेज पर रखता हूं ।

(३) राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) अध्यादेश, १९६६

श्री धन्वनचन्द वैद (यातायात मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान मोटर गाड़ी करारोपण (संशोधन) अध्यादेश, १९६६ (अध्यादेश सं० ६, सन् १९६६) को सदन की मेज पर रखता हूं ।

(४) गृह विभाग की अधिसूचना

उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह ख—१ विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. १(४) (४५) एच० (बी—ग्रुप–१)/६४ दिनांक २४ मार्च, १९६६ को, जिसके द्वारा राजस्थान मोटर व्हीकल्स रूल्स, १९५१ के नियम ७४ के खण्ड

(श्री चन्दनमल वैद)
(क) में संशोधन किया गया है, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कौनसी डेट को जारी हुई थी विज्ञप्ति ? यह विज्ञप्ति किस डेट को जारी हुई ?

श्री चन्दनमल वैद : २४ मार्च बताया न।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : २४–५।

श्री चन्दनमल वैद : २४ मार्च।

(५) राजस्व (ख) विभाग की अधिसूचना

श्री घासीराम यादव (उप मंत्री, राजस्व) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व (ख) विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. ६(१८) राज/ख/६५ दिनांक १४-९-६६ को सदन की मेज पर रखता हूं जिसके द्वारा राजस्थान (चूने के भट्टों के लिए अनधिकृत सरकारी भूमि का आवंटन) नियम, १९६५ में संशोधन किये गये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : On a point of information, Sir, यह जो अधिसूचना श्री चन्दनमल जी ने सदन की मेज पर रखी है यह २४ मार्च की है या २४–५ की है ?

श्री चन्दनमल वैद : २४ मार्च की बता रहा हूं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : २४ मार्च ?

श्री चन्दनमल वैद : जी हां।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह आपने उस बजट सेशन में क्यों नहीं रखी ?

श्री चन्दनमल वैद : अब रख दी; उसमें क्या बात है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उस वक्त क्यों नहीं रखी ?

श्री चन्दनमल वैद : अब रख दी है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपको यह अधिसूचना अप्रेल में सदन की मेज पर रखनी चाहिए थी जब कि मार्च में निकली। उपाध्यक्ष महोदय, यह हर बार सदन को शिकायत रहती है कि जो भी नोटिफिकेशन निकलते हैं, जो भी अधिसूचना जारी होती है उन्हें मन्त्री समय पर सदन की मेज पर नहीं रखते। पता नहीं उन्हें फुर्सत नहीं मिलती है या वह लापरवाह हैं। यह अधिसूचना पिछले अधिवेशन में सदन की मेज पर रखनी चाहिए थी जब कि सदन १३ अप्रेल, १४ अप्रेल तक चला और २४ मार्च को यह अधिसूचना जारी हुई उसके उपरान्त भी १३ अप्रेल, १४ अप्रेल तक इस सदन में यह पेश नहीं की गई। अब कहते हैं कि मैं पेश कर रहा हूं। छः-छः महीने के बाद में नोटिफिकेशन और अधिसूचना सदन की मेज पर रखते हैं और अब कहते हैं कि पेश कर रहा हूं। और आप इसके लिए कोई अफसोस जाहिर नहीं करना चाहते।

श्री चन्दनमल वैद : बड़े अफसोस की बात है कि आप छः महीने की बात कहते हैं, १३ अप्रेल, १४ अप्रेल को, जैसा कि आप बता रहे हैं, विधान सभा स्थगित हो गई,

(श्री चन्दनमल वैद)

फिर आप छः महीने की बात कैसे कह रहे हैं ? आप यह चार्ज लगा सकते हैं कि २४ मार्च को जब यह अधिसूचना जारी हुई तो ११अप्रेल, १४ अप्रेल तक क्यों नहीं रखी? इसमें पन्द्रह बीस दिन की बात हो सकती है लेकिन आप छः महीने की बात कह कर सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अब छः महीने हो गये हैं।

श्री चन्दनमल वैद : तब बैठक नहीं हुई सदन की।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने १४ अप्रेल तक क्यों नहीं रखी इस हाउस में? इसके लिए आपका क्या एक्सप्लेनेशन है। चोरी और सीना जोरी। एक तो गलती करें और फिर सदन में धमकायें। छः छः महीने के बाद में सदन की मेज पर रखें, उपाध्यक्ष महोदय, यह इतना नान सीरियस मेटर नहीं है, यह हाउस के प्रिवलेज का सवाल है....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज !

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह हाउस के प्रिवलेज का प्रश्न है, मैं निवेदन करना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आशा करता हूं कि जहां तक हो सके, यदि सदन उस समय आरम्भ हो तो ऐसी अधिसूचना सदन के समक्ष तुरन्त रखनी चाहिए।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उस समय सदन आरम्भ था, यह अधिसूचना उस समय हाउस में आनी चाहिए थी। आप इस बात का डाइरेक्शन दीजिये चेयर की तरफ से कि जैसे अभी सेशन चल रहा है और इस वक्त कोई नोटीफिकेशन निकलते हैं, अधिसूचना निकलती है तो इस हाउस में पेश होनी चाहिए क्योंकि अगले सेशन तक वह बेकार हो जाती हैं, उनको पेश करने का कोई मतलब नहीं रहता है। जिस सेशन में नोटिफिकेशन जारी होते हैं वह उसी में पेश होनी चाहिए। आप इस बात का डाइरेक्शन दें तो मैं संतुष्ट हो जाऊंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, यह चीज और स्पष्ट हो गई है कि इस सदन के नियमों के प्रति, इस प्रजातन्त्र के प्रति इस सत्ताधाकारी पार्टी के अन्दर कितनी निष्ठा है और उनके प्रति कितनी सजग है ? जनता के चुने हुए लोगों को इन नोटिफिकेशन से समय समय परिचय कराने में इन्हें परहेज है। और कोई इस सम्बन्ध में ऑब्जेक्शन करे तो यह क्रोध से उबल पड़ेगे और नाराज हो जायेंगे। बड़े आराम से आप कह सकते थे कि क्षमा कीजिये कि मैंने नहीं रखी। भविष्य तो आपका काला है, भविष्य में आने वाले नहीं हैं। इसलिए यह कह दें कि भविष्य में रखने वाले हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, इन्हें आदेश दिया जाय।

श्री भीमसिंह (उप-मंत्री, सार्वजनिक-निर्माण) : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : इस मसले पर, उपाध्यक्ष महोदय, कई मर्तबा चेयर की तरफ से इस गवर्नमेंट को आदेश दिये जा चुके हैं और कई मर्तबा यह बात पोइन्ट आउट हुई है (हिअर, हिअर) और उसके लिए हमेशा रिग्रेट भी की है। और इस सम्बन्ध में आपने आदेश भी दिये हैं लेकिन उसके बावजूद

Page No. 42

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

यह चीज आती है इसका एण्ड होना चाहिए। यह हमारे प्रिविलेज का सवाल है और उस प्रिविलेज के लिए आपकी तरफ से डाइरेक्शन होने के बावजूद इस तरह उपेक्षा की जाय तो इसके बारे में निश्चित रूप से कहा जाना चाहिए आपकी तरफ से और सरकार की तरफ से केवल रिग्रेट शो ही नहीं हो बल्कि यह कहा जाना चाहिए कि आयन्दा नहीं होगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : मैं निवेदन....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या हुआ साहब ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं निवेदन करूंगा कि यदि मंत्री महोदय में कुछ सहिष्णुता की मात्रा है तो वह खड़े होकर रिग्रेट प्रदर्शित करें। अगर नहीं, तो मैं समझता हूं कि दिन पर दिन यह फासिज्म बढ़ता जा रहा है। और शासनारूढ़ दल का घमण्ड बढ़ता जा रहा है। एक दिन यह चूर चूर होकर नीचे गिर जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय.......

श्री भीमसिंह : उपाध्यक्ष महोदय.......

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई) : इसका क्या मतलब हुआ ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसमें एक बात और है, एक पोइन्ट मैंने रेज किया, उसके बाद में श्री योगेन्द्रनाथ हांडा ने उसको सपोर्ट किया और कांग्रेस दल के माननीय सदस्य श्री ज्वालाप्रसादजी ने भी उसको सपोर्ट किया, फिर विरोधी दल के माननीय नेता महारावल साहब ने सपोर्ट किया उसके बाद भी आपकी तरफ से व्यवस्था नहीं और मंत्री बोलते नहीं वह रिग्रेट शो नहीं करते और आप इशारा करके दूसरे मंत्री को खड़ा करते हैं इस तरह आप मजबूर करेंगे कि चेयर के एटीट्यूड के बारे में हम बहिर्गमन करें।

श्री उपाध्यक्ष : इस विषय में.......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप कुछ निर्देश दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : इस सम्बन्ध में आसन द्वारा व्यवस्था दी जा चुकी है कि जहां तक हो इस प्रकार की अधिसूचनाएं इत्यादि सरकार शीघ्रातिशीघ्र सदन में रखे।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर आसन की अवहेलना करें तो ?

श्री उपाध्यक्ष : यथाशीघ्र दे सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर आसन की अवहेलना हो तो ?

श्री उपाध्यक्ष : अवहेलना नहीं कर सकते।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अगर आसन के आदेश की अवहेलना हो और आदेश की अवहेलना करके नहीं रखें तो क्या जुर्माना है, क्या सजा है। इसके लिए आसन के आदेश था। आदेश था तो मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने आसन के आदेश की अवहेलना की है और इसलिए मंत्री के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और उन्हें

(श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल)
सदन से निकाला जाना चाहिए। वह शासन के आदेश को पलउट करें और हम बर्दाश्त करें।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : उन्हें रिग्रेट शो करनी चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : इस प्रकार कोई प्रणाली का उल्लंघन होता है तो उसके लिए कार्यवाही होती है– वह सब माननीय सदस्यों को विदित है। इसलिए अधिक कहना अनावश्यक है। मैं कह चुका हूं।

श्री दलपतसिंह (आबू) : यह तो ढिलाई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय इस सम्बन्ध में आदेश होने चाहिए। जहां तक हो सके – यही नहीं। निश्चित रूप से यदि कोई अध्यादेश या अधिसूचनाएं निकले तो वह समय के अन्दर सदन की मेज पर रखी जायं। वरना यह मंत्री अपनी आदत छोड़ने वाले नहीं हैं। मंत्रीमण्डल तो बड़ा होता चला जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, किस किस मंत्री को आप समझायेंगे। हर छः महीने के अन्दर चार मंत्री बढ़ते हैं और एक हजार कर्मचारी सड़क पर खड़े हो जाते हैं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : तीन कतार भर गई है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : हर छः महीने में चार मंत्री बढ़ रहे हैं। फिर भी सरकार की समझ में नहीं आता कि देश भूखा मर रहा है। और राजस्थान भूखा मर रहा है। लोग इसके बावजूद भी शांत हैं और धीरज रखे हुए हैं और यह राज करने वाले प्रजातंत्र के जानी दुश्मन बने हुए हैं, नियमों और उपनियमों के शत्रु बने हुए हैं। यह प्रजातन्त्र के बहुत बड़े बैरी हैं और देश में प्रजातन्त्र को दफन करने के लिए यह लोग तैयार खड़े हुए हैं। आप किन किन मंत्री को समझाइयेगा, उपाध्यक्ष महोदय, यहां मंत्रियों की पाठशाला खोलियेगा तो इस चटशाला में हर छः महीने में तीन चार मंत्री और खड़े हो जाते है भले ही देश में भुखमरी हो, कुछ हो। और मैंने सुना है, घर बैठे हुए सुखाड़िया जी ११ मंत्रियों को और लाने वाले हैं, एक सूची ११ मंत्रियों को और आने वाली है।

श्री जयनारायण सालोदिया : इसीलिए घर बैठे हैं।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : (कांग्रेस दल के एक माननीय सदस्य को संकेत करते हुए) आपका नाम भी आने वाला है, आप चुप बैठिये।

मैं नम्रतापूर्वक और अदब से अर्ज करूंगा कि प्रजातन्त्र की पवित्र संस्था को जीवित रखने के लिए शासन को मजबूत होना पड़ेगा, सख्त आदेश देने पड़ेंगे।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : वरना यह मानेंगे नहीं।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : जहां तक इस शब्द को आप निकालिये। मैं नम्रता से अर्ज करूंगा, निश्चित रूप से अध्यादेशों को और अधिसूचनाओं को सदन की मेज पर निश्चित अवधि में रखना पड़ेगा। मार्केटिंग कमेटी एक्ट का क्या हुआ? हाई कोर्ट में स्ट्रक्चर्स पास हुए, क्योंकि रूल्स समय के

Page No. 44

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)
अन्दर सदन की मेज पर नहीं रख सके इस-लिए मार्केटिंग कमेटी सारे राजस्थान में आप-रेशन में नहीं आ सकी और अब सुप्रिम कोर्ट के अन्दर इस आधार को लेकर गये हैं। किसानों को मण्डियों में लूटा जा रहा है फिर भी मार्केटिंग कमेटी आरंभ नहीं हो पा रही है क्योंकि नियमों को सदन की मेज पर नहीं रखा गया। उसकी प्रतिलिपि लेकर सारे राजस्थान के लिए आदेश प्राप्त कर सकते थे। उपाध्यक्ष महोदय, इससे जनता का नुकसान होता है और होगा। प्रजातन्त्र की अवहेलना हम प्रजातन्त्र के प्रेमी सहन नहीं करेंगे। (हंसी)

श्री मानसिंह महार (आमेर) : उपा-ध्यक्ष महोदय,.........

श्री उपाध्यक्ष : इसमें विवाद का प्रश्न नहीं है।

श्री मानसिंह महार : विवाद नहीं है। यह मसला बहुत गंभीर है। यह कोई विवाद नहीं है, यह तो प्रजातन्त्र की हत्या हो रही है। और प्रजातन्त्र के जो इतने प्रेमी हैं, वह ऐसी बात कहते हैं, हमारे हाण्डाजी कहते हैं तो हमें बड़ा दुःख होता है। और जो प्रजातन्त्र को पैदा करने वाली कांग्रेस है वह उसको खत्म करना चाहती है। जो अपने आपको प्रजातन्त्र की दुहाई देने वाले कहते है वह इसे इतनी छोटी बात समझें। लेकिन मैं समझता हूं कि वास्तव में यह मंत्री महोदय के लिए बहुत बड़ी बात होगी अगर वे खड़े होकर करबद्ध माफी मांग लेते कि मेरी गलती हो गई, मैं क्षमा चाहता हूं। आप हंसते हैं। हंसने से काम थोड़े ही चलता है। गलती है तो आपको मानना चाहिये कि यह गलती है। गलती आपने की है। आपको इसके लिये रिग्रेट करना चाहिये। मैं सुखाड़िया जी से निवेदन करूंगा कि आपको नये पोर्ट फोलियोज नहीं दें। इसके लिये मुझे सुखाड़िया जी से कहना पड़ेगा।

श्री चन्दनमल बैद : वे तो आपकी ही राय मानते हैं।

श्री मानसिंह महार : आपने इस अध्यादेश को देरी से रखा है।

श्री चन्दनमल बैद : अध्यादेश नहीं अधिसूचना है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : आप बार-बार गलतियां क्यों करते हैं ?

श्री मानसिंह महार : आप खुदा नहीं हैं। आप मंत्री हैं। आप अपनी गलती के लिये उपाध्यक्ष महोदय से माफी मांग लीजिये। सदन का समय यों ही क्यों वेस्ट करते हैं। कल या परसों भारत के प्रधान मंत्री ने कहा था कि एक घन्टे का १८ हजार का खर्चा पार्लियामेंट का होता है। तो हमारे यहां पर भी एक घन्टे का १८०० या एक हजार रुपया खर्च आता होगा। इसलिये हम यह नहीं चाहते कि हम सदन का समय यों ही वेस्ट करें और फालतू खर्चा कराएं। अगर कोई मंत्री अपनी हैकड़ी पकड़े बैठे रहें और अपनी गलती को मंजूर नहीं करें तो यह कोई अच्छी परम्परा नहीं है और हम भी सदन की कार्यवाही को आगे नहीं चलने देंगे। आज भारत में इस प्रकार से प्रजातन्त्र में गड़बड़ियां होती हैं और राज्य करने वाले ये कहते हैं कि रोज विरोधी दल वाले रुकावटें डालते हैं। मगर आपको यह देखना होगा कि यह गलती हमारी नहीं है। हम कोई भी बात

(श्री मानसिंह महार)
कहते हैं वे उधर बैठने वाले हमारी वाजिब बातों की तरफ भी ध्यान नहीं देते हैं जो उनके सामने रखी जावें तो क्या किया जावे ? सदन की कार्यवाही को रोका जावे। सदन को आगे नहीं चलने दिया जावे। मैं यह कहूंगा कि हर तीनों में दो बार मिनिस्टरों का एडिशन होता है। हर तीन महीनों में तो बच्चे भी पैदा नहीं होते वे भी ९ महीनों में पैदा होता है। मगर हमारे यहां तीन महीनों में दो बार मिनिस्टरों का एडिशन होता है। वे बढ़ते जाते है और काम में भी अन्धाधुन्ध होता है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इसके लिये बर्थ कन्ट्रोल ऑर्डर की जगह मंत्री कन्ट्रोल ऑर्डर जारी करना होगा।

श्री मानसिंह महार : मैं यह निवेदन करूंगा कि मंत्री इस बात के लिये सदन मे माफी मांगे कि यह गलती हुई है। अगर वे अपनी जिद् पर अड़े रहेंगे तो हम भी अपनी जिद् पर अड़े रहेंगे। जैसी गवर्नमेंट की प्रेस्टीज है वैसी हमारी भी प्रेस्टीज है।

एक माननीय सदस्य : प्रजातन्त्र की प्रेस्टीज है।

श्री मानसिंह महार : उधर वाले भी कहते हैं कि गलती की तो क्या हो गया। इससे अधिक शर्म की क्या बात हो सकती है। अभी आप हंस रहे है। मैं निवेदन करूंगा उपाध्यक्ष महोदय, कि यदि हिन्दुस्तान में प्रजातन्त्र को जिन्दा रखना है तो प्रजातंत्र की हत्या करने वाले, इसका खून करने वाले लोगों को पकड़-पकड़ कर सदन से बाहर निकालना होगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं दो शब्द निवेदन करना चाहूंगा। यह तो मैं मानता हूं कि अगर मंत्री नहीं चाहें तो खेद प्रकट नहीं करें। अगर चाहें तो करें। यह तो उनकी इच्छा पर निर्भर है। लेकिन यह पार्लियामेन्ट्री कर्टसी और उनकी भलमनसाहत के नाते मैं यह कहूंगा कि अगर वे अपनी इस बारे में रीग्रेट एक्सप्रेस करें तो उचित होगा। परन्तु मुझे और भी विशेष खेद और आपत्ति है मंत्री जी के व्यवहार पर (बिहेवियर पर)। उपाध्यक्ष महोदय, जब आपने अपनी रूलिंग दी तो इतनी भलमनसाहत नहीं है कि वे यह कम से कम कहते कि आपके निर्णय का पालन किया जावेगा। अगर वे यह भी उत्तर नहीं देते हैं तो यह उनकी पराकाष्टा और घमन्ड का निम्न स्तरीय उदाहरण है और यह बात आती है कि पार्लियामेन्ट्री डिकोरम को बलाये ताक में रख कर फेसिज्म का उदाहरण सदन के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। इसलिये अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मेरा नम्र निवेदन है कि आपके निर्णय के संबन्ध में दो शब्द तो कहें, उत्तर तो दें। बैठे रहने से मामला बुरे से बदतर मैं समझता हूं पहुंचेगा।

श्री चन्दनमल वैद : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे बहुत दुःख है कि विरोधी दल के नेता ने इस प्रकार के शब्द कहे। वे बुजुर्ग हैं इसलिये मैं उनकी बुजुर्गी का आदर करता हूं और यही कहना चाहता हूं कि उपाध्यक्ष महोदय ने जिस समय रूलिंग दी तो मैंने कहा था शायद आपने सुना नहीं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अगर आपने कुछ कहा और मैंने नहीं सुना तो मैं क्षमा याचना करता हूं।

(श्री चन्दनमल वैद और योगेन्द्रनाथ हांडा एक साथ बोलने लगे)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उन्होंने क्षमा याचना करली है। आप भी रिग्रेट शो कर दें।

श्री चन्दनमल वैद : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि २४ मार्च को यह अधिसूचना जारी की गई। उस समय विधान सभा में नहीं रखी गई। मगर सबसे पहले जो मौका मिला यह सूचना सदन की मेज पर रख दी गई। अब यह आरोप कि ६ महीने तक इसको सदन की मेज पर नहीं रखी गई। मैं यह कहूंगा कि यह ६ महीनों का प्रश्न नहीं है। यह केवल १२ या १५ दिन का प्रश्न है। उपाध्यक्ष महोदय ने जब रूलिंग दी कि जहां तक हो सके जल्दी से जल्दी सदन की मेज पर रख दी जावे। मगर आप यह मानते हैं कि १५ दिन जल्दी से जल्दी नहीं है तो फिर इससे भी जल्दी की कोशिश की जावेगी।

श्री राधाकृष्ण गोयल : आपने कहा है मंजूर है। मंजूर का प्रश्न नहीं है। मान्य होगा आप इतनी देरी से सूचना रखते हैं तो आपको इसके लिए रीग्रेट शो करना चाहिए और उपाध्यक्ष महोदय आज मंत्री महोदय, इसके लिए रिग्रेट फील करने की क्षमता नहीं रखते हैं। अगर वे यह समझते हैं कि बहुमत के आधार पर सदन में कुछ भी कर सकते हैं, या सदन उनकी भावना पर आधारित है तो मैं समझता हूं कि यह उनकी गलत धारणा है। सदन के सामने आपकी तरफ से नेगलीजेन्स हुई है तो आपको उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। वे सदन के सामने माफी मांगने वाले नहीं हैं मगर मैं यह कहूंगा कि यह आगे चलने वाली चीज नहीं है। आपको इसके लिए न केवल यह कहना कि मंजूर है, रीग्रेट भी शो करना चाहिए और अच्छे संसदीय वातावरण में आपको सामने आना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : उपाध्यक्ष महोदय, इस प्रकार की घटनाएं हर सदन के सामने आती हैं। मंत्रीजी की डिफिकल्टी है यह मानते है। मगर मंत्रीजी से किस-किस अधिसूचना के बारे में इतनी देरी हो जाती है उसके कारण क्या हैं उनको जानने की मंत्रीजी ने कोशिश की होगी। इसके लिये मैं यह कहूंगा कि कहीं न कहीं इसके प्रोसीजर में लैकुना है जिसकी वजह से इसका कन्ट्रोल मिनिस्टर के हाथ में न होकर सैकेट्रीज के हाथ में रहता है। तो इसके लिए मैं यह निवेदन करूंगा कि पहले जब आप दूसरी जगह इसकी कोपी डिस्पेच करें तो उसकी एक कोपी जब आप गजट को भेजते हैं और दूसरों को भेजते हैं वैसे ही एक कॉपी राजस्थान विधान सभा को भी भेज दिया करें। ऐसी व्यवस्था अभी है या नहीं और ऐसी व्यवस्था होते हुए भी यह गड़बड़ी हुई या ऐसी व्यवस्था नहीं होगी और यह गड़बड़ी हुई है। इसलिये हम महसूस करते है कि हमें इसके बैक ग्राउण्ड में जाना होगा और मंत्री महोदय को भी इसके लिए बैक ग्राउण्ड में जाना होगा। इस देरी के लिए सदन के सामने मंत्री को रिग्रेट करने की बात तो है ही। उनको रिग्रेट करना चाहिए। मगर मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात की जांच की या नहीं कि इसके लिए कौन दोषी है और इस प्रकार की घटना दुबारा नहीं हो उसके लिये आपने कोई तरीका अपनाया है या नहीं ? हर समय

(श्री रामानन्द अग्रवाल)
आप जब इस प्रकार की बात हो तो यह कह देते हैं कि आई एम सोरी। तो इससे तो हम कोई सुधार नहीं कर पावेंगे। जैसा आज हमें महसूस हो रहा है।

(१.०० म० प०)

(६) राजस्थान वित्तीय निगम, १९६४-६५ के लेखा परीक्षण के प्रमाण-पत्र।

श्री मनफूलसिंह (उप-मंत्री, उद्योग) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान वित्तीय निगम के वर्ष १९६४-६५ के लेखा परीक्षण प्रमाण-पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, जो मैंने सुझाव सदन के सामने रखा उसका कुछ उत्तर तो मिलना चाहिए। शासन की व्यवस्था के बावजूद देरी होती है, वह किस वजह से ?

श्री चन्दनमल वैद (यातायात मंत्री) : मैं अर्ज कर चुका हूं कि २४ मार्च को यह अधिसूचना जारी की गई २४ मार्च और १३ अप्रेल के बीच में कितने दिन रहे ? क्या उपाध्यक्ष महोदय, यह चाहते हैं कि जिस दिन अधिसूचना जारी की जाय उसी दिन सदन की मेज पर रखी जाय ? २४ मार्च को सूचना जारी की गई। यह मैं मालूम कर लूंगा कि कितने दिन बाद सदन में अधिसूचना रखी जाय। यह कोई महीनों का सवाल नहीं २४ मार्च को अधिसूचना जारी की गई और १२-१३ अप्रेल को सदन उठ गया। उसके बाद रखने का तो सवाल ही नहीं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : विधान सभा चल रही हो तो क्या उसी दिन नहीं रख सकते ?

श्री उपाध्यक्ष : यदि सदन का सत्र चालू हो तो इस प्रकार की अधिसूचना तुरन्त ही रखना आवश्यक है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, इनको आदेश दें कि ये सदन से माफी मांगें।

श्री मानसिंह महार : हो गया हो गया।

श्री उपाध्यक्ष : विधायी कार्य।

(१.०५ म० प०)

राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन तथा वैध-करण) विधेयक, १९६६

(परिनियत संकल्प की प्रस्तुति एवं विचार विमर्श)

श्री कुम्भाराम आर्य (राजस्व-मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन तथा वैधकरण) विधेयक, १९६६ को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि विधेयक को पुरःस्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री कुम्भाराम आर्य : महोदय मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

(श्री कुम्भाराम आर्य)

महोदय, मैं अध्यादेश जारी करने के कारणों के विवरण को भी सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : अध्यादेश की प्रति सदन के माननीय सदस्यों को वितरित नहीं की गई है।

श्री मुरलीधर व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान भू-राजस्व (वैधकरण) विधेयक, १९६६ जैसा कि अभी राजस्व मंत्री महोदय ने रखा है.... ...

श्री उपाध्यक्ष : परिनियत संकल्प भी है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : अध्यादेश की कॉपी भी नहीं मिली है।

श्री उपाध्यक्ष : It will be available.

[इस विधेयक पर निम्नलिखित परिनियत संकल्प प्रस्तुत हुए:—

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर)

श्री कृष्णकुमार गोयल (कोटा)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा)

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई)

"यह सदन दिनांक ६ जुलाई, १९६६ को राज्यपाल महोदय द्वारा प्रख्यापित राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन तथा वैधकरण) अध्यादेश, १९६६ (अध्यादेश संख्या ५, सन् १९६६) को अस्वीकार करता है।"]

श्री उपाध्यक्ष : श्री सतीशचन्द्र।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): उपाध्यक्ष महोदय, यह राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन तथा वैधकरण) अध्यादेश सन् १९६६, अध्यादेश संख्या ५ सन् १९६६, जो राज्यपाल महोदय द्वारा प्रख्यापित किया गया है उसको अस्वीकार किये जाने के सम्बन्ध में मैंने एक संकल्प प्रस्तुत किया है, और वह संकल्प निम्न प्रकार है :—

"यह सदन दिनांक ६ जुलाई, १९६६ को राज्यपाल महोदय द्वारा प्रख्यापित राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन तथा वैधकरण) अध्यादेश, १९६६ (अध्यादेश संख्या ५, सन् १९६६) को अस्वीकार करता है।"

उपाध्यक्ष महोदय, इस अध्यादेश के सम्बन्ध में कहने के लिये तो बहुत कुछ है लेकिन कहने की इच्छा होते हुए भी मैं बहुत कुछ नहीं कह सकूंगा, कहने की स्थिति में कुछ गले के कारण नहीं हूं। लेकिन फिर भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और उपाध्यक्ष महोदय, मैं नहीं समझता कि हिन्दुस्तान में आज तक जितने भी अध्यादेश जारी हुए हैं, उन अध्यादेशों को जारी करने के सम्बन्ध में जो स्थिति इस अध्यादेश के सम्बन्ध में पैदा हुई, वह स्थिति जहां तक मेरी जानकारी है, किसी भी राज्य में अथवा केन्द्र में, कोई भी अध्यादेश जारी करने से पूर्व ऐसी विचित्र स्थिति आज तक पैदा नहीं हुई है। जो तथ्य मैं सदन के सामने रखने जा रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में जो हम माननीय सदस्यों ने प्रवेश करते समय संविधान की कसम खाई, सत्य वचन कहने की कसम खाई, "सत्यमेव जयते" के नीचे बैठ कर सदन की कार्यवाही चलाते हैं, उसमें सरकारी पक्ष कहां तक सच बोलता है यह आज कसौटी का सवाल बनने वाला है। मैं राजस्व

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वह सत्य चाहे कितना ही कटु होगा, चाहे कितना ही सरकार के विपरीत होगा, चाहे उस सत्य के कारण राजस्थान सरकार दुनियां में कितनी भी बदनाम होगी, किन्तु इस सदन में जब अपना वक्तव्य दें, उन तथ्यों के सम्बन्ध में सदन में अपना वक्तव्य दें, तो वे सत्य वचन कहें।

उपाध्यक्ष महोदय, यह अध्यादेश जारी किया गया, मैं इसकी कुछ भूमिका रख देता हूं।

राजस्थान में सन् १९४९ में बोर्ड ग्रॉफ रेवेन्यू जारी हुआ था, दिनांक १२-८-४९ से। उसके पश्चात् ५६ में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम १ जुलाई, १९५६ से लागू हुआ। उस अधिनियम के अन्तर्गत राजस्व मंडल का गठन किया गया, उसके चेयरमैन और उस बोर्ड के मेम्बरान के सम्बन्ध में, उनकी नियुक्ति और योग्यता के सम्बन्ध में धारा ४ बनाई गई। उसमें प्रावधान किया गया कि बोर्ड का कौन में चेयरमेन होगा, कौन मेम्बर होंगे, उनकी योग्यताओं, संख्याओं और नियुक्ति की घोषणा राज्य सरकार गजट में करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, १९५६ से लेकर १९६६ तक, १० साल तक राजस्थान का राजस्व मंडल, उसमें काम करने वाले चेयरमैन, उसमें काम करने वाले मेम्बरान, उनके द्वारा किये गये हजारों फैसले, हजारों काश्तकारों को जमीन से बेदखल करने की आज्ञाएं, जितने आदेश, डिक्रियां दी गई, वे सारी की सारी बिना अधिकार के दी गई थीं, ऐसा रेवेन्यू बोर्ड ने फैसला ५ जुलाई, १९६६ को कर दिया। ५ जुलाई, १९६६ से पहले रेवेन्यू बोर्ड के एक मेम्बर के सामने सवाल पेश हुआ। एक बड़ी बैंच के सामने यह सवाल रखा गया, ४ आदमी उस बैंच में थे श्री आर. के. चतुर्वेदी, चेयरमैन, श्री जी. बी. के हूजा श्री गजेन्द्रसिंह और श्री आर. एन. मधोक (मेम्बरान)। इन्होंने बहस सुनी और दो मेम्बरान की एक राय हुई और दूसरे दो मेम्बरान की दूसरी राय हुई। आर. के. चतुर्वेदी और हूजा ने राय दी कि गठन ठीक है और श्री गजेन्द्रसिंह और आर. एन. मधोक ने राय दी कि बोर्ड का गठन, चैयरमैन और मेम्बरान का गठन गलत है।

इन दोनों में जब मतभेद हुआ तो मामला पांचवें मेम्बर को रेफर किया गया और पांचवें मेम्बर श्री बलवंतसिंह ने ५ जुलाई, १९६६ को फैसला दिया और श्रीगजेन्द्रसिंह, श्रीमधोक की राय से सहमति प्रकट की और कहा कि राज्य सरकार ने आज तक राजस्व मंडल के कितने सदस्य होंगे उनकी संख्या निर्धारित नहीं की, उनकी योग्यता निर्धारित नहीं की, उनकी नियुक्ति की घोषणा गजट में नहीं की। इतने जो मसले थे बिना नियमों के, बिना नियुक्ति के राजस्व मंडल के सदस्य १० साल से करते रहे, अदालतों में फैसला करते रहे। यह उसके तथ्यों की भूमिका है। ६ जुलाई को सरकार ने अध्यादेश निकाला, राज्यपाल महोदय ने निकाला और जिस अध्यादेश को अस्वीकार किए जाने के संबंध में मैंने प्रस्ताव सदन में प्रस्तुत किया है और अध्यादेश की जगह एक कानून बनाया जाय, इस बात का प्रस्ताव माननीय राजस्व मंत्री महोदय ने रखा है।

अब गंभीर मामला यहां आता है कि ५ जुलाई को राजस्व मंडल का फैसला हुआ,

Page No. 50

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

६ तारीख को अध्यादेश निकाला। अध्यादेश निकालने के संबंध में संविधान की धारा २१३ में राज्यपाल महोदय को अधिकार दिया गया है कि अगर विधान सभा का अधिवेशन न हो तो वह अध्यादेश निकाल सकते हैं। धारा २१३ और दूसरी अनेक धाराओं में लिखा है कि राज्यपाल के जितने भी आदेश और आज्ञाएं हैं वे सारे सैक्रेटरीज और अंडर-सैक्रेटरीज से निकलते हैं। अनेक आज्ञाएं प्रसारित होती हैं राज्यपाल के नाम से; nor is pleased to order this and that. Signed by order Secretary, Deputy Secretary or something like that.

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि राज्यपाल मंत्रियों की राय पर निर्भर करते हैं। मंत्रि मंडल की बिना सिफारिश के कोई अध्यादेश हिंदुस्तान में आज तक जारी नहीं हुआ और कम से कम बिना संबंधित मंत्री की सिफारिश के जारी नहीं हुआ। संबंधित मंत्री नोट-पुट-अप करता है, सिफारिश करता है, मंत्रिमंडल में मामला जाता है, मंत्रिमंडल उसकी सिफारिश बहाल करता है उसके बाद ही अध्यादेश जारी होता है। राज्यपाल का तो नाम चलता है। हमारी लोकतंत्रीय शासन पद्धति में यह सारा अधिकार एक प्रकार से मंत्री परिषद् में निहित है। मैं राजस्व मंत्री से पूछना चाहता हूं कि आज आपकी सत्यवाणी कसौटी पर है, आपने सत्य बोलने की प्रतिज्ञा की है, आप खड़े होकर कहिए कि ५ जुलाई को जब राजस्व मंडल का फैसला हुआ और ६ तारीख को जब अध्यादेश जारी हुआ तो क्या यह सही नहीं है कि मंत्री परिषद् की कोई बैठक नहीं हुई? क्या यह सही है कि अध्यादेश जारी करने के बारे में मंत्री परिषद् की कोई सिफारिश नहीं है? मंत्री परिषद् को सिफारिश करनी पड़ती है, फैसला लेना पड़ता है, आगे मामला भेजना पड़ता है, उसके बिना कोई अध्यादेश जारी नहीं हो सकता। २१३ में लिखा है :—

"It is not a discretionary power but must be exercised with the aid and advice of the Ministers."

और जो प्रोविजन्स हैं संविधान के कि राज्यपाल कैसे काम करता है उसमें इस बात का संकेत मिलता है कि मंत्री परिषद् की सलाह से राज्यपाल काम करता है।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या माननीय सदस्य यह बता रहे हैं कि राज्यपाल महोदय ने बिना मन्त्रीमण्डल की सलाह के इस प्रकार का अध्यादेश जारी किया है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जी हां।

श्री रामानन्द अग्रवाल : जिसका कि राज्यपाल महोदय को अधिकार नहीं है?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह अलग चीज है। लेकिन अध्यादेश वह मंत्री परिषद् की बिना सिफारिश के जारी नहीं कर सकते।

श्री रामानन्द अग्रवाल : तो राज्यपाल और मंत्री मण्डल में गड़बड़ी करने का गठबन्धन है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : राज्यपाल तो सदस्यों को फुटबाल की तरह निकलवा सकते हैं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : राज्यपाल तो विधान को भी पापड़ की तरह चबाकर खा सकते हैं।

Page No. 51

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : यह जन-तंत्र की मजाक है कि राज्यपाल बगैर मंत्री मंडल की सिफारिश के काम करें....

श्री रामानन्द अग्रवाल : अगर यह तथ्य वास्तव में सही है कि मंत्रिमंडल की बिना सिफारिश के यह अध्यादेश जारी किया गया है तो इस सदन की एक कमेटी बनाई जानी चाहिए जो इस तथ्य की जानकारी करे और मंत्री महोदय इस बात का उत्तर दें। अगर वास्तव में यह बात सही है तो राज्यपाल का इम्पीचमेंट किया जाना चाहिए कि इस तरह से गैरकानूनी रूप से एक मंत्री से सांठ-गांठ करके राजस्थान की जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ किया है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : उनको बर्खास्त करना चाहिए।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : यह तथ्य तो प्रकट हो जाय कि मंत्रीमंडल ने सिफारिश की या नहीं।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा : यह गंभीर मसला है। मैं नम्र निवेदन करता हूं कि सदन की ओर से राज्यपाल महोदय को उपाध्यक्ष महोदय, आप पत्र लिखें कि वह इस सदन में आकर उपस्थित हों और बयान दें कि उन्होंने इस तरह से कानून की और भारत के विधान की अवहेलना क्यों की है। एक बार पहले भी इस सदन में राज्यपाल महोदय ने इस प्रकार संविधान को चबाकर खाया था और फिर उन्होंने आज इस प्रकार कार्य किया है तो इन्क्वायरी कमेटी बैठाकर यह जानना चाहिए कि यह तथ्य सही है या नहीं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : अगर मंत्रीमंडल में इस तरह के अध्यादेश निकालने की कोई सिफारिश नहीं है या केबीनेट ने अपनी बैठक में इस बात के लिए कुछ लिखा है तो उनकी प्रोसीडिंग्स होंगी तो वह आप मंगाकर देखें कि इस तरह का कोई प्रस्ताव या राय मंत्रीमंडल ने राज्यपाल-महोदय को भेजी क्या, इसको आप जल्दी मंगवाएँ नही तो ये जल्दी छपवा सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मंत्री महोदय बता देंगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : केबिनेट प्रोसी-डिंग्स को सील करके सदन की मेज पर रखा जाय।

श्री रामानन्द अग्रवाल : इसका पूरा खतरा है। माननीय जनसंघ के नेता की ओर से इस तथ्य को बड़ी जिम्मेदारी के साथ रखा गया है। तो केबिनेट प्रोसिडिंग्स के तमाम रेकार्ड को इस समय सील किया जाय और सदन की मेज पर रखा जाय वर्ना पूरी तरह से खतरा है कि उसमें गड़बड़ करदी जायगी या उसमें कोई ऐसे रेकॉर्ड को इन्ट्रोड्यूस किया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : भाषण को समाप्त होने दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : जब तक माननीय सदस्य का भाषण पूरा होगा तब तक यह बात केबिनेट प्रोसिडिंग्स में एजेंडा के रूप में दर्ज हो जायगी। प्रस्ताव आ जायगा, स्वीकृति हो जायगी और नई प्रोसिडिंग्स बन जायेगी। इसलिए प्रोसिडिंग्स सील की जायं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इज्जत के साथ निवेदन

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

करता हूं विरोधी पक्ष के माननीय सदस्यों से कि जनसंघ के नेता को क्या कहना है, उनकी बात को शांतिपूर्वक सुनें। अगर राज्यपाल महोदय ने कोई ऐसा कदम उठाया है जो अवैधानिक है या असम्माननीय है तो उस पर जो कुछ भी हमको विचार करना है और जो कदम उठाना है वह हम उठायेंगे। लेकिन वैधानिक अधिकार हैं राज्यपाल के कि खास-खास परिस्थितियों में वह मंत्रीमंडल को बर्खास्त कर सकता है। जनसंघ के माननीय नेता को क्या कहना है वह हमको शान्तिपूर्वक सुन लेना चाहिये और उसके बाद में विचार करना हो वह विचार कर लें।

श्री रामकिशन (वैर) : मंत्रीजी सुन रहे हैं। मंत्रीमंडल ने बैठक की, रात के दस बजे राज्यपाल को इन्फोर्म किया गया कि बोर्ड का कम्पोजिशन गैर कानूनी है, दूसरे दिन ऑर्डिनेन्स निकल जाता है मंत्री मंडल का सवाल ही नहीं है। इसलिये जनसंघ के माननीय नेता श्री सतीशचन्द्रजी को आगे सुनें उससे पहले केबिनेट की प्रोसिडिंग्स को काबू में लिया जाय और जो यह संवैधानिक मामला है जिस पर सदन गम्भीरता से विचार करता है इसलिए इसमें ढील न की जाय। यह तो मंत्री महोदय कह दें कि तथ्य गलत हैं, तब जनसंघ के नेता जो तथ्य लाना चाहेंगे वे लावेंगे।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या मंत्रीजी इस तथ्य को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं? मंत्रीजी बैठे हैं। एक स्टेटमेंट इस बात का दिया गया, अगर मंत्रीजी उसको कॉन्ट्राडिक्ट करें या कांट्राडिक्ट नहीं करते हैं तो साफ मतलब है कि यह तथ्य सही है और सदन में उन तथ्यों को सही मान कर, जो आगे की कार्यवाही की जानी चाहिये वह हम करेंगे।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (सिंचाई मंत्री) : मैं यह रखना चाहता हूं कि माननीय सदस्य बहुत देर से इस बात पर विचार कर रहे हैं कि कौंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने गवर्नर को क्या एडवाइस की उसकी इन्क्वायरी होनी चाहिये तब ही यह मामला आगे बढ़ सकता है। सदन के माननीय सदस्यों ने जो बात कही है उसी पर मैं यह एतराज करता हूं कि सदन को या माननीय सदस्यों को या किसी अदालत को इस बात का अधिकार नहीं है कि क्या सलाह मंत्री मंडल ने गवर्नर को दी?

श्री रामानन्द अग्रवाल : सलाह के लिये बात नहीं कर रहा हूं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : इसलिये कॉन्स्टीटयुशन की क्लॉज १६३ उसकी सब-क्लाज (३) है उसमें लिखा है :

"The question whether any and, if so, what advice was tendered by the Minister to the Governor shall not be enquired into."

कोई भी एडवाइस उन्होंने एफरमेटिव दी या नेगेटिव दी, या दी या नहीं, कोई भी कोर्ट इन्क्वायरी नहीं कर सकती है। इसलिये इस पर बहस बढ़ाना उचित नहीं है। मेरिट्स पर बहस कर सकते हैं, उसका समय आवेगा जब जवाब दिया जायेगा।

श्री रामकिशन : जो मंत्री महोदय ने कहा....

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : मंत्री मंडल की एडवाइस पर गवर्नर ऑर्डि-

(श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा)

नेन्स निकलता है। एक केस में यह स्थिति हुई। अभी सम्माननीय सदस्य द्वारा पढ़ा गया वह इतना स्पष्ट है कि इमर्जेन्सी में एक चीज की जाती है। उस बिल को अभी पढ़ा है अभी हाल ही में, उससे पता चलेगा कि जिन स्थितियों में यह ऑर्डिनेन्स निकाला, ५ को हुआ और ६ को निकला, उसकी भाषा ऐसी लचीली है कि गवर्नमेन्ट को पता ही नहीं होने दे। टेक्निकल बात पर उठ जाने के बाद सारे अधिकार गवर्नमेन्ट को है। यह भाषा पर डिपेन्ड है। मैं ऑर्डिनेन्स निकालने के खिलाफ हूं। दस साल के बाद अचानक कोई चीज पैदा हुई, अचानक बात आती है, बीस साल में काम खत्म हो जाता है उस बोर्ड के द्वारा, वह गैर कानूनी हो गया। सिवाय ऑर्डिनेन्स निकालने के और कोई चारा ही नहीं रह जाता है। इसका क्राइटेरिया वही होना चाहिए जो कॉन्स्टीट्यूशन में दिया हुआ है। फॉर्मेलिटीज में पहुंचे या नहीं, मैं नहीं जानता। जबाब तो आने दें उसका।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : अभी माननीय सदस्य ने कहा उससे स्पष्ट होता है कि परिस्थितियों के कारण कार्यवाही हुई है। मैं उन परिस्थितियों पर नहीं जाना चाहता। जनतन्त्र में घटनायें घटती हैं और कोई विशेष परिस्थिति बताकर उसको टाल देना, क्या मंत्री लोग बैठ नहीं सकते थे, बातचीत नहीं कर सकते थे, कौनसी परिस्थिति आ गयी थी? यह उचित नहीं है। मैं बताना चाहता हूं कि असलियत क्या है। मंत्री मंडल को टाल दिया गया और नौकरशाही ने इसकी कार्यवाही कर ली।

श्री उपाध्यक्ष : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अब माननीय सतीशचन्द्रजी पजेशन ऑफ दी फ्लोर हैं। वे सब बातें कह रहे हैं। उन्हें कहने दिया जाय। या तो यह माना जाय कि उनका भाषण समाप्त हुआ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह आप कैसे मान सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष : Don't allow others to interrupt.

श्री मुरलीधर व्यास : पहले वह बात क्लीयर हो जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री रामकिशन : एक प्रश्न है...

श्री उपाध्यक्ष : Shri Satish Chandra is in possession of the floor.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दूसरों को बोलने देना या न देना, यह आपका काम है, मैं कैसे रोक सकता हूँ? मेरे साथी बोलना चाहें, मैं बोलने दूंगा और खास तौर से जब वे मुझे सपोर्ट कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं श्रीमान ज्वालाप्रसादजी ने जो बात कही थी कि सरकार को हम फेल नहीं होने दे सकते थे इसलिये ५ तारीख को जब फैसला हो गया तो ६ तारीख को ऑर्डिनेन्स निकलना जरूरी था। ऑर्डिनेन्स आप निकालते आये हो; वह अलग पक्ष है। यह ऑर्डिनेन्स निकालने की नौबत क्यों आयी? दस साल तक आपका राज्य क्यों ऐसे चलता रहा? ऑर्डिनेन्स निकाला कहीं ऐसा न हो कि जिस प्रकार पैसेन्जर टैक्स का ऑर्डिनेन्स निकाला इतना

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

गलत निकाला, मुद्दे सदन में उठाये गये, फिर उसको चैलेंज किया गया और उसके बाद आप वेलिडेटिंग ऑर्डिनेन्स लाये, बिल लाये, फिर कहते हैं कि यह ऑर्डिनेन्स निकाला उसके तहत बिल बनाने जा रहे हैं, उसमें लेकुना क्यों रखे गये ? जिस तरह से पेश होना चाहिए उस तरह से क्यों नहीं रखा गया ? एक सवाल है जो मैंने सदन में पेश किया और मुझे खुशी है कि भूतपूर्व उप-राजस्व मंत्री श्रीमान् रामप्रसादजी लड्ढा को भी इस बात का साहस नहीं हुआ कि वे सदन में खड़े होकर कह सकें कि ऑर्डिनेन्स जारी करने से पहले मंत्री परिषद में विचार किया गया और उसको स्वीकार करके, एन्डोर्स करके फिर उसको निकाला गया। वे इस स्थिति में नहीं हैं कि इसको डिनाई कर सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, इसके स्पेसिफिक एलीगेशन्स लगाये गये। मैं माननीय सदस्यों की संतुष्टी के लिये बताना चाहूंगा कि रामानन्दजी पूछने आये। मैं पैराग्राफ ७ और १५ पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। पैराग्राफ १५ इस प्रकार से है। एक पिटीशन इसको चैलेन्ज करने के लिये रेवेन्यू बोर्ड में पेश हुई। हलफ नामा पेश हुआ या नहीं, मुझे इसकी जानकारी नहीं है। यह पिटीशन पेश हुई जिसके पैराग्राफ नम्बर १५ में लिखा है :

"The Governor of a State has to act on the advice of the Council of Minister's; no recommendation has been made by the Council of Ministers as not Cabinet meeting has taken place. Even the Minister-in-charge of Revenue portfolio has not been consulted The ordinance has been issued at the instance of high ranking civil servants of the State creating a monopoly for a particular class of civil servants. The Governor has also not independently applied his mind subjectively and objectively to achieve an independent judiciary.'

इसके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना। एक पैराग्राफ नम्बर ७ है, इसमें भी एलीगेशन लगाये हैं।

"That the issuance of such ordinance is in colourable exercise of the legislative power and has been issued malafidely at the instance of the civil servants exercising executive power simply with a view to provide employment to a certain class of civil servants. There has been no satisfactions of the Governor for the issuance of the ordinance and the same has been passed post-haste. The ordinance is, therefore, invalid."

पैराग्राफ नम्बर ७ में जो मेलाफाइडी का एलीगेशन है, इसके बारे में मैं अधिक नहीं कहना चाहता।

पर दूसरा पैराग्राफ है १५, जिसमें स्पेसिफिक एलीगेशन लगाये हैं। केबिनेट की बैठक नहीं हुई और स्वयं राजस्व मंत्री महोदय से राजस्व मण्डल के सम्बन्ध में अध्यादेश जारी करने के लिए पूछताछ नहीं की गई। उनको तक नहीं पूछा गया। मंत्री

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

मण्डल में भेदभाव होंगे। पर कानून चलाने में सम्बन्धित मन्त्री को न पूछा जावे, यह उचित नहीं है। मन्त्रीजी के सुखाड़ियाजी से मतभेद हो सकते हैं। पर मंत्री मण्डल के मतभेद इस सीमा तक पहुंच जायं कि सम्बन्धित मंत्री को पूछा भी न जावे और सेक्रेटेरियेट के अधिकारी डाइरेक्ट सुखाड़ियाजी के इन्स्ट्रक्शन्स पर हुक्म जारी कर दें तो यह शर्म की बात है सरकार के लिए और सोचने की बात है सदन के लिए। यह ममला साधारण नहीं है।

मैं समझता हूं मेरी जानकारी में आज तक हिन्दुस्तान में ऐसी मिसाल नहीं होगी कि किसी सम्बन्धित मन्त्री महोदय को पूछा तक नही गया हो और ऑर्डिनेंस जारी करा दिया गया हो।

श्री रामानन्द अग्रवाल : ओन ए पोइन्ट ऑफ इन्फोर्मेशन, सर, इस प्लेन्ट का जो जवाबदावा सरकार की तरफ से दिया गया, उसमें इस १५ पेरा के बारे में क्या जवाब सरकार ने दिया है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने एक जानकारी चाही है कि इसका जवाब सरकार की ओर से क्या दिया गया। मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा तो कुछ नही बता सकता, क्योंकि डिटेल तो इसकी मेरे पास नहीं है। लेकिन जो जवाब स्टेट की ओर से पेश हुआ उसके पैराग्राफ नम्बर ७ में, जो मैंने पढ़ा है, इसके बारे में लिखा है :

"The contents of para 7, 8, 12 and 15 are not based exclusively on the contents of certain documents but are based mostly on assumptions and conjectures which may not be correct"

"Which may not be correct" यह लिखा है। एक पेरा और पढ़ देता हूं :

"That by the application dated 18-8-66, the appellant wants to make a fishing enquiry which is not permitted in law, and it appears that the appellant now wishes to fill in the lacunae which he left in the application, and that the previous application which contained serious allegations against the civil servants, the Council of Ministers etc. were made without care and precaution."

और उन्होंने कहीं पर भी सेटिसफेक्टरिली इससे डिनाई नहीं किया है। सिर्फ यह कह कर छोड़ दिया है कि they may not becorrect फिर सरकार ने कहा है :

"That the documents referred to, in the alternative, are privileged documents and cannot be produced before the learned Court and cannot be made subjects to inspection by any party"

केबिनेट की प्रोसिडिंग्स उसके सम्बन्ध में जो जो हुई उसको कोर्ट ने मंगाना चाहा पर इन डॉक्युमेन्ट्स को सरकार ने प्रिविलेज क्लेम कर लिया। पर सदन तो सुप्रीम है। कोर्ट के सामने वे प्रिविलेज क्लेम करें या न करें, पर सदन अपने अधिकारों के बारे में जागरूक है। वह सरकार को बाध्य कर सकता है कि सदन के सामने सरकार सारी स्थिति और सारे डॉक्युमेन्ट्स रखे। मैं इससे ज्यादा इस सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री रामानन्द अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्षजी, माननीय रेवेन्यू मन्त्रीजी कुछ उत्तर देना चाहते थे और इस तथ्य के बारे में कम से कम जो भी सन्देह था वह भी समाप्त हो सके तो इस दृष्टि से उनको बोलने की अनुमति प्रदान की जावे ।

श्री उपाध्यक्ष : पहले माननीय श्री अग्रवाल बोल लें; उसके बाद ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस आर्डिनेंस के सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा जा सकता है । दस साल तक रेवेन्यू बोर्ड और इस राजस्थान की सरकार के अधिकारी जिन्होंने ये नियम नहीं बनाये, जिन्होंने नोटिफिकेशन नहीं निकाले जिन्होंने बोर्ड के सदस्यों की योग्यता निर्धारित नहीं की, जिन्होंने बोर्ड के मेम्बरों की संख्या निर्धारित नहीं की और जिनकी इस लापरवाही के कारण राजस्व मण्डल की आज यह स्थिति हुई । मैं पूछना चाहता हूं कि उन अधिकारियों के खिलाफ जो इसके लिए जिम्मेदार थे, आपने कोई कार्यवाही की है या नहीं ? जो अधिकारी गलती करते रहे, जिनकी गलती और लापरवाही के कारण आपका कानून चैलेन्ज होता रहा, कानून अल्ट्रावायर्स डिक्लेयर होता रहा और राज्यपाल महोदय को सात लाख रुपया खर्च करने के लिए सिर्फ इसलिए दे दिया जावे कि वह सिर्फ लापरवाह अधिकारियों द्वारा भेजे गये इस तरह के गलत-सलत कागजों पर केवल मोहर लगा दिया करें तो उस सात लाख के बारे में तो आप सोचें, मैं तो यह जानना चाहता हूं कि उन अधिकारियों के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की, जिन्होने दस साल तक कानून का राज्य नहीं रहने दिया, गैर कानूनी ढंग से लोगों को न्याय के स्थान पर अन्याय दिलाते रहे ? भले ही आपने अपनी एक कलम से उस सबको वेलिडेट कर दिया हो पर दस साल तक वह रेवेन्यू बोर्ड इनवेलिड काम करता रहा । कौन इस तरह से कराता रहा, जो अधिकारी कराते रहे, उनके खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है ? मैं उम्मीद करता हूं कि राजस्व मंत्री महोदय इसका उत्तर देंगे ।

उपाध्यक्ष महोदय मैं इस सिलसिले में एक बात और निवेदन करना चाहता हूं । मैंने अभी एक बात कही थी कि राजस्थान के मंत्री मण्डल में गहरा मतभेद है । लेकिन नहीं, गहरा मतभेद कितना भी हो, वह उनकी पार्टी तक सीमित रहे तो दूसरों को कहने का कोई मौका नहीं मिल सकता । पर दुर्भाग्य इस बात का है कि आज प्रशासन पर उनके इन गहरे मतभेदों की काली छाया पड़ रही है । राजस्व कानून और राजस्व मण्डल से सम्बन्धित कानून बने और सम्बन्धित मन्त्री से सलाह-मशिवरा न हो, सीधे मुख्य मंत्री की सलाह से या दूसरे किसी मन्त्री के प्रभाव से वह कानून बना दिये जावें और प्रकाशित करवा दिया जावें इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति इस राज्य की और इस राज्य के प्रशासन की और क्या हो सकती है ? कितना गिर गया है स्तर इस राज्य के इस प्रशासन का, इसका एक दूसरा उदाहरण और देना चाहता हूं ।

आज जितनी मखौल और मजाक इस प्रदेश की और देश की जनता के साथ हो रही है उतनी पहले शायद ही हुई हो । हमारे माननीय सदस्यों को याद होगा जब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष का चुनाव होने वाला था मई और जून के महीनों की यह बात है और

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
उस चुनाव को लेकर श्री कुम्भारामजी और सुखाड़ियाजी में गहरा मतभेद हो गया था और जब कुम्भारामजी ने मोर्चा खोला सुखाड़ियाजी के खिलाफ तो सुखाड़िया जी की तरफ से वक्तव्य देकर नारा लगाया गया कि शायद कुम्भारामजी सीलिंग कानून में संशोधन कराना चाहते हैं, वे जागीरदारों से मिल गये हैं। मुझे उनकी योग्यता के बारे मे कुछ नहीं कहना। उनके झगड़ों और आपसी मोर्चों के बारे में कुछ नहीं कहना; पर जो बात राजस्थान के प्रशासन और जनता से सम्बन्धित है, मैं उसकी ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

पी.ए.सी. के चेयरमैन श्री फूलचन्द जैन कुम्भारामजी के खिलाफ वक्तव्य दें। मुझे उसमें भी नहीं पड़ना है। पर एक बात साफ है कि राजस्थान के मंत्रि मण्डल में मतभेद की बात सामने आती है। श्री मोहनलालजी सुखाड़िया ने १५ जुलाई को पत्रकारों के समक्ष इस सीलिंग के सवाल पर जो बयान दिये और उससे सम्बन्धित जो समाचार अखबारों में प्रकाशित हुये कि 'मन्त्री मण्डल के द्वारा सीलिंग कानून में संशोधन अस्वीकृत। मूल कानून लागू होगा। मुख्य मन्त्री का पत्रकारों को बयान।' वह मैं आपके सामने रखता हूं :

"महत्वपूर्ण निर्णय। चार घण्टे की बहस के बाद अनिश्चितता को समाप्त करते हुए मुख्य मंत्री ने बताया कि सीलिंग कानून में किसी प्रकार का कोई संशोधन स्वीकार नहीं किया गया यह निर्णय मन्त्री मण्डल की बैठक में लिया गया। इससे दो लाख खातेदार प्रभावित होंगे, जबकि सारे प्रदेश में चालीस लाख खातेदार हैं। प्रभावित होने वालों में भूतपूर्व राजा महाराजा और बड़े-बड़े किसान हैं।

मुख्य मन्त्री श्री सुखाड़िया ने मन्त्री मण्डल के निर्णय की घोषणा करते हुए कहा कि बहुमत के विचार को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सीलिंग कानून में किसी भी संशोधन को अस्वीकार कर दिया। मूल कानून में संशोधन के प्रस्तावक थे राजा हरिश्चन्द्रसिंह।"

आदि, आदि अनेकों बातें हैं। और आगे है समाचार। पर मैं उनमें नहीं जाना चाहता। इस सदन के सदस्यों को मुख्य मंत्री ने भरोसा दे दिया कि १४ जुलाई को सीलिंग कानून की अनिश्चितता को खतम कर दिया गया है और घोषित किया है कि प्रस्तावित संशोधित कानून को नामन्जूर कर दिया है।

मैं राजस्व मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि क्या १४ जुलाई को राजस्थान की केबिनेट में कोई डिसीजन हुआ? मेरी [illegible] जानकारी है कि राजस्थान की केबिनेट में १४ जुलाई को कोई डिसीजन नहीं [illegible]। आज तक उस केबिनेट में वह मामला पेन्डिंग है और ऐसा करके राजस्थान की जनता के साथ सुखाड़ियाजी ने धोखा किया है, राजस्थान की जनता के साथ फॉड किया है, राजस्थान की जनता को चीट किया है, यह कह कर कि जो प्रस्तावित संशोधन थे उनको अस्वीकार कर दिया। मैं निश्चित जानकारी से उपाध्यक्ष महोदय, कह सकता हूं कि १४ जुलाई की मंत्री मण्डल की बैठक में कोई निर्णय नहीं हुआ और उसके बाद में जारी होने वाले एजेण्डा और उसके बाद में जारी हुए मीमोज हैं उनमें यह मामला पेन्डिंग रहा है और जुलाई के बाद भी पेन्डिंग रहा है, अगस्त में पेन्डिंग रहा है और सीलिंग के

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
बारे में कोई डिसीजन नहीं हुआ। और राजस्थान के मुख्य मंत्री श्री मोहनलालजी सुखाड़िया ने राजस्थान के प्रगतिशीलजनों को, व्यक्तियों को और सारी चीजों को दबाने के लिए कह दिया कि केबिनेट में सीलिंग के बारे में डिसीजन हो गया और प्रस्ताव नामन्जूर हो गया। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि वहां की उस रोज की प्रोसिडिंग्स को मंगाया जाये और देखा जाये कि सुखाड़ियाजी ने कहां तक झूंठ और कहां तक सच कहा है और जो मैं कह रहा हूं वह कहां तक सच है या झूंठ है। अजीब तमाशा बना रखा है? राजस्थान सरकार की और आपकी बदनामी चाहे कितनी भी हो लेकिन आप जनता के जन जीवन के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं, जनता को धोखा क्यों दे रहे हैं? आज धोखा, फरेबी, झूठ, मक्कारी, धोखाधड़ी यह राजस्थान की कांग्रेस सरकार के पर्यायवाची शब्द बन गये हैं। Fraud, Forgery and 420, thy name is Government of Rajasthan. ऐसा भी मालूम पड़ता है उपाध्यक्ष महोदय, यह दो उदाहरण इस सदन मे मैंने इसके बारे में पेश किये हैं। वैसे तो आपस की बदनामी के कारण मुझे इस बात की तो खुशी है कि आज इस प्रकार से कांग्रेस के बड़े बड़े ईमानदार लोग चाहे वह बंगाल के अजय मुकर्जी हों, चाहे केन्द्र के श्री हुमायूं हों, चाहे बंगाल के घोष हों और चाहे श्री हरेकृष्ण महताब हों आज हिन्दुस्तान के हर ईमानदार कांग्रेसी ने बगावत कर रखी है। मुझे भी विश्वास है कि हमारे राजस्थान के भी बहुत बड़े ईमानदार व्यक्ति सुखाड़ियाजी की तानाशाही के खिलाफ अपना सिर ऊंचा कर रहे हैं वह सफल होंगे। वह कुछ भी करें लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं इसलिए कहता हूं कि आपके इस झगड़े से तो हमें नुकसान ही है। क्योंकि जो इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं वह भी कहते तो यही हैं कि कांग्रेस का साथ दो। सुखाड़ियाजी भ्रष्ट हैं तो क्या करें कुम्भारामजी कहते हैं कि हमारा साथ दो। इसलिए आपके झगड़े से तो हमारा नुकसान ही है। आप एक हो जाओ तो हमको कहने का तो आराम है–हम कह सकते हैं कि ज्वालाप्रसादजी ईमानदार हैं। वह अब नहीं कह सकते, क्योंकि सुखाड़ियाजी का विरोध कर रहे हैं। अब कहना मुश्किल है हमारे लिए। उपाध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान में क्या तमाशा बना रहे हैं। अजीब स्थिति पैदा हो रही है।

मैंने दो महत्वपूर्ण मुद्दे इस सम्बन्ध में ऑर्डिनेन्स के सिलसिले में सदन में निवेदन किये। मैं एक तीसरा छोटा सा मुद्दा अंत में कह कर इस सिलसिले में उपाध्यक्ष महोदय....

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, ऑन ए पॉइंट ऑफ इनफॉर्मेशन सर, मैं कहना चाहता हूं कि जो पोलिटीकल बात सम्माननीय सदस्य ने कही कि हर बड़े संगठन में और कांग्रेस में भी आज से नहीं हमेशा से आपस में हमारी डेमोक्रेटिक संस्था है उसमें थोड़े बहुत आपस में विरोध होते हैं लेकिन हम जनता को और इस सदन को यकीन दिलाना चाहते हैं कि इस विरोध का फायदा विरोधियों को नहीं मिलेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हमको नहीं मिलने वाला है। हमको तो नुकसान ही है ज्वालाप्रसादजी, और मैं पहले ही इसको कह

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हो रहा हूँ ! आचार्य द्रोण जिसके साथ थे वह कौरवों के साथ थे और वह बदनाम हुए। क्योंकि वह उन कौरवों के साथ थे जिन्होंने द्रौपदी का चीर हरण किया था। आचार्य द्रोण वैसे बहुत अच्छे थे लेकिन कौरवों के साथ रहने से बदनाम हो गये। आप सुखाड़ियाजी के साथ लगे हुए होते तो आपकी ज्यादा बदनामी थी। लेकिन अब तो आपने कांग्रेस को बचा लिया है, कुछ हिस्सों को बचा लिया है। इसलिए आप चिन्ता मत करिये आपने जो प्रवचन किया है उससे हमको कोई लाभ होने वाला नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक आदेश जारी हुआ और वह यह है :

"Sub . Appearance in the cases before the Board of Revenue, Rajasthan, Ajmer.

It has been noticed that most of the departments recommend for the appoi tme.it of their departmetal Pe·okars or private lawyers as special Government cou sels for the conduct of Government cases before the B ard of Revenue for Rajasthan This arrang men results in ex ra expenditure to Govenmetn as Shri Ba Krshna Pareek is alrea y Government Pleader fr the conduct of case before the Board of Revenue in which Government is interested.

It is therefore enjoined upon all concerned that in future all cases in the Board of Revenue may be entrusted to Shri Ba Krishn pareek only and to none else. If the services of any counsel are required in any particular case, special sanction of Legal Remembrancer may be obtained before entrusting it to any special counsel"

उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्व मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि यह राजस्व मण्डल में आपने दो दो वकीलों को क्यों रख छोड़ा है और यह दूसरे वकील आपने क्यों पैदा किये है। दूसरे वकील को छुट्टी भी दे दी लेकिन इनके ऊपर फिर भी दूसरा बैठा है। यही तो राजनैतिक कारणों के उदाहरण हैं। दूसरे कुदाल को आपने छुट्टी दे दी और उनको आपने कह दिया है कि उनकी नौकरी बर्खास्त, गवर्नमेंट के वकील वह नहीं रहेंगे। लेकिन राजस्व मंत्रीजी आप भूल गए। वह आपके नहीं लगते है लेकिन भूतपूर्व राजस्व मंत्री के लगते है और उनके ऊपर बड़े अहसानात है। आपकी आज्ञा का पालन नहीं हुआ। आपके आदेश जारी होने के बाद में भी रेवेन्यू बोर्ड में कुदाल साहब अदालत में एपीयर हुए और गवर्नमेंट की तरफ से एपीयर हुए। आप रेवेन्यू मिनिस्टर होंगे लेकिन आपकी वकत नहीं रही बल्कि दामोदर लालजी टेलीफोन पर कह दें तो उसकी कम्पलायेन्स रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमेन साहब कर सकते है। क्योंकि जिस बैंच में उसको इनलाऊ किया गया है आपके आदेशों के बाद भी, उपाध्यक्ष महोदय, दो-दो वकीलों की हाजिरी हो रही है। दो वकील एक ही साथ सरकारी वकील है। जो तारीख थी उस दिन कुदाल साहब भी कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने भी कहा कि मैं भी सरकारी वकील हूं

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

अदालत ने कहा कि दो-दो कैसे सरकारी वकील हो सकते हैं तो कुदाल साहब कहने लगे कि यह तो हमारे घर का झगड़ा है आप तो हाजरी दोनों की कर दो। यह तो ऐसे ही हुआ जैसे एक जगह एक तहसीलदार का ट्रांसफर हुआ और दूसरे का दूसरी जगह ट्रांसफर हुआ और पहलेवाले चार्ज लेने के लिए चले गए और उन्होंने चार्ज नहीं दिया क्योंकि उसके पास गवर्नमेन्ट ने ऑर्डर भेज दिये कि तुम्हारा ट्रान्सफर कैंसिल किया जाता है। उसने कहा कि मैं तो चार्ज लेकर आ गया इसलिए चार्ज लूंगा। नतीजा यह हुआ कि दोनों तहसीलदार एक तहसील में बैठे हैं। क्या तरीका है? दोनों परोकार का रहे हैं दोनों को तनख्वाह मिलेगी। कुम्भाराजी! एडमिनिस्ट्रेटिवली रेवेन्यू बोर्ड आपके अण्डर में नहीं है, आज भी दामोदरजी के अण्डर में है। आप रेवेन्यू मिनिस्टर होंगे लेकिन टोंक का कलेक्टर आपके अण्डर में नहीं है। आपके अण्डर में होता तो लाठी चार्ज वहां नहीं होता। क्योंकि दामोदरजी वहां से चुनाव लड़नेवाले हैं इसलिए लोगों को कैसे बदनाम किया जाये इसलिए लोगों के सिर फुड़वाये जा रहे हैं। यह क्या सिलक बनाया जा रहा है? यह क्या एडमिनिस्ट्रेशन में किया जा रहा है, क्या तरीका है? आपकी नहीं बनती है तो छोड़ कर आ जाओ और अगर रहना चाहो तो इज्जत से रहो, स्वाभिमान से रहो। अपने अधिकार है उनके साथ रहो। आपके झगड़ों के कारण से यह एडमिनिस्ट्रेशन पर रिफ्लेक्शन नहीं आना चाहिए। आप पी. सी. सी. में कुछ करो, कांग्रेस में कुछ भी करो, आपस में कुछ भी करो लेकिन यह बिहेवियर कौंसिल आफ के मिनिस्टर्स का आपके साथ इस प्रकार से रहे, इसे मैं समझता हूं कि यह सदन भी अच्छा नहीं समझता। यह परिस्थिति अच्छी नहीं है।

आज जो कुछ ज्यूडिशियल कोर्ट्स में हो रहा है, अजीब तमाशा हो रहा है। उनमें कोई सुनता नहीं, कोई समझता नहीं। सैकड़ों केसेज खारिज हो रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ, वह अलग मसला है उसके बारे में मैं यहां कहना उचित नहीं समझता। मेरे लिए वह कहना ज्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन ऐसी अनेक मिसालें हैं रेवेन्यू बोर्ड में। आप रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर्स की नियुक्ति कर रहे हैं उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस सम्बन्ध में अपना भाषण समाप्त करते हुए एक अन्तिम बात माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहूंगा और वह यह है कि आपने इसमें व्यवस्था की है जो भी व्यक्ति बारह साल का आइ. ए. एस. का एक्सपीरियन्स्ड होगा उसको रेवेन्यू बोर्ड का मेम्बर बनाया जायगा। उपाध्यक्ष महोदय गवर्नमेंट ने यह निर्धारित कर दिया कि रेवेन्यू बोर्ड के तीन मेम्बर और एक चेयरमैन होंगे कम से कम। यह ऑर्डिनेन्स जारी किया गया। इसमें यह व्यवस्था की गई कि हमारे बोर्ड के तीन मेम्बर होंगे और एक चेयरमैन कम से कम होगा। लेकिन ६ तारीख को जब आपने यह ऑर्डिनेन्स जारी किया, ६ तारीख को या ७ तारीख को तो उस समय रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर थे केवल दो और एक थे चेयरमैन। टेलीग्राफीकली आप ने सत्यप्रसन्नसिंह भण्डारी को इत्तिला दी कि उनको एडीशनल मेम्बर इन-एडीशन टू ओन ड्यूटीज रेवेन्यू बोर्ड का मेम्बर बना दिया है। खाना पूर्ति करने के लिए उनको मेम्बर बना दिया लेकिन आपने ऑर्डिनेन्स में लिखा है, कि उपाध्यक्ष महोदय, ऑर्डिनेन्स में लिखा है कि रेवेन्यू बोर्ड के जो मेम्बर बनेंगे वही होंगे जिनको १२ साल का

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

आई. ए. एस. का एक्सपीरियेन्स होगा । अब मैं सरकार से पूछना चाहूंगा कि आप बताइये कि बारह साल का एक्सपीरियेन्स इनमें से किस किस को है । देखिए रेवेन्यू बोर्ड में एक मेम्बर हैं श्री जी. बी. के. हूजा । बिना बारह साल का आई.ए.एस. का एक्सपीरियेन्स हुए कोई रेवेन्यू बोर्ड का मेम्बर नहीं बन सकता, ६ जुलाई, १९६६ को ऑर्डिनेन्स लगा कर यह व्यवस्था सरकार ने कर दी । उनकी योग्यताएं आपने निर्धारित कर दी, उनको मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है । आपने उसमें लिखा है, ऑर्डिनेन्स जारी किया है उस ऑर्डिनेन्स में लिखा है :

"The Board shall consist of a Chairman, and not less than three and not more than seven other Members.

'A person shall not be qualified for appointment as Member of the Board unless he has worked as an Officer in the Indian Administrative Service for at least twelve years."

अब आपने किस किस को मेम्बर बनाया है । एक हैं श्री जी. बी. के. हूजा, दूसरे हैं श्री सत्यप्रसन्नसिंह भण्डारी और चेयरमैन हैं श्री आर. के. चतुर्वेदी और एक सज्जन कोई और हैं । मैं राजस्व मन्त्री महोदय, आप से पूछना चाहता हूं कि श्री जी. बी. के. हूजा का आई. ए. एस. में जो कन्फर्मेशन हुआ है वह ५-६-५४ को हुआ है और इसमें १२ साल जोड़ें तो १२ साल होंगे ५-६-६६ को । ५-६-६६ को उन्हें आई ए० एस. में बारह साल होंगे लेकिन आप ने ९ जुलाई, ६६ को मेम्बर बना दिया । यह फिर चैलेंज हो रहा है और वह होगा । मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि चाहे आप अमेंडमेंट करें इस ऑर्डिनेन्स में और बारह साल से कम करें । दूसरे सदस्य हैं श्री सत्यप्रसन्नसिंह भण्डारी । उनका आई. ए. एस. में जो कन्फर्मेशन हुआ है वह हुआ है ८-५-५५ को और इसमें बारह साल जोड़ें तो वह होगे ८-५-६७ को, चुनावों के बाद । या तो आप संशोधन को वापस लें बारह साल की जगह दस साल करें; नहीं तो यह फिर दुबारा चैलेंज होगा, चैलेंज हो रहा है और फिर आपको दुबारा ऑर्डिनेन्स निकालना पड़ेगा । अगर आपको दुबारा ही ऑर्डिनेन्स निकालना है तो यह आपकी मर्जी है, मुझे कुछ नहीं कहना है लेकिन मेरा फर्ज है एक लेजिस्लेचर के नाते, इस सदन के सामने सारी खामियों को रख देना, जिसके कारण आज भी यह चैलेंज है, चैलेंज किया जा रहा है । वह डिसिजन फिर आपके खिलाफ आ सकता है । यह मामला हाई कोर्ट में जायगा और मैं जानता हूँ कि आप फिर ऑर्डिनेन्स निकालेंगे, यह जो मैंने डिटेल्स बताई हैं. यह कन्फर्मेशन की डेटस् की जो मेरे पास लिस्ट है, सब की लिस्ट है मेरे पास भगवतसिंह मेहता से लेकर गोकुललाल मेहता तक, सब की लिखी हुई है डेटस्, मेरे पास मौजूद है । तो या तो आप सीनियर आदमियों को रेवेन्यू बोर्ड में लगावें और जो अब तक जो उन्होंने गलत फैसले दिए हैं उनको फिर डिली- करिए या उसमें फिर संशोधन करिए, बारह साल की बजाय दस साल करिए । आप संशोधन करने में बड़े होशियार हैं । यह क्या कानून आपने बनाया है, कौन बताता है, कैसे बनाता है ? लेकिन दिक्कत यह है श्रीमान् कि ५ जुलाई को फैसला हुआ और मैं कहता हूं आपसे अब कि ऑर्डिनेंस कैसे जारी हुआ । फैसला पढ़ा ही नहीं कि रेवेन्यू बोर्ड ने क्या फैसला दिया । छः तारीख को ऑर्डिनेंस जारी हुआ । ५ तारीख को १० बजे रात को गवर्नमेंट को इत्तला

Page No. 62

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

हुई कि इस प्रकार का कोई फैसला हुआ है। उस फैसले की नकल के लिए कोई दरख्वास्त रेवेन्यू बोर्ड के सामने पेश नहीं की गई। जो फैसला श्री बलवन्तसिंह ने दिया उसकी साइक्लोस्टाइल कॉपी मेरे पास मौजूद है, जिन सज्जनों को चाहिये वे मुझसे ले सकते हैं। उस फैसले की नकल के लिए दरख्वास्त पेश नहीं की गई और जब ५ तारीख को फैसला हुआ और ६ तारीख को आर्डिनेंस भी निकल गया तो गवर्नमेंट को यह इल्हाम कैसे हुआ कि क्या फैसला हुआ है। गवर्नर साहब ने फैसला पढ़ा क्या कि क्या फैसला दिया गया है? ऐसा लगता है कि टेलीफोन से बात हुई और टेलीफोन से ही आर्डिनेंस जारी हो गया। यह टेलीफोन से आर्डिनेंस जारी किया जाय, यह अच्छी परम्परा सरकार ने डाली है। अदालत का फैसला पढ़ा नहीं और आर्डिनेंस जारी कर दिया। इसलिए ही यह नौबत आई है। ६ तारीख को जिस समय गवर्नर साहब ने, सरकार ने आर्डिनेंस जारी किया उस समय रेवेन्यू बोर्ड का फैसला राज्य सरकार के सामने नहीं था। राजस्थान की मंत्री परिषद् ने इस पर विचार नहीं किया, स्वयं राजस्व मंत्रीजी ने इस पर विचार नहीं किया और न मंत्री महोदय ने इस पर सिफारिश की। मंत्रीजी को, केबिनेट को कुछ पता नहीं, कोई आई. ए. एस. ऑफिसर होंगे जिन्होंने आर्डिनेंस बनाया और ६ तारीख को आर्डिनेंस निकाल दिया। बिना पढ़े लिखे, बिना फाइल देखे, बिना प्लेंटिफ का दावा देखे, बिना जवाब दावा देखे, बिना बयान पढ़े हाकिम साहब फैसला लिखने को तैयार हैं! यह आज का जमाना है। यह पहले के जमाने में होता होगा जिस समय हाकिम फैसला देता था तो वह यह नहीं देखता था कि इसको कौन से जुर्म में कितनी सजा होगी। इसको छः महीने की सजा देनी है, छः महीने की सजा इसको जरूर हो जाय, ऐसी दफा लगा दो। पहले सजा दे दो और उस सजा के लिए जो दफा लगती हो वह दफा लगा दो, यह पहले के जमाने में होता होगा। इसके बारे में आप लोग ही कहा करते थे लेकिन वही आज तुम्हारी हुकूमत में हो रहा है। वह १४ वीं सदी की हुकूमत थी जब पहले सजा सुनाते थे फिर दफा लगाते थे। आपने फैसला पढ़ा नहीं और आर्डिनेंस जारी कर दिया। फैसला पढ़ते हैं बाद में और पहले ही फैसला दे देते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यह आर्डिनेंस मेलाफाइडी जारी किया गया यह आर्डिनेंस बिना फैसले को पढ़े जारी कर दिया गया है, यह मंत्री परिषद् और सम्बन्धित मंत्री की बिना राय के जारी कर दिया गया है। हिन्दुस्तान में ऐसा उदाहरण मेरी नजर में आज तक आया नहीं है। यह क्या तरीका है इस तरह से कानून बनाने का और कानून निकालने का? तो इस प्रकार के कुछ मुद्दे मैंने इस संबंध में उदाहरण के तौर पर आपके सामने रखे। एक मोटी बात बूंदी की जमीन के मामले को मैं ढाबरियाजी के लिए छोड़ देता हूं, उसके कागजात न हैं तो वे मुझसे ले सकते हैं, मैं यह उन पर छोड़ता हूं। सुखाड़ियाजी के रिश्तेदारों को किस प्रकार से जमीनें अलॉट की गई और उसकी जांच के लिए रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर को नियुक्त किया गया तो उन्होंने किस तरह का व्यवहार किया और किस तरह से उस सारी चीज को अखबारों में निकाल दिया। रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर श्री मयंक ने फैसला दिया कि सुखाड़िया जी के रिश्तेदारों को जो जमीनें दी गई उसमें कोई

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)
अवैधानिकता नहीं है, वह बिल्कुल ठीक है।

(२.०० म.प.)

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या उस फैसले के खिलाफ रेवेन्यू बोर्ड में अपील पेंडिंग नहीं है? अगर अपील पेंडिंग है तो फिर आपने अखबारों में यह कैसे छपवाया? अभी फैसला आखरी नहीं हुआ लेकिन दुनियां भर में आप यह अफवाह फैलाना चाहते हैं कि सुखाड़ियाजी के सालों को जो जमीन दी गई है उसके बारे में रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर श्री मथोक ने जांच कर ली है और उन्होंने बताया है कि इस जमीन देने में कोई गलती नहीं हुई है। यह सारी जांच गलत है। उसके खिलाफ रेवेन्यू बोर्ड की डिविजन बैंच में मामला पेंडिंग है। ऐसी हवा मत बनाइये। उसके सारे कागजात श्रीमान् ढाबरियाजी अपने भाषण में रखेंगे। इसलिए मैं इस बारे में ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने जो संकल्प सदन में प्रस्तुत किया है उस संकल्प को स्वीकार किया जाय और इस अध्यादेश को अस्वीकार किया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ढाबरिया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय,...

श्री उपाध्यक्ष : श्री कृष्णकुमार गोयल।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जो संकल्प मैंने रखा है उसमें राज्यपाल महोदय द्वारा जो अध्यादेश जारी किया गया है उसको अमान्य करने की बात मैंने कही है। उपाध्यक्ष महोदय, अध्यादेश हमारी सरकार और हमारे राज्यपाल महोदय निकालने के आदी हो रहे हैं और इन अध्यादेशों को लेकर काफी झगड़ा हमारे इस सदन में पहले भी उठा है और आज जिस अध्यादेश के बारे में मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं वह एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात है, जिसके आधार पर इस सदन को निर्णय करना है कि यह अध्यादेश लागू करना चाहिए या नहीं। यह अध्यादेश इसलिए लागू किया कि रेवेन्यू बोर्ड के एक माननीय सदस्य ने सारे रेवेन्यू बोर्ड का जो गठन है उसको अमान्य कर दिया था।

इसके लिए यह नौबत क्यों आई? क्योंकि इस तरह की एक दरख्वास्त रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर दी गई कि यह रेवेन्यू बोर्ड जो है वह कानून के आधार पर जो नियम होने चाहिएं उन नियमों के तहत ठीक तरह से गठित नहीं है। यह दरख्वास्त जो दी गई थी वह बहुत ही सोच समझ कर दी गई थी, और उसका एक सम्बन्ध इस हाउस से भी है। उसका जिक्र मैं आपके सामने, उपाध्यक्ष महोदय, करना चाहता हूं।

इस सदन के अन्दर मैंने दो मसले उठाये थे। पहला उदयपुर मेडिकल कॉलेज के लिए जो जमीन अवाप्त की गई थी उसका जो मुआवजा उन लोगों को दिया गया था उसके अन्दर जो घोटाला हुआ है उसके बारे में इस सदन में मैंने आवाज उठाई थी और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जिस तरह के वे आदी बने हुए हैं किसी भी बात के लिए जांच कमीशन बैठाने के उस मामले में कह दिया कि मैं इस मामले में हमारे रेवेन्यू बोर्ड के

Page No. 64

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

मेम्बर जो मधोक साहब हैं उनको जांच करने के लिए एक जांच-कमीशन मुकर्रर करता हूं।

दूसरा ममला इसी सदन के अन्दर माननीय मुख्य मंत्रीजी के रिश्तेदारों को जो बूंदी के अन्दर जमीन एलॉट की गई थी उनके मामले में था और उस मामले के अन्दर भी यही माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसी सदन के अन्दर यह एलान किया था कि मैं इस मामले की सारी जांच करने के लिए हमारे रैवेन्यू बोर्ड के सदस्य श्री मधोक को मुकर्रर करता हूं। उस वक्त भी हमने इस सदन में कहा था कि आपका यह जांच कमीशन इस रूप में कि रेवेन्यू बोर्ड के एक मेम्बर को आप कमीशन के रूप में बैठायें ठीक नहीं है, क्योंकि वह तो आपका गुलाम है, आपका नौकर है और आप चाहेंगे वैसा ही फैसला देगा। इसलिए ऐसे केडर के आदमियों को जांच कमीशन में नहीं बैठाना चाहिए और अच्छे आदमियों को बिठाना चाहिए। पर उन्होंने एक नहीं तीन बार रिपीट करते हुए कहा इस सदन में कि वे रैवेन्यू बोर्ड के मेम्बर हैं और रैवेन्यू बोर्ड एक कोर्ट है और उसका एक सदस्य उसकी जांच करेगा तो आपको सेटिस्फेक्शन होना चाहिए।

माननीय उपाध्यक्ष, हमने जब यह बात रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर जाकर माननीय सुराणाजी ने और मैंने—मधोक साहब के सामने एक दरख्वास्त पेश की और वह दरख्वास्त इस आशय की पेश की कि आप एक मामले की जांच कर रहे हैं और रेवेन्यू बोर्ड के एक मेम्बर की हैसियत से तो आप हमको पार्टी बनाइये। हमारी एवीडेंस ली जाय लिखित में और हम जितना बयान देना चाहते हैं उनको रेकॉर्ड करें और सारी जो जांच आप कर रहे हैं वह ओपन में करें, कोर्ट के अन्दर बैठ कर करें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी बातों को सुन कर आपको ताज्जुब होगा कि यह रेवेन्यू बोर्ड जिसको आप एक ऑर्डिनेन्स के द्वारा फिर वापिस कानूनी रूप देना चाहते हैं उसके अन्दर मेम्बर जो बैठे हैं उनका चरित्र तो आप जरा मुलाहिजा करें कि किस तरह के आदमी हैं, किस निम्न-स्तर के आदमी है जिनको कि वहां पर बैठा रखा है और कहा यह जाता है कि रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर....

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य से निवेदन कर देना चाहता हूं.....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आप मेरी बात तो सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष : कि यह हमारी परम्परा रही है कि जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं उनके बारे में आक्षेप न लगायें। यहां पर मंत्री-मण्डल इसीलिए बैठा हुआ है कि जो रेस्पन्सिबल है वह आपके सामने है। बाहर के जो ऑफिसर्स इत्यादि, जो कि इस सदन के सदस्य नहीं हैं उन पर स्पेसिफिक चार्ज या दूसरा ताल्लुक न हो उन पर आप अपने भाषण के दौरान में कोई आक्षेप नहीं लगायें तो ज्यादा ठीक रहेगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उनका ताल्लुक नहीं मेम्बर साहब से इसीलिए कहा है। उन मेम्बर साहब को एप्लीकेशन दी। अदब के साथ हमने उनके चेम्बर में जाकर कहा कि चेम्बर एक प्राइवेट रूम है आप अदालत में आकर बैठें। हम अदालत में आपके सामने दरख्वास्त देना चाहते हैं। वे अदालत में

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

आये । हमने वकील मुकर्रर किया और वकील के जरिये हमने वह एप्लीकेशन माननीय सदस्य साहब को वहां पर दी । तो मेम्बर साहब वहां पर क्या कहते कि उस सारी ऐप्लीकेशन को पढ़ने के बाद, हमारे वकील के और हमारे सारे उजरात सुनने के बाद कि हम आपको इसका लिखित में जवाब दे देंगे । आप सुनिये, १५-२० रोज के बाद एक रजिस्टर्ड लेटर मधोक साहब का हमको यहां पर मिला है और उस लेटर में मधोक साहब यह लिखते हैं कि यह एन्क्वायरी मैं रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर की हैसियत से नहीं कर रहा हूं, पर मैं तो उनके हुक्म का गुलाम हूं जो कि यहां पर बैठ कर जांच कर रहा हूं रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर की हैसियत से जांच नहीं कर रहा हूं यह सारी चिट्ठी मेरे पास मौजूद है और इस वक्त मैंने भी इसी अध्यादेश को फिर चेलेन्ज किया है इसी रेवेन्यू बोर्ड की डिविजन बेंच में कि यह अध्यादेश भी गैरकानूनी तौर से निकाला गया है । वह ओरीजिनल चिट्ठी इस अध्यादेश के बारे में जो एप्लीकेशन दी है उसके साथ में मौजूद है । यह जो एप्लीकेशन दी गई है वह इसी आधार पर चेलेन्ज करते हुए दी गई है कि इस हाई कोर्ट (रेवेन्यू बोर्ड) का कॉन्स्टीट्यूशन के आधार पर जो गठन होना चाहिए वह नहीं है और वह खारिज होना चाहिए ।

इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि बोर्ड के मेम्बर के बारे में मैंने इसलिए कहा है कि वहां पर ऐसे मेम्बर बैठे हुए हैं कि जो चन्दा लेते हैं । बूंदी की जमीन के लिए गये वहां पर बूंदी गये और दूसरी जगह घूमते फिरे। रेवेन्यू बोर्ड से उन्होंने टी. ए., डी. ए. लिया और वे कहते हैं कि एन्क्वायरी रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर की हैसियत से नहीं कर रहा हूं । जब आप रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर की हैसियत से एन्क्वायरी नहीं कर रहे हैं तो आने-जाने का खर्चा कहां से लिया ? क्यों वहां से टी० ए० लिया ? क्यों वहां से डी० ए० लिया ? क्यों सारा काम रेवेन्यू बोर्ड के खर्चे पर किया ? जब आप यह कहते हैं कि ये सारी इन्क्वायरी रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर की हैसियत से नहीं कर रहे हैं तो यह सब क्यों ? माननीय उपाध्यक्ष, यह सही भी है । जब आपने यहां से हुक्म दिया सरकार ने कि जांच करो, मधोक साहब को उदयपुर मेडिकल कॉलेज के मामले में ऑर्डर्स गवर्नर की तरफ से दिये गये । गवर्नर साहब ने ऑर्डर दिया कि तुम इसकी जांच करो । पर बूंदी के मामले की जांच करने का आर्डर भगवतसिहजी मेहता ने दिया, क्योंकि गवर्नर भगवतसिहजी मेहता बन गये इसलिए भगवतसिहजी मेहता ने ऑर्डर दे दिया कि आप जांच करो और इन लाइन्स पर जांच करिये । तो हम आपसे बड़े अदब के साथ कहना चाहते हैं कि सदन में बैठ कर कहा जाता है कि मेम्बर रेवेन्यू बोर्ड के द्वारा जांच करवा रहे हैं और वह मेम्बर, रेवेन्यू बोर्ड कह दे कि मैं जांच रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर की हैसियत से नहीं कर रहा हूं, मैं तो जिसका गुलाम हूं उसके हुक्म की पाबन्दी कर रहा हूं.... तो अब आप बताइये कि कैसे क्या हो सकता है । ओरिजिनल लेटर अजमेर में है । मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि ३-४ रोज के बाद मैं सारा लैटर इस सदन की टेबल पर रखूंगा और उसमें जो कुछ बातें लिखी हैं वह मैं आपके सामने पेश कर दूंगा कि इस तरह से उन्होंने लिखा है और उसके बाद यह कहा कि कोई एवीडेन्स लेने को तैयार नहीं है । किसी को वे

Page No. 66

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

ग्रोपन कोर्ट में सुनना नहीं चाहते हैं, वे कहते हैं कि मैं किसी का बयान इस मामले में लेना नहीं चाहता हूं। मै इन्क्वायरी कर रहा हूं। मैं ग्रपने ढंग से कर रहा हूं, ग्रौर सरकारी नौकर की हैसियत से, जिसका मैं नौकर हूं उसके हुक्म का पालन करूंगा। मैं एवीडेन्स नहीं लेना चाहता हूं, यह बात जब उन्होने कही तब हमारे दिमाग में यह सवाल ग्राया कि ग्राखिर यह कौनसा रेवेन्यू बोर्ड है जहां कि इस तरह के मेम्बर बैठे हुए हैं कि जो यह कहते हैं कि हम तो रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर नहीं हैं। तब इस बात के लिए सारे कानून की छान-बीन करके कहा कि ये रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर्स वास्तव में मेम्बर्स, रेवेन्यू बोर्ड नहीं हैं। ग्रौर यह रेवेन्यू बोर्ड कानून के जरिए बनाया हुग्रा रेवेन्यू बोर्ड नहीं है। जब हमने एप्लीकेशन दी तब सारा मामला सामने ग्रा गया। मैं तो कहना चाहता हूं, ग्रापने कहा मेम्बर्स के प्रति इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए, मैं तो क्या कहूं बोर्ड ने ही फंसला दिया ग्रौर फैसला देने वाले ने यह नहीं कहा कि कानून की रक्षा के लिए मैं तो जिसका नौकर हूं उसके हुक्म का पालन करूंगा बल्कि उन्होंने यह कहा कि कानूनन सारा गलत है। उन्होंने हिम्मत की ग्रौर कह दिया कि सारा बोर्ड गैर कानूनी है ग्रौर इसने ग्राज तक जो काम किया है वह गैर कानूनी है ग्रौर गलत किया है। यह फैसला ५ तारीख को श्री बलवन्तसिंहजी, जो इस बोर्ड के मेम्बर थे, ने दिया। जिसकी तारीफ करनी चाहिए उसकी मैं तारीफ करता हूं। जो ग्रादमी ग्रपने ग्रधिकारों को गलत तरीके से काम में लेकर काम करता है उसके बारे में कहने में मैं हिचकिचाऊंगा नहीं क्योंकि वह गलती करता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस ग्रध्यादेश से जिस तरह के मेम्बर्स को ग्राप मेम्बर्स बनाना चाहते हैं, मैं ग्रदब के साथ कहना चाहता हूं कि राजस्थान का रेवेन्यू बोर्ड जिसके हाथ में बड़े पावर्स हैं, यह हमारे रेवेन्यू विभाग या उससे सम्बन्धित जितने काम हैं उनके बारे में सुनता है, जमीन के झगड़ों के बारे में सुनता है, हमारे टैक्सेज की ग्रपील वह सुनता है, म्युनिसिपेलिटीज के बहुत से मामले वह सुनता है, ग्रब जिसके हाथ में इतने बड़े ग्रधिकार हैं उसके मेम्बर्स के बारे में, उनको रखने के बारे में बहुत सोच समझकर कानून में किस तरह का प्रोविजन करना चाहिए यह सोचने की बात है।

५ तारीख को इस रेवेन्यू बोर्ड को ग्रवैधानिक घोषित कर दिया गया था। इस बोर्ड के जो चेयरमैन साहब हैं उनको भी इस बात का पता ५ तारीख को कोर्ट का समय समाप्त होने के बाद चला कि ग्राज बलवन्त-सिंह जी ने हमारे स्टेटस को खत्म कर दिया है ग्रौर ग्रब हम चेयरमैन नहीं रहे। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उन पर ग्रारोप लगाना चाहता हूं, ग्रापके द्वारा यह कहना चाहता हूं मंत्री महो-दय से कि इसकी ग्राप जांच करांइये। जैसे भाई सतीशजी ने कहा कि रेवेन्यू बोर्ड के इस जजमेंट की नकल सरकार ने नहीं ली, कानूनी तौर पर मैं फैक्ट्स रख दूं। ५ तारीख को यह फैसला हो गया उसके बाद रेवेन्यू बोर्ड को कानूनी ग्रधिकार नहीं रहा फिर चेयरमैन को क्या ग्रधिकार था कि फैसला लेकर, सारी फायल लेकर, फैसले की नकल लेकर ६ तारीख को वे राजस्थान की राजधानी में ग्राये? किस ग्रधिकार से वे सारी फायल उठा कर लाये ग्रौर उसे लेकर लीगल एड-

[redacted]

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

वाइजर के पास गये, नहीं सैक्रेट्री के पास गये ? उसके बाद कोई मन्त्रिमण्डल की बैठक नहीं हुई। अध्यादेश निकाला जाय, इस बारे में एक, दो मिनिस्टर्स की राय ली, कुछ ऑफिसर्स की राय ली और ६ तारीख को आधी रात के बाद अध्यादेश पर गवर्नर ने दस्तखत किये कि यह ऑर्डिनेन्स निकाला जाता है जो कुछ काम रेवेन्यू बोर्ड ने किया है उसको मान्यता दी जाती है।

मैं साफ तौर से कहूंगा कि जब ६ तारीख को यह हुआ उसमें लिखा है कि तीन मेम्बर्स और एक अध्यक्ष होना चाहिये। चेयरमैन खुद तो कुर्सी के मालिक बन गये उनको होश नहीं रहा। ७ तारीख को वे अदालत में बैठे और कहा कि आओ भाई फिर फैसला करें पर एक मेम्बर ने कहा कि यह कौनसा ऑर्डिनेन्स है इसके अनुसार आज हमें अधिकार नहीं रहा क्योंकि इसमें लिखा है कि तीन सदस्य होने चाहिये और चौथा चेयरमैन होना चाहिए लेकिन हम तो दो ही सदस्य हैं और तीसरे आप चेयरमैन हैं। लेकिन चौथा नहीं है। आप बोर्ड की कार्यवाही देखिये ७ तारीख को कोई कार्यवाही नहीं हुई। ८ तारीख को भी नहीं हुई। ८ तारीख को साढ़े चार बजे श्री एस० पी० सिंह भंडारी को, जो जोधपुर में थे, टेलीफोन करके बुलाया गया और उन्होंने अजमेर में आकर दस्तखत किये तब जाकर रेवेन्यू बोर्ड की कार्यवाही ८ तारीख को शुरू की गई। उस वक्त हमने फिर चेलेन्ज किया है कि ऑर्डिनेन्स के द्वारा रेवेन्यू बोर्ड को कॉन्स्टिटयूट किया है वह भी गैर कानूनी है उसके जरिये इसे वेलिडेट नहीं कर सकते, काम नहीं कर सकते। वह अब भी रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर्स के सामने पेंडिंग है।

मैं कहना चाहता हूं कि सन १९५६ में कानून बना उसकी तहत नियम बनाने चाहिये थे और जो क्वालिफिकेशन मेम्बर्स की निर्धारित करनी चाहिए वह नहीं की और आपने इस आधार पर कितनी ही इन्क्वारीज करवादी रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर्स से और अपने आपको दूध से धुला हुआ और भ्रष्टाचाररहित बताने की साजिश की। आपने किस प्रकार की कार्यवाही की है, यह बलवन्तसिंहजी के फैसले से सिद्ध होगया है। मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आपने जो इन्क्वायरी करवाई और उसकी जो रिपोर्ट आई वह गलत है सदन की मेज पर उसको रखिये। मेडिकल कॉलेज, उदयपुर की रिपोर्ट आई है, बूंदी की रिपोर्ट आई है उसको देखिए। आज भी आप कहते हैं रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर्स हैं, एक की तो छुट्टी हो गई, वे चले गये अब दूसरे मेम्बर को जो आपके कृपापात्र होंगे उनको काम सौंपेंगे। आज रेवेन्यू मिनिस्टर साहब अपने आपको किसानों का बहुत बड़ा नेता और हमदर्द समझते हैं, यदि वे वास्तव में किसानों के नेता हैं, किसानों को रिलीफ दिलाना चाहते हैं, किसानों के हितों की रक्षा करना चाहते हैं तो, मैं उनसे अदब से कहना चाहता हूं कि रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर्स बहुत ईमानदार और अच्छे प्रशासक होने चाहिए, ऐसे ही लोगों को रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर्स बनाना चाहिये; ऐसे लोगों को नहीं जो आज चेयरमैन और मेम्बर बने बैठे हैं जो किसी मिनिस्टर या डिप्टी मिनिस्टर की स्लिप आ जाय कि पटवारी का ट्रान्सफर कर देना तो रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमेन ट्रान्सफर कर देते हैं। यदि रेवेन्यू मिनिस्टर साहब जानना चाहें तो श्यामसुन्दर पुरोहित

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

जो बोड़ा में पटवारी थे उनके ट्रान्सफर के लिए श्री रामप्रसादजी लड्ढा ने स्लिप भेजी और उनकी स्लिप पर उनका ट्रान्सफर उदयपुर कर दिया।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Absolutely wrong. I emphatically deny.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जब श्यामसुन्दर जी वहां गये तो उनको स्लिप बताई और कहा कि ये उनकी स्लिप पर ट्रान्सफर किया है। वह स्लिप आज भी फायल पर मौजूद है, उसका ट्रान्सफर कैंसिल करके आपने उसको वापिस बुलाया है उसके लिए मैं दाद देता हूं। इस प्रकार जो दूसरे मिनिस्टर्स करते हैं उनको प्रोत्साहित नहीं करना है, राजनीतिक धांधली रोकनी है ऐसे आदमी जो वहां पर बैठे हैं उनको छोटे छोटे कामों के लिए इस तरह से डिस्टर्ब करते हैं, उनको ठीक करने की कोशिश करिये जिससे कि मेम्बर्स के ऊपर आस्था बनी रहे। तो मैं तो इस अध्यादेश के लिए आपसे कहना चाहता हूं रेवेन्यू मिनिस्टर साहब, कि यदि आप इसको फिर कानून का रूप देना चाहते हैं तो इस तरह मत दीजिए इस अध्यादेश को निकाल कर बल्कि एक नया कानून यहां पर पेश करिये और उस कानून में इस तरह के प्रोविजन्स रखिये कि जो आपके रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर हैं, जो चेयरमेन हैं उनका क्या क्वालिफिकेशन हो, वह किस तरह के आदमी हों। यह नहीं कि आई० ए० एस० ऑफीसर को आप बनादें। मैं तो इतना भी आपसे कहना चाहता हूं कि आई० ए० एस० के साथ साथ अगर आप चार मेम्बर रखना चाहते हैं, पांच मेम्बर रखना चाहते हैं या ज्यादा रखना चाहते हैं तो कम से कम एक तिहाई आदमी इस तरह के इस बोर्ड में होने चाहिएं जो वकील रहे हुए हों। उस जगह पर जो रेवेन्यू के मामलों में सुप्रीम और अच्छे वकील हों उनको आप बैठाइये। जो नॉन ऑफिसियल हों—इस केटेगरी में उन लोगों को बैठाइये। अगर रामप्रसादजी जैसे लोगों की घिसाई-पिटाई की ही मान्यता है तो इन जैसे लोगों के आधार पर वहां बैठे रहने वाले लोग बराबर गड़बड़ी करते रहेंगे। केवल एक मामले में गड़बड़ी हुई हो—ऐसी बात नहीं है। आज दिन तक देखें तो कितने ही मामले मिलेंगे। रेवेन्यू बोर्ड में सेक्रेटेरियेट का एक मामला गया। उसके बारे में सदन में आवाज भी उठी थी। एक आदमी वहां की सारी दिक्कतों के कारण मर गया और रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बरों ने उस आदमी की बात को नहीं सुना। इस तरह के जलील लोग हैं, ऐसे लोगों को वहां बैठा कर आप काम लेना चाहते हैं तो मैं यह समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। आपको हाई कोर्ट है उसमें जो मेम्बर लिये जाते हैं वह मेम्बर सीनियर वकील होते हैं और उनको ही वहां लिया जाता है। इस तरह आप नॉन-ऑफिसियल्स में से उसके अन्दर कम से कम एक-तिहाई आदमी लीजिये।

इसके साथ साथ रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर आज इस तरह के मुकदमों की स्थिति है, मैं आपसे कहता हूं कि १६५८ में जिस वक्त रेवेन्यू बोर्ड अजमेर गया उस वक्त रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर सिर्फ १७०० मुकदमे थे। आज आपके रेवेन्यू बोर्ड में करीब साढ़े पांच हजार, छः हजार मुकदमे पेंडिंग पड़े हुए हैं जिनके ऊपर कोई कार्यवाही नहीं होती है। वह इसलिए नहीं होती है कि मेम्बर साहब लंच आवर्स के पहले पहले कोर्ट का काम करते हैं और

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

उसके बाद में कोर्ट में आकर नहीं बैठते, वह कोर्ट का काम नहीं करते और दूसरे कामों में लगे हुए रहते हैं। रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमेन साहब तो दौरे पर चले जाते हैं, मथोक साहब सुखाड़िया साहब और उनके रिश्तेदारों के मामले में इन्क्वायरी में लगे हुए हैं, दूसरे मेम्बर किसी दूसरी इन्क्वायरी में लगे हुए हैं। तो फिर इन मुकदमों का फैसला कौन करेगा, जब कि यह लोग तो यह काम करते नहीं हैं और दूसरे काम करते हैं, और जो लोग इस काम पर लगे हुए हैं वह कहते हैं कि जो मेरा मालिक है उसकी मैं पगचम्पी करूं, उसके हुक्म का वह पालन करते हैं? इस तरह के वह काम करते हैं और अपनी ड्यूटी का पालन नहीं करते। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर मेम्बरों की संख्या बढ़ानी पड़े तो आप बढ़ाइये और अच्छे, योग्य और ईमानदार लोगों को रखिये जो लोगों को अच्छे से अच्छा और सस्ते से सस्ता न्याय दे सकें।

इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, क्योंकि हमने कमिश्नरों की जगह अबॉलिश कर दी है, खत्म कर दी है इसलिए रेवेन्यू बोर्ड को एक और अधिकार देना चाहिए, वह लाजिमी तौर से आप करायें। आज केवल तीन जिले हैं जिनके अन्दर जाकर रेवेन्यू बोर्ड की बैंच बैठती है और मुकदमों का फैसला करती है। आज २६ जिले राजस्थान के हैं। उनमें से दो चार छोटे हैं उनकी बात मैं नहीं करता लेकिन जो बड़े जिले हैं, जहां के काफी तादाद में मुकदमे हैं, वहां रेवेन्यू बोर्ड का बैंच महीने में एक हफ्ते के लिए वहां जाय और वहां जाकर लोगों के मुकदमों की सुनवाई करे और वहीं उनका डिस्पोजल होना चाहिए ताकि गरीब किसान जो हैं जो रेवेन्यू बोर्ड में उतना खर्च उठा कर मुकदमों की पैरवी नहीं करा सकते और यहां के बड़े बड़े वकीलों को बड़ी फीस नहीं दे सकते वह अपने ही क्षेत्र में जब वहां रेवेन्यू बोर्ड की बैंच जाय तो वहीं के वकीलों के द्वारा कम खर्च में न्याय प्राप्त कर सकें। अगर आप चाहते हैं कि जो मुकदमे पेंडिंग हैं उनका डिस्पोजल जल्दी हो सके तो इसके लिए जरूरी है कि जो बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं वहां रेवेन्यू बोर्ड की बैंच महीने में एक हफ्ते के लिए जाय और वहीं पर इन सारे मुकदमों का डिस्पोजल होना चाहिए।

इसके अलावा जो म्यूनिसिपैलिटी की अपील का काम उनको दे रखा है, टैक्सेज की अपील का काम रेवेन्यू बोर्ड को दे रखा है—उसके सम्बन्ध में मैं अपील करना चाहता हूं कि आप इसके लिए अलग से मेम्बर मुकर्रर कीजिये। कौन आदमी टैक्सेज की अपील सुनेगा, कौन आदमी म्यूनिसिपैलिटी की अपील को सुनेगा—इसके लिए अलग-अलग व्यक्ति को मुकर्रर करना चाहिए ताकि वह व्यक्ति सिर्फ उसको सौंपे हुए काम को ही करे। उसके साथ ही साथ उस पर चैक आप जरूर लगायें कि कोई मेम्बर सिवाय इस कानून के अन्दर उसको दिये हुए अधिकार के अलावा अपने मालिक के हुक्म को बजाने के लिए रेवेन्यू बोर्ड से तनख्वाह नहीं उठाये, टी. ए.–डी. ए. का पैसा नहीं उठाये और हराम की तरह, इस तरह की बात करने के लिए रेवेन्यू बोर्ड में जाकर नहीं बैठे। इस तरह आप जो रेवेन्यू बोर्ड और हाई कोर्ट जैसी संस्थायें हैं वहां इस तरह के चरित्र के लोगों को नहीं लगायें जो यह कह दें कि मैं अपने मालिक का हुक्म बजाने के लिए बैठा हूं। ऐसे व्यक्ति वहां नहीं होने चाहिए। इसके

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि ग्राप दूसरे मामलों को वेलिड करायें उसमें मुझे एतराज नहीं है क्योंकि इसका बहुत सारा सम्बन्ध उन लोगों से है ग्रौर पिछले दस सालों में जो रेवेन्यू बोर्ड के द्वारा फैसले दिये गये हैं उनसे सम्बन्ध है। अगर वह कानूनी रूप में होता है तो उससे मैं इन्कार नहीं करता। मैं यह जरूर कहना चाहता हूं, ग्ररे ग्राप जिन लोगों को पन्द्रह सौ, ग्रठारह सौ रुपये की तनख्वाह दे रहे हैं; जिनको ग्रापने स्पेशल पे देकर रखा हुग्रा है, जिन लोगों को पता नहीं कितनी फैसेलिटीज दे रखी हैं उन लोगों ने पिछले दस साल में नियम नहीं बनाये। यह सारे के सारे कानून बनने के बाद, १९५६ के बाद में बनने चाहिए थे, उनकी खाना पूर्ति होनी चाहिए थी मैं कहना चाहता हूं कि जिन ग्रॉफिसर्स ने वहां बैठ कर यह नहीं किया है, ग्राप तो खुद ऐसे ग्रॉफिसरों के खिलाफ हैं, जो ग्रॉफिसर ग्रपनी जिम्मेदारी को, ग्रपनी ड्यूटी को पूरा नहीं करता है ग्राप तो उसकी खिलाफत करने वाले हैं—ऐसे लोगों को ग्राप सजा दीजिये ग्रौर ऐसी सजा दीजिए कि फिर ऐसा काम करने की हिम्मत नहीं करे कि ग्रसेम्बली कानून बना दे उसके बाद दस साल तक नियम, उप-नियम नहीं बनें, जिस तरह सीलिंग का कानून पास कर दिया, उसके बाद १९६०–६१ में कहते हैं कि ग्रब हमने रूल्स बना दिये हैं ग्रौर ग्रब १९६६ में उसे लागू कर रहे हैं। ग्ररे यह क्या है? मैं इस हाउस के ग्रन्दर बैठने वाले माननीय सदस्यों को भी कहता हूं कि ग्राप सोचिये, १९५६ में एक कानून बना कर हम सरकार को यह ग्रधिकार दें कि ग्राप नियम बनाइये, उप-नियम बनाइये ग्रौर वह सरकार दस साल तक शांति से बैठी रहे ग्रौर कानून के नियम नहीं बनाये, उप-नियम नहीं बनाये, ग्रौर जो ग्रधिकार दिया गया है उसका पालन नहीं करे ग्रौर उसके कारण इस तरह की नौबत ग्रा जाय कि ग्राज हमें देखना पड़े कि ग्ररे यह गैर कानूनी काम कैसे हो गया। मैं तो उस एडवोकेट को, जिस एडवोकेट ने इस तरह का फैसला करवाया है, जनता को इस प्रजातंत्र के हक को हासिल कराया है, उस सूर्यनारायण पारीक को बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं जिसने हिम्मत करके इस निकम्मी सरकार की इस तरह की गैर कानूनी कार्यवाही को साबित कर दिया ग्रौर जिसने इस तरह का बहादुरी का काम किया है। उनको मैं बधाई देना चाहता हूं ग्रौर उसके साथ साथ एक बार फिर कहना चाहता हूं माननीय मंत्री, राजस्व मंत्री जितने फौलादी ग्राप हैं उतनी ही फौलादी कलम से ग्राप लिखें ग्रौर इस तरह के छोटे-मोटे लोगों के प्रभाववाले मेम्बर ग्रौर चेयरमैन को मत ग्राने दें। ग्राप योग्य ग्रादमी को रखें तभी ग्रापका रेवेन्यू बोर्ड वास्तव में रेवेन्यू के मामले में बहुत बड़ी ग्रॉथोरिटी हो सकेगा ग्रौर ईमानदारी से कम खर्च में लोगों के मामलों का फैसला हो सकेगा।

ग्रभी एक बात कही गई, जो सतीशचन्द्र ग्रग्रवाल हैं, उन्होने कहा कि ग्रापने एक वकील साहब को हटा दिया लेकिन वह ग्राज तक नहीं हटे हैं। हटेंगे कैसे? मैं जानता हूं, मथोक साहब को हमने दरख्वास्त दी थी कि हमको ग्राप पार्टी बनाइये, उस दरख्वास्त में मैंने यह लिखा था कि ग्राप यह जो सरकारी वकील हैं इन वकील साहब को इन्क्वायरी के ग्रन्दर ग्रपने साथ क्यों रखते हैं, इनसे क्या राय लेते हैं? वह साहब जो हैं, सुखाड़िया साहब की जमीन के मामले में मथोक साहब

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)
के साथ बैठें और पैसा सरकार से लें और पैरवी सुखाड़िया साहब और उनके रिश्तेदारों की करें। तो जब मधोक साहब कहते हैं कि यह मेरी गाइडेन्स के लिए वकील नहीं हैं तो फिर वह क्या करते हैं ? आने-जाने का सारा खर्चा बोर्ड के ऊपर और तनख्वाह बोर्ड से लेते हैं। जिसको आपने मुकर्रर किया चार सौ रुपये पर, फिर आठ सौ रुपये दिलवाये और फिर उसी को बारह सौ देने के लिए तैयार थे। ठीक है आपने उस वकील को निकाल दिया, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कि आप यदि अपने फौलादी हाथों से काम नहीं लेंगे तो आपकी बात को चलने नहीं देंगे। आज भी यह वकील मौजूद है और वहां बैठा है। उनके नीचे या उनके ऊपर पहले के कायम किये हुए वकील मौजूद होते हुए रेवेन्यू बोर्ड के आठ सौ रुपये के अन्दर पैरोकार हो राज्य सरकार की तरफ। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह जो लोग भाई-भतीजावाद से पलने वाले हैं उनको इतने बड़े अधिकार रखने से वंचित करिये और छुटकारा दीजिये। बहुत योग्यता रखने वाले हों उनको योग्यता के आधार पर रखिये और एक नया बिल गठन करने के लिए रखिये, जो सारी बातें पहले हो चुकी हैं जो लोग सारे मामले में फंसे हुए हैं उनको राहत मिले उनको वेलिडेट करना चाहते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन जहां पर क्वालिफिकेशन का प्रश्न है, अधिकार देने का प्रश्न है, एडवोकेट मुकर्रर करने का प्रश्न है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अच्छे चरित्रवाले और अनुभवी लोगों को बिठाइये वर्ना ऐरे गैरे नत्थुखैरे आकर बैठ जाते हैं और अपनी दखलंदाजी करेंगे तो ठीक नहीं होगा। इसलिए मैं बहुत ही अदब से कहना चाहता हूं कि यहां खड़े होकर कहूंगे कि बूंदी की इन्क्वायरी को उन्होंने वेलिड बता दिया। मैं यह कहूंगा कि दुनियां में कोई भी कानून ऐसा नहीं है और कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो तीन साल के बच्चे को जमीन दिलाने वाली बात को वेलिड करनेवाला होगा। ८ साल के लड़के को जमीन दो और जब उसके भाई, उसके बच्चे और भौजाई को जमीन मिल जावे और तीन वर्ष की बेटी को और ८ साल के लड़के को जमीन मिल जावे और एक ही परिवार के एक ही क्लेम से ८ आदमियों को जमीन मिल जावे और फिर यह कह दिया जावे कि ये कानूनन अधिकारी थे। ऐसा करने वाले वास्तव में मधोक हो सकते हैं। रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य नहीं मगर अपने मालिक के हुक्म बजानेवाले खाली आदमी हो सकते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि ऐसे लोगों से रेवेन्यू बोर्ड को वंचित रखा जावे और अच्छे आदमियों को उसमें रखा जावे और इसके साथ साथ यह भी कहना चाहता हूं कि जो आप जो बोर्ड को फिर से कायम करने जा रहे हैं उसमें सुधार करें और नये कानून पास करें और फिर बोर्ड का गठन करें।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई): उपाध्यक्ष महोदय....

श्री रामकिशन वैर: आपका है। आज ही सर्क्यूलेट हुआ है।

श्री उपाध्यक्ष: चूंकि समय बहुत दिया जा चुका है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंह नगर): दूसरे बिल बहुत छोटे छोटे हैं।

Page No. 72

श्री मथुरेशविहारी माथुर (बांदीकुई) : उपाध्यक्ष महोदय, गत ५ वर्षों में सरकार की ओर से जो ऑर्डिनेन्स निकाले जाते हैं और जिसके विषय में अध्यादेश गवर्नमेंट की तरफ से किया जाता है उन पर चर्चाएं होती हैं और उस पर जो सरकार के द्वारा ओर्डिनेन्स और बाद में बिल लाने की मनोवृति है, ऐसी आदत सी पड़ गई है इस पर सदन के अन्दर सभी लोगों ने प्रत्येक सत्र में कहा है ।

श्री उपाध्यक्ष : ऑर्डिनेन्स को भी आप....

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : उपाध्यक्ष महोदय, आज १५ सितम्बर है, सारे भारतवर्ष में हिन्दी दिवस मनाया जा रहा है....

श्री उपाध्यक्ष : कल मनाया गया था ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : १५ दिन तक चलेगा साहब ।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थानी दिवस मनाने का अवसर होगा या नहीं ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : इस पर भी प्रयत्न किया जावेगा ।

श्री मथुरेशविहारी माथुर : जिस प्रकार दो माननीय सदस्यों ने अपने अपने विचार रखे उसी तरह से मैं भी अपने विचार सदन के सामने आपके जरिये रखना चाहता हूं । सदन के समक्ष सरकार की ओर से यह बिल आया है । यह त्रुटियों से दूर है या इसमें कितनी त्रुटियें हैं जिसको चेलेन्ज किया गया है रेवेन्यू बोर्ड से । यह रेवेन्यू बोर्ड का गठन अवैधानिक था और उसको मानते हुए सरकार ने यह बिल हमारे सामने रखा है । आपके समक्ष यह एक विचारणीय विषय है कि इसमें जो कमी देखी गई हैं, खामियें देखी गई हैं वे यह थीं कि सरकार ने कुछ समय में उन माननीय सदस्यों के लिए जो बोर्ड के सदस्य हों उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है और अलग से कोई आर्डर नहीं निकाला । आज भी उस कमी की पूर्त्ति की गई है या नहीं; यह देखने का विषय है । अगर आज भी इसको देखें तो इसमें आज भी यही लिखा है :

"A person shall not be qualified for appointment as a member of the Board unless he has worked as an officer in the Indian Administrative Service for at least 12 years."

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जो इसका अभिप्राय या जो किसी भी सदस्य की क्वालिफिकेशन को निर्धारित करने का अभिप्राय है, पूर्त्ति होती है । मेरी ऐसी मान्यता है कि आज भी उस अभिप्राय की पूर्त्ति नहीं होती । आज भी क्वालिफिकेशन के बारे में नहीं है । आज भी निगेटिव फोर्म में यह लिखा गया है पोजेटिव फोर्म में नहीं लिखा गया है :–

"Qualification of a member of the Revenue Board shall be following–यह लिखा है : "A person shall not be qualified for appointment who has not put in service for 12 years."

ये दोनों आज भी आवश्यक हैं । मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपके द्वारा

(११.५ म. पू.)

(श्रीमथुरेश बिहारी माथुर)

कि हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश श्री भंडारीजी की अध्यक्षता में आपने एक कमेटी का गठन किया और रेवेन्यू कमीशन ने लैन्ड रेवेन्यू एक्ट में अपनी दूसरी रिपोर्ट दी है और वह आ चुकी है और सदन में प्रस्तुत है। उस कमीशन ने यह निर्धारित किया है कि रेवेन्यू बोर्ड के सदस्यों की क्या क्या क्वालिफिकेशन्स होनी चाहिये।

(१) वे कलेक्टर जिनको ७ वर्षों का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियेन्स हो।

(२) डिस्ट्रिक्ट जज हो या कोई।

(३) एडवोकेट हो जिसको १० साल से ज्यादा की प्रेक्टिस हो तो उसको लेने के लिये कहा है।

इस प्रकार की जज ऑफ हाई कोर्ट के लिये भी क्वालिफिकेशन है। उन्होने चेंज करने की सिफारिश की है और कहा है कि ३ आदमियों का एक बोर्ड होना चाहिये जो उनका चयन करे। जिसमें :

(१) पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन हों।

(२) चीफ जस्टिस हों।

(३) सरकार के चीफ सैक्रेट्री हों।

ये तीनों मिल कर बोर्ड के सदस्यों का चयन करें और फिर गठन करें।

मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपकी जल्दबाजी में क्वालिफिकेशन में नहीं लिया। आप केवल यह कह कर कि १२ साल का एक्सपीरियेन्स हो उसको सदस्य बना दिया जाए। वही बात जो पहले थी, जिस आदमी को आप सैक्रेटेरियेट से निकालना चाहते हों, छांट ऑफ करना चाहते तो उसको वहां पर भेज देते और जिस पर आपकी नाराजगी नहीं होती और जो थोड़े दिन बाद आपकी खुशामद करता हो उसको दुबारा आपने सैक्रेटेरियेट में बुला लिया। यही केवल आपने क्वालिफिकेशन का आधार रखा है और आई. ए. एस. ऑफिसरों के साथ मखौल किया है। एक बैंच का फैसला हुआ है तभी आप यह लाते हैं। जब आप यह मानते हैं कि धारा ४ के माफिक आपने इसका गठन नहीं किया है, क्या क्वालिफिकेशन आपने रखी जब आपने आज भी क्वालिफिकेशन नहीं रखी? तो आपका यह विधेयक अपूर्ण है। आप इसको सदन में अपनी शीयर मेजोरिटी के बल पर पास कराना चाहते हैं। इस बात का बड़ा दुःख है क्योंकि आज उसको भी चैलेंज किया जा सकता है; यह सदन के सदस्यों द्वारा है और इसको चैलेंज किया है। पहले भी चैलेंज किया था और फिर बोर्ड ने चैलेंज किया।

इस सारी रूपरेखा पर विचार किए बगैर, उसको देखे बगैर आप जल्दबाजी के अन्दर जो क्वालिफिकेशन निर्धारित कर रहे हैं वह बिल्कुल गलत होगी। आपको सबक लेना चाहिए, आपका जो तरीका है ड्राफ्ट बनाने का ड्राफ्ट बनते हैं आपके हुक्म की तामील के अन्दर, राजस्थान का इतिहास बताता है कि आज राजस्थान में कोई भी कानून ऐसा नहीं है जिसके लिए अमेंडमेंट नहीं आते हों, जिनमें रूल्स की खामी नहीं रहती हो, गवर्नमेंट ऑर्डर्स से, इस लेजिस्लेटिव असेम्बली से रोजाना आप उनमें अमेंडमेंट करवाते हैं। आज आपके सामने यह पोजिशन है कि कोई आपका

Page No. 74

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

कलेक्टर, आपका कोई सेक्रेटरी, आपका कोई मिनिस्टर, राजस्थान का कोई बुकसेलर यह दावा नहीं कर सकता कि सारे अमेंडमेंट्स एक जगह उपलब्ध हैं। अगर कोई इनको छपवाता भी है तो महीने में उतने ही और हो जाते हैं। आपका यह मखौल आपके दिमाग के, आपके कानून बनाने वाली मशीनरी है उसके दिमाग के दिवालियापन को साबित करता है वे कानून बनाना नहीं जानते, वे तो केवल यह देखते हैं कि उनके मालिक हैं वे हुक्म चलाना जानते हैं, कानून की उनको जानकारी नहीं है, उनकी इच्छापूर्ति होनी चाहिये। वे तो कानून बना कर ले आते हैं और जब बिल की शक्ल में यहां आ गया तो शीयर मेजोरिटी से उसको पास करवाते हैं। यह आपकी तसवीर है जो कानूनों के सम्बन्ध में आपकी सरकार ने बना रखी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, प्रभारी मन्त्रीजी यह बतायें कि जिस रिपोर्ट को इतनी मान्यता दी जाती है क्यों नहीं उसकी सिफारिशों के आधार पर हाई कोर्ट के जज, पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और सरकार के चीफ सेक्रेटरी, इन तीनों आदमियों की कमेटी के द्वारा रेवेन्यू बोर्ड का गठन करवाते ?

जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बात रखी कि जल्दबाजी में यह अध्यादेश निकाला, श्री बलवन्तसिंहजी इसमें सदस्य थे, उन्होंने जब फैसला सुनाया तो उसी रोज उन्होंने स्तीफा दे दिया, चार्ज हैंड ओवर कर दिया ५ तारीख को, तो ६ तारीख को वेलिडेटिंग अध्यादेश कैसे ले आये ? एक सदस्य फैसला देकर ५ तारीख को चार्ज हैंड ओवर कर देता है तो फिर आपका बोर्ड कहां रहा ? जब यह बोर्ड ही नहीं रहा तो यह बतायें कि उस बोर्ड के दुबारा गठन करने के आर्डर बगैर कैसे उसे वेलिडेट कर सकते हैं ? रेवेन्यू बोर्ड के फैसलों को वेलिडेट करना चाहते तो अलग बात थी, पर श्री बलवन्तसिंह ने फैसला देकर, बोर्ड को अवैध करार देकर चार्ज हैंड ओवर कर दिया तो फिर वह बोर्ड ही कहां रहा ? क्या आपने बोर्ड के पुनर्गठन का कोई आॅर्डर निकाला ? जहां तक मेरी जानकारी है, आपने कोई आॅर्डर नहीं निकाला। जो आपके कानून बनाने वाले हैं उनको पता ही नहीं रहता कि रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर ५ तारीख को चार्ज हैंड ओवर कर चुके। और फिर उनको वैध बनाया जाता है ६ तारीख को, और आप आज इस सदन से इसे वैध करवाना चाहते हैं। मैं सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा कि यह अधिनियम आया है यह बिल्कुल घातक है अतः इसे स्वीकार नहीं किया जाय।

इस बोर्ड के गठन के बारे में लिखा है:—

"The Board shall consist of a Chairman and not less than three and not more than seven other members."

यह भिन्नता रख दी, चेयरमैन एण्ड मेम्बर्स। इस पर विचार करिये। अगर आपका गठन इस प्रकार का हो कि ७ मेम्बर्स होंगे, उनमें से एक चेयरमैन होगा तब तो मेम्बर्स की योग्यता ही चेयरमैन की योग्यता होगी पर आप अपने शब्दों में यह कह कर आते हैं:—

"There shall be a Chairman and three members."

फिर नीचे उसकी क्वालिफिकेशन लिखते हैं। क्वालिफिकेशन केवल मेम्बर्स की लिखते

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

हैं, १२ साल का आई० ए० एस० का एक्सपीरियेन्स होना चाहिये।

५ तारीख को फैसला किया गया कि यह गठन गलत हुआ, चेयरमैन की क्वालिफिकेशन के सम्बन्ध में, गवर्नमेंट ने कोई आॅर्डर नहीं निकाला, मेम्बर्स को क्वालिफिकेशन के सम्बन्ध में गवर्नमेंट ने कोई आॅर्डर नहीं निकाला, मेम्बर्स की क्वालिफिकेशन नहीं निकाली। वह फैसला आपके सामने था, मेम्बर्स की क्वालिफिकेशन रखने जा रहे हैं तो फिर चेयरमैन की क्या क्वालिफिकेशन रखी? अगर आपने फिर चेयरमैन की क्वालिफिकेशन नहीं रखी तो इस बिल के पास हो जाने के बाद भी बोर्ड अवैध ही रहेगा। वह बोर्ड आज भी गलत है और वहां कोई चेयरमैन नहीं है। ६ जुलाई के बाद कोई बोर्ड नहीं है, न कोई चेयरमैन है क्योंकि कोई क्वालिफिकेशन चेयरमैन और मेम्बर्स की नहीं बनाई थी।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि रेवेन्यू लॉ कमीशन की रिपोर्ट को देख लेते तो उसमें इस चीज का प्रावधान है कि मेम्बर्स का कोटा रखते हुए यह तय किया है कि उनमें जो सीनियर होगा वह चेयरमैन होगा, सदन के इलेक्टेड मेम्बर्स में से अध्यक्ष हो सकते हैं, तब तो सेपरेट क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं पर जहां लिखते हैं कि एक स्पीकर होगा और मेम्बर्स होंगे तो उस दशा में स्पीकर के लिए सेपरेट क्वालिफिकेशन निर्धारित करना आवश्यक होगा। यह जब आप इस में नहीं कर रहे हैं तो मैं फिर निवेदन करना चाहता हूं कि यह विधेयक विचारणीय है। केवल इसलिए कि क्योंकि यह सरकार की तरफ से आया है, इसलिए इसे पास करदें वरना गजब हो जायगा। गजब तो हो गया, सारे बोर्ड का गठन ही गलत करार दे दिया गया। आपकी हिम्मत तक नहीं हुई कि हाई कोर्ट में उस आॅर्डर को चेलेंज करें। दूसरे दिन आप अध्यादेश ले आये, हाई कोर्ट में उस फैसले को आप चेलेंज नहीं कर सके। इसलिए अब आप विचार कीजिए कि आपसे भी गलती न हो जाय। इसके बाद एक बात और कहना चाहूंगा। आपने क्लॉज तीन के तहत जो शब्द लिखे हैं:—

"Notwithstanding anything contained in Sec, 4 of the principal Act prior to its amendment by this Act,"

इस एक्ट के संशोधन से पहले, के लिए यह सारी चीज है। लेकिन उसके बाद के लिए क्या? आपने कहीं इसके लिए आगे भी नहीं रखा कि भविष्य में आपका गठन क्या होगा? भविष्य में इस बोर्ड का गठन कैसे होगा और सदस्यों की क्या योग्यतायें होंगी? ये सारी चीजें आपने वैधकरण करने के लिए प्रायर टु दी अमेंडमेंट दे दीं लेकिन आगे के लिए क्या किया? अगर 'Shall be' और 'Shall be deemed to be' का तोड़ मरोड़ कर जवाब देना चाहें तो जरा इसके रेफरेंस टु कॉन्टेक्सट को देखें। 'Shall be' और 'Shall be deemed to be' किस कॉन्टेक्सट में लिखा है। यह ऊपर के कॉन्टेक्सट में लिखा है। 'prior to its amendment by this Act,' यह भविष्य के लिए नहीं हो सकता, तो ६ तारीख के बाद क्या पोजीशन है कोई राजस्व मंडल है आपका? आप फिर भूल कर गए इसलिये यह चेलेंज हो गया है कि आपने भविष्य के लिए न कोई क्वालिफि-

(श्री मथरेश बिहारी माथुर)

केशन निर्धारित की, न बोर्ड के गठन के नियम निर्धारित किये और आपको फिर अध्यादेश लाना पड़ेगा और बिल लाना पड़ेगा जिनके जरिए आप इन सारे फैसलों को वैध करना चाहेंगे। आखिर इसका क्या जवाब है आपके पास ? आपने यह तो कर दिया कि किसी नोटिफिकेशन या ऑर्डर की एब्सेन्स की वजह से कोई कमी रह गई हो बोर्ड के गठन में तो वह अमान्य नहीं होगा, वैध होगा लेकिन जो क्वालिफिकेशन्स के तहत सदस्य रहने के काबिल नहीं थे, आई० ए० एस० में १२ साल होने की क्वालिफिकेशन नहीं रखते थे तो अगर आपने क्लॉज १ और २ में बोर्ड का गठन कर दिया तो उसको ६ तारीख से लिया जायगा। तो आपने इस बिल के अन्दर नहीं लिखा कि सदस्यों की अयोग्यता के कारण जो सदस्य क्वालिफाइड नहीं था वह बिठाया गया और :—

"Notwithstanding any ommission or defect a form of procedure of persons who were from time to time appointed as Chairman or members of the Board of Revenue for Rajasthan after coming into force of the principal Act, shall be deemed...."

इसको तो वेलिडेट कर दिया, लेकिन जो सदस्य १२ साल से आई०ए०एस० में नहीं था, एडमिटेडली नहीं था उसको कैसे वेलिडेट करेंगे ? जैसे पहले वाला चेयरमैन आपका था डॉक्टर रावत, क्या वह आई०ए०एस० ग्रेड के थे ? वह आर०ए०एस सिलेक्शन ग्रेड के भी नहीं थे। और आज आप कहते हैं कि १२ साल का आई०ए०एस० हो बोर्ड का सदस्य हो सकता है तो उसके लिये श्री हूजा और एस० पी० सिंह भंडारी की मिसालें जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने दीं। मैं पूछना चाहता हूं कि डॉक्टर रावत जो बोर्ड के चेयरमैन रहे वह सिलेक्शन ग्रेड के आई०ए०एस० थे क्या ? अगर नहीं तो वह बोर्ड में रहे और उन्होंने जो फैसले दिए उनको उस क्लॉज तीन में कहां वैध किया ? आपने तो अपने प्रोसीजर की कमियों को क्योर किया है कि सरकार ने कोई योग्यता निर्धारित नहीं की और बोर्ड ने कोई फैसले दे दिए, उसका वैधकरण किया, लेकिन जो सदस्य आई०ए०एस० सिलेक्शन ग्रेड के नहीं थे और उन्होंने फैसले दे दिए उनकी अयोग्यता को कहां वैध किया ? तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस कानूनी मसले पर सलाह लेकर विचार करें और केवल इसलिए कि यह एक अध्यादेश है और बिल आया है और बिल फेल हो जायगा तो सरकार फेल हो जाएगी और राजस्व मण्डल में अंधेर हो जायगा, तो यह सही नहीं है। अगर यह चीज चैलेंज होती है तो आपकी सरकार का क्या होगा, इसलिए एक साथ ही इसको वेलिडेट करें। इसलिए यह बिल अस्वीकार होने योग्य है और इसको आप विड्रॉ करें, सोच-समझकर लाएं ताकि यह जो उच्च न्यायालय में जाने वाला मसला है उसमें आपको कहीं नीचा न देखना पड़े।

यहां मन्त्री महोदय ने आर्टिकल १६१ बताकर हमारे माननीय सदस्य द्वारा उठाई आपत्ति का जवाब देना चाहा। मैं मन्त्री महोदय से पूछूंगा कि आपके सामने प्रश्न क्या था और आपका जवाब क्या था ? आर्टिकल १६३, क्लॉज एक है :—

"Governor shall work on the advise of the council of Ministers."

Page No. 77

(श्री मथुरेश बिहारी माथुर)

क्लॉज २ है कि अगर राज्यपाल के पास मन्त्री परिषद् की कोई राय आती है और वह सही है या गलत, उसका वैधकरण चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन आपके सामने यह प्रश्न नहीं था। यहां प्रश्न है कि मंत्री परिषद् की राय यहां थी नहीं और उस राय के बगैर जो अध्यादेश निकाला गया वह गलत था। आर्टीकल १६३ क्लॉज २ में डिस्क्रीशनरी पॉवर में उसका वैधकरण इसलिए है कि कोई राय दी जाय उसको राज्यपाल माने या नहीं, उससे क्यों मतभेद करे, उनके क्या कारण हैं, उसको बताना जरूरी नहीं है। लेकिन जहां एक राय दी नहीं गई वहां राज्यपाल अध्यादेश निकाल सकते हैं या नहीं, वह कहां है? आप बताइए कि मंत्री परिषद् की राय पर यह अध्यादेश निकाला गया। जब राय नहीं दी गई तो कौनसे आर्टीकल के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, वह बताएं। इसलिए मंत्री महोदय का जवाब सही नहीं है।

इसके बाद मैं आपके सामने एक और मसला रखना चाहता हूं। राजस्व मंडल रेवेन्यू लॉज में एक आखिरी अदालत है और यहां जो फैसले किए जाते हैं उनका दिग्दर्शन कचहरियों में जाने वाले रोज करते हैं। यह सही है कि एक बजे के बाद राजस्व मंडल का कोई भी सदस्य बोर्ड के अन्दर नहीं बैठता। ये सदस्य पहले आई० ए० एस० के सेक्रेटरी थे लेकिन किसी मंत्री महोदय ने उनको नहीं रखना चाहा इसलिए बोर्ड में बिठा दिया गया। एक बजे लंच में जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। हजारों केसेज रोजाना एडजोर्न हो जाते हैं। इस सदन में कई बार कहा गया उसका कोई इलाज नहीं हुआ। आप लोगों के सामने कभी सर्किट हाउस में जाकर सलामी पहुँचा दी या आपके कहने से किसी तहसीलदार का ट्रांसफर कर दिया, इससे ही आप खुश हो गए।

(३.०० म० प०)

कम से कम चार पांच बजे तक तो उनको बैठना चाहिए। एक भी हाई कोर्ट जज के लिए नहीं कह सकते कि वह पांच बजे तक नहीं बैठता है। चेम्बर में फैसला लिखाने की बात अलग है। यह एक-दो दिन की बात नहीं है। बड़ी अजीब बात है। छोटे-छोटे केसेज के आठ-आठ महीने से फैसले नहीं सुनाये जाते। फाइलें नहीं हैं। क्लर्कों को पता नहीं। पूछते हैं तो कहते हैं कि चेयरमैन साहब के पास है। यह योग्यता आप रखना चाहते हैं, आई० ए० एस० वाले वहां आकर बैठें, आपके बोर्ड और आपके द्वारा न्याय कोई न्याय नहीं है, कोई कानून नहीं है और वह तो उसी तरह से है कि उसको एक फुटबाल बना रखा है, कभी सेटलमेन्ट वाले को कलेक्टर और कभी कलेक्टर डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन और कभी डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन को कलेक्टर। जब तक वह बातें समझता है तब तक उसका तबादला हो जाता है। वह तो आई० ए० एस० के रोब के अन्दर हुक्म सुनाये जाते हैं।

अन्त में, उपाध्यक्ष महोदय, प्रभारी मंत्रीजी से एक बात कहना चाहूंगा कि यह उनका स्वयं का भी अनुभव है और मान्यता है।

(३.०१ म. प.)

(श्री भीमसेन, सभापति, पदासीन)

Page No. 78

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

एक दो भाषण मैंने आपके सुने, उनमें वह यह कहते हैं कि आज का समाज है वह गलत है, जनवाद पैदा करो और उसमें कोई कानून नहीं होना चाहिये, अफसरों की नौकरशाही नहीं रहनी चाहिए। आपको इस तरह का राज्य बनाना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं और खाने के और होते हैं।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : मैं प्रभारी मन्त्रीजी से कहूंगा कि आपकी जैसी मान्यता है, जैसा कि आप अपने भाषण में बाहर कहते हैं, आप ही इसके इंचार्ज हैं तो आप ही देखिए कि कानून का आप क्या मखौल करवा रहे हैं! हाई कोर्ट के जज और रेवेन्यू लॉज कमीशन ने सोच-समझ कर कानून आपके सामने रखा है उसको अपनायें और आपके सेक्रेटरी और मुन्सिफ हैं ऐसे आदमियों के भरोसे ही कानून न बनायें, वरना आपका जो अनुभव है वह ही सब का होता जा रहा है। इन कानूनों से किसी को राहत नहीं मिलती है और इस प्रकार से संशोधन लाकर सब को दुखी बना दिया गया है। इसलिए जो भी कानून बनाया जाय वह सोच-समझ कर बनाया जाय। इसलिए आप इसको विड्रॉ करके दूसरा वेलिडेटिंग बिल लायें और उस पर कार्य हो तो अच्छा है।

श्री सभापति : माननीय मन्त्रीजी जवाब देंगे।

श्री गिरधारीलाल व्यास : चेयरमैन महोदय, मुझे इस पर बोलने का अवसर दिया जाय।

श्री राधाकृष्ण गोयल : इसको अस्वीकार किया जाय, मैं इसका विरोध करता हूं।

श्री कुम्भाराम आर्य (राजस्व मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय (सभापति महोदय), जिन महानुभावों ने इसके विषय में शंकायें उपस्थित कीं वे बौद्धिक हैं। और बुद्धि जिसकी जहां तक पहुंच सकी उसने अपनी बात को प्रमाणित करने के लिए उतना ही बल पूर्वक कहा। इस कहने पर और इसकी कहानी में कोई अन्तर नहीं है। इसका प्रारम्भ ही इस तरह से हुआ है कि यह बोर्ड, जिसके लिए कहते हैं, अवैध घोषित हुआ, उसकी तरफ सरकार का ध्यान नहीं था, अधिकारियों ने ध्यानपूर्वक कार्य नहीं किया। इसके लिए तो मैं इतना सा निवेदन करना चाहता हूं कि जो अवैध घोषित हुआ है वह भी सर्व सम्मति से नहीं हुआ है। वह भी बहुमत के जरिये से हुआ है। और यह बहुमत यहां भी उसी तरह से काम कर रहा है और इसका निर्णय भी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोगों की कृपा नहीं हुई तो, बहुमत से ही होगा, और डेमोक्रसी के अन्दर बहुमत चलता है, चलता रहना चाहिये, उसके प्रति सब की निष्ठा रहनी चाहिये। इसलिए इसको वैध घोषित करने वाले सदस्य भी जिम्मेदार और ईमानदार समझे जाने चाहिये और जिन्होंने अवैध घोषित किया है उनको भी जिम्मेदार और ईमानदार समझना चाहिये। जिसकी बुद्धि ने जिस तरह से काम किया उसी तरह से उन्होंने अपनी अनुभूतियों के द्वारा इसके सम्बन्ध में अपनी राय दी। और उस राय के अन्दर एक सदस्य की राय ज्यादा हुई इसलिए यह अवैध हो गया, नहीं तो नहीं हो सकता था। इसलिए इतने बड़े चार्ज सरकार और अधिकारियों पर नहीं लगाने चाहिये कि ये बिल्कुल ही निकम्मे लोग हैं।

Page No. 79

श्री मानिकचन्द सुराणा : आपकी मान्यता यह है क्या कि हाइकोर्ट के फैसले भी यदि एक मत के नहीं हों तो उनका वह फोर्स नहीं है जो कि सर्वसम्मिति से किये गये फैसलों का होता है ?

श्री कुम्भाराम आर्य : मैं अपनी बात कह रहा हूं। जब आप लोग बोल रहे थे तब मैं सुन रहा था। मैं समझता हूं जब मैं बोल रहा हूं तो आप लोग भी मुझे सुनने की कृपा करेंगे।

श्री मानिकचन्द सुराणा : माननीय मंत्री महोदय जो बात कह रहे हैं वह रेवेन्यू बोर्ड पर एक आक्षेप है। यदि जजमेंट एकमत का होता तो आपका यह कहना है कि यह कहा जा सकता था कि सरकार की गलती थी, लेकिन क्योंकि बहुमत से फैसला हुआ है, रेवेन्यू बोर्ड के दो मेम्बर्स ने कह दिया है कि सरकार ने जो कुछ किया वह ठीक था, और तीन मेम्बर्स ने कह दिया कि सरकार को जः कुछ करना चाहिये था वह नहीं किया, इसलिये वह बहुमत वाला फैसला ठीक नहीं है, यह जो फर्क आप कर रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा कि हाईकोर्ट और रेवेन्यू बोर्ड के फैसले, चाहे वे एकमत से हों चाहे बहुमत से हों, एक तरह से ही वैध उनको मानना पड़ता है इसलिये इस बहाने से कि रेवेन्यू बोर्ड ने बहुमत से फैसला किया है, माननीय मंत्री महोदय सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार की कोई गलती नहीं थी, यह बहाना ठीक नहीं। मैं बड़े अदब के साथ निवेदन करूंगा कि यदि आप कोई कन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट नहीं करना चाहते तो आपको स्वीकार करना चाहिये कि सरकार ने गलती की है।

श्री कुम्भाराम आर्य : उस निर्णय के महत्व के बारे में नहीं कह रहा हूं। उन अधिकारियों ने जिन्होंने फैसला दिया उनके बारे में जो बातें कही गई थीं उनके लिये कह रहा हूं। निर्णय तो चाहे बहुमत से हो चाहे एकमत से हो उतना ही स्वीकार है जितना कि एक निर्णय हुआ करता है। और यह स्वीकार अगर नहीं होता तो आज यह स्थिति भी यहां पैदा नहीं होती। इसलिये उसके बारे में आप और हम दो राय नहीं हो सकते और दो राय होने की अपने को इजाजत ही भी नहीं है।

मैं केवल उनको कह रहा था कि अधिकारियों ने गलती की है। वह गलती निर्भर करती है एक सदस्य पर जिसने उधर अपनी राय दे दी। अगर इधर दे देते तो गलती नहीं होती।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : किसी ने कत्ल कर दिया और हाई कोर्ट की बैंच ने बहुमत से उसे कातिल ठहरा दिया तो आप क्या यह कहेंगे कि हाईकोर्ट की बेंच ने चूंकि केवल बहुमत से निर्णय दिया है, सर्व सम्मिति से नहीं दिया है, इसलिये अन्याय किया है ?

श्री कुम्भाराम आर्य : यह बात नहीं है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तो फिर राजस्व मंत्री क्या कहना चाहते हैं। एक से डिसीजन अधिक हो गया इसलिये सैक्शन १-४ को पूरा नहीं किया उसको अवोइड किया। सिर्फ इस दलील से आपकी सारी नेग्लिजेन्स कवर हो जाती है। वह कातिल नहीं है क्योंकि एक की मेजोरिटी से कातिल घोषित किया गया है क्या इससे आप उनकी नेग्लिजेन्स को छिपाना चाहते हैं ?

Page No. 80

श्री सभापति : माननीय सदस्य ।

श्री कुम्भाराम आर्य : मैं कोशिश कर रहा हूं अपनी बात माननीय सदस्यों को समझाने की। पर माननीय सदस्य महानुभावों को अपनी बात पकड़वा नहीं पा रहा हूं। इस असमर्थता के लिये मैं उनसे ·······

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपमें गलत बात पकड़ने की आदत है।

श्री कुम्भाराम आर्य : वे कृपा करके खुद भी कोशिश करें, मैं भी कोशिश करूंगा कि जिससे यह मामला अच्छी तरह से समझ में आ जावे।

अभी हमारे माननीय सदस्य जो जयपुर देहात से आये हैं वे कह रहे थे कि अभी भी उसको चुनौती दे रखी है और इसके अन्दर खामियां हैं और वे खामियां रहते हुए यह फिर अवैध घोषित हो जावेगा। इसका मतलब उनका यह नहीं था कभी भी कि जो आपने किया है वह सब गलत किया है। उनके कहने का अर्थ है कि उनकी बुद्धि यह मानती है कि इसके अन्दर खामी नजर आती है इसलिये आइन्दा भी अवैध हो जावेगा। लेकिन उनकी बुद्धि के साथ, मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों के सामने यह बात रखी गई तो उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया और उनकी जो विचार-धारा थी उसको उन्होंने नहीं पकड़ा। इसलिये इसको इस तरह हमें समझ कर चलना चाहिये कि एक अदालत केस का फैसला कर देती है तो ऊपर की अदालत में भी वह बदला जा सकता है। बदल भी जाता है कभी। ऊपर की अदालत का फैसला भी उससे भी ऊपर की अदालत में बदल दिया जाता है। तो इस पर फैसला करने वाले लोगों पर हमें टीका नहीं करनी चाहिये और उन पर सन्देह नहीं करना चाहिये।

अगर इस बात में हम एक मत नहीं होंगे तो अधिक उलझनों में पड़ जावेंगे और यह दिमागी उलझन जो है, आपको और हमको सबको परेशान रखेगी।

एक बात इसमें सबसे बड़ी जो कही गई वह यह कही गई कि मन्त्रिमण्डल की अनुमति नहीं ली गई इसमें और बिना मंत्री मण्डल की अनुमति के यह पास करवा लिया गया और प्रसारित करवा दिया गया। यह शंका इसलिये पैदा हो गई लगती है कि यह ५ तारीख को तो फैसला हुआ और ६ तारीख को यह अध्यादेश जारी हो गया। इतनी जल्दी नकल फैसला लेना, उसको पास करना, उस पर केबिनेट का बैठना सम्भव, नहीं लगता; बुद्धि संगत नहीं लगता। पर और तो मुझे कोई कारण नहीं दिखाई देता उसके, उसके अन्दर कुछ मित्रों को ऐसा लगा कि शायद एक मन्त्री को इग्नोर किया जाता है, उसको नजरअन्दाज किया जाता है, इस तरह की भी उनके दिमाग में यह बात है। मैं आपको विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि कम से कम इस मामले में तो मुझे इग्नोर नहीं किया गया।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : फिर किन मामलों में इग्नोर किया गया। यह भी बता दें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दूसरे मामलों में तो इग्नोर किया जाता है, यह तो आप मानते हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य : आप बैठे रहिये। केबिनेट की मीटिंग बुलाई गई और

(श्री कुम्भाराम आर्य)
उसमें यह फैसला किया गया कि किसी भी वक्त यह फैसला हो सकता है कि बोर्ड अवैध है तो उसको अगर उसी वक्त वैध घोषित नहीं किया गया तो एक बहुत बड़ा डेड लोक खड़ा हो जावेगा राजस्थान भर में। इसलिये यह पहले ही निर्णय ले लिया गया था, पांच तारीख से पहले ही कि अगर ऐसी कोई बात हो जावे तो फौरन अध्यादेश जारी कर देना चाहिये और वह जो केबिनेट का निर्णय था उसी के अन्तर्गत ५ के फैसले पर ६ को अध्यादेश जारी करवा दिया गया। इसलिये यह शंका कि इसमें मन्त्री-मण्डल ने निर्णय नहीं लिया, या किसी मन्त्री को इग्नोर किया गया या कि यह तो नौकरशाही का राज्य चल रहा है, केवल इसलिये है कि इसके अन्दर कम समय लगा और हमने काम इतना जल्दी किया कि जो चमत्कार सा लगता है। इसलिये ये शंकाएं पैदा हुई हैं, ऐसा लगता है, और कोई वजह इन शंकाओं के पैदा होने की मुझे नहीं दिखाई देती।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह कौनसी तारीख की केबिनेट की मीटिंग है ?

श्री कुम्भाराम आर्य : तारीख भी बतला दूंगा और अगर कानून में कोई रुकावट नहीं है तो उसकी नकल भी दे दूंगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आपकी बातों से यह तो सिद्ध हुआ कि यह तो निर्णय ले लिया गया था कि अगर ऐसा कानून अवैध हो जावे तो ऑर्डिनेन्स निकाल दिया जावे। पर एक्चुअल जो ऑर्डिनेन्स था उसके ड्राफ्ट को नहीं देखा।

श्री कुम्भाराम आर्य : ये सब बातें, ये सब चर्चाएं तो पहले ही आ चुकी थीं। केवल हां और ना ही कहना शेष था, इसलिए इन सब बातों का सवाल पैदा नहीं होता।

श्री [illegible] सिंह (भरतपुर) : जिस फैसले के आधार पर यह ऑर्डिनेन्स निकाला गया था उस फैसले की नकल आपको कब मिली, या आपने उस फैसले को पहले ही जान लिया ?

श्री कुम्भाराम आर्य : इसके अतिरिक्त एक प्रश्न...

श्री रामानन्द अग्रवाल : (श्री रामप्रसाद लड्ढा को लक्ष्य करके) ऐसा लगता है कि एक गवाह के बयान जब करवाने लगते हैं तो माननीय मिर्धाजी और लड्ढाजी वकील की तरह उसको सही सही बात कहने से रोक रहे हैं।

श्री रामकिशन : आप उनको गुमराह कर रहे हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : गवाह सही सही गवाही देना चाहता है पर वकील उन्हें गुमराह कर रहे हैं।

श्री कुम्भाराम आर्य : देखिये, इस तरह से तो आप जिस विषय को समझना चाहते हैं समझ नहीं सकेंगे। वैसे आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। आप भी सारे एक साथ बोलते हैं। अगर हमारे वाले बोलते हैं तो आपको ऐतराज नहीं करना चाहिये।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह तो आपकी बदकिस्मती है कि ये नहीं मानते हैं।

श्री कुम्भाराम आर्य : मेरी भी है और समझते हों तो आपकी मेरे से ज्यादा है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : और अगर समझते हों तो देश की सबसे ज्यादा है बदकिस्मती।

श्री कुम्भाराम आर्य : इसलिये यह शंका जो उठाई गई कि नियमानुसार ऑर्डिनेन्स नहीं निकाला गया, यह शंका केवल कल्पनाओं पर आधारित है। इसमें नियमों की कोई कहीं अवहेलना नहीं हुई।

एक माननीय सदस्य कह रहे थे ...

श्री मानिकचन्द सुराणा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या आप इस पर भी रोशनी डालेंगे कि क्या रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन साहब इस फैसले को लेकर राज्य सरकार के पास में आये थे या राज्य सरकार ने अपने अन्य जरियों से, जिनमें सी. आई. डी. भी है, उसकी लम्बी–चौड़ी, सूचना प्राप्त की थी कि जिस पर से तुरन्त अध्यादेश जारी करना आवश्यक हो गया ?

श्री कुम्भाराम आर्य : जहां तक फैसले का सवाल है और जहां तक समाचारों को प्राप्त करने का सवाल है, उसके लिये तो सरकार के पास बहुत साधन और व्यवस्था पहले से थी।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : प्रश्न यह है कि कैबिनेट में रेवेन्यू बोर्ड का एक डिसीजन नहीं हुआ उससे पहले ही यह प्रिज्यूम कर लिया गया कि यह फैसला इस रूप में होगा तो इसके लिये यह ऑर्डिनेन्स निकाल लिया जावे तो क्या इससे यह इन्टरप्रिटेशन नहीं निकलता है कि रेवेन्यू बोर्ड के चेयरमैन ने इस फैसले को लीक कर दिया है इससे पहले कि वह फैसला बाकायदा घोषित किया जाता ? कैबिनेट ने किसी गलत तरीके से न्यायालय में हस्तक्षेप करके फैसले को प्राप्त कर लिया। आपके वक्तव्य से इन दो बातों में से एक चीज भी स्पष्ट होकर सामने नहीं आ रही है ?

श्री कुम्भाराम आर्य : यह तो सारी ही बात स्पष्ट है। आपका केवल बोलने के लिये बोलना है। आपका मन है। आप बीच बीच में उठोगे।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आपकी जवाब देने की तबियत नहीं है तो मत दीजियेगा।

श्री कुम्भाराम आर्य : एक सवाल यह उठा था कि यह फैसला होने के बाद यह बोर्ड रहा ही नहीं फिर भी यह नकल की बात कैसे चली, कैसे आई, यह सारी बातें चलीं। मैं इन सारी बातों के बारे में एक निवेदन कर देना चाहता हूं कि कुछ बातें ऐसी होती हैं जो मर्यादाओं से बंधी होती हैं। जो भाई यह सोचते हैं कि बोर्ड के डिजोल्व होने के बाद किसी को नकल देने का अधिकार नहीं उनको यह भी सोच लेना चाहिये कि एक बोर्ड जो अवैध था तो इसको यह फैसला करने का भी अधिकार नहीं था जो फैसला उसने अवैध होने का दिया है वह अधिकार भी उसको नहीं है। इसलिए नहीं है कि उन्होंने खुद ने माना है कि यह बोर्ड अवैध है। अवैध बोर्ड के मेम्बर अवैध कैसे घोषित कर सकते हैं। यह बात तो कामन सेंस से ताल्लुक रखती है। इस तरह की बातों को सही तौर से पकड़कर नहीं चलेंगे तो काम नहीं चल सकेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : तो आपका मतलब यह है कि यह बोर्ड ने गलत फैसला दिया है ?

श्री कुम्भाराम आर्य : मैंने तो नहीं कहा है लेकिन उधर से जरूर कहा गया है कि बोर्ड को डिजोल्व होने के बाद में नकल देने का अधिकार नही था। इसलिए मैंने कहा था कि डिजोल्व होने से पहले उसको फैसला देने का हक नही था।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : बोर्ड चूंकि वैधानिक रूप से कांसटीट्यूटेड है इसलिये क्या यह माना जाय कि आपकी यह मान्यता है....

श्री कुम्भाराम आर्य : मेरी मान्यताएं यहां काम नहीं करती।

(व्यवधान)

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान राज्य के राजस्व मंत्री....

श्री रघुनाथ बिश्नोई : आप बात तो पढ़ते नही हैं ....

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : ....राजस्व मंत्री श्री कुम्भारामजी आर्य जो कि अपने आप को बडा शक्तिशाली मंत्री कहते हैं, मैं बड़े अफसोस के साथ कहता हूं कि सदन के सामने वह इस प्रकार के अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, कि मेरी मान्यतायें कोई काम नहीं करती आप इस अध्यादेश के मंत्री हैं, प्रभारी मंत्री हैं, आप का कर्त्तव्य है कि जो प्रश्न आपके सामने उठाया जाये उसका उत्तर देने का उत्तरदायित्व आपके कंधों पर है, । आप इस तरह के कोरे जवाब देकर या टालने की चेष्टा करके अपने आपको बचा नहीं सकते । मैं बहुत नम्रता से कह रहा हूं कि आपको उसका उत्तर देना ही पड़ेगा। आप सदन के सामने बचकर नही जा सकते। यह मर्यादायें जिनका आप हमारे सामने दावा भरते है.......

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्योंकि आप हल नहीं पकड़ सकते इसलिए बात नहीं पकड़ते।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : मंत्री महोदय उत्तर से बच कर नहीं जा सकते। मंत्री महोदय को उत्तर देना ही पड़ेगा।

श्री कुम्भाराम आर्य: मुझको बचकर चलने की आदत भी नहीं है। इसलिए यह आपत्ति कि १० साल तक जिन अधिकारियों की गलती से यह बोर्ड अवैध रूप से चलता रहा उनके खिलाफ कोई अनुशासन की कार्यवाही क्यों नही की गयी आपको समझ लेना चाहिए।

श्री राधाकृष्ण गोयल: उस समय राजस्व मंत्री कौन थे ?

श्री कुम्भाराम आर्य : राजस्व मंत्री भी बोलते हैं और कुम्भाराम आर्य भी बोलते हैं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : ५६ में।

श्री कुम्भाराम आर्य : चक्कर में तो सभी आने वाले है।

कुछ माननीय सदस्य : यह ५६ की पूछ रहे हैं, चक्कर की नहीं।

श्री राधाकृष्ण गोयल : जब कि लैण्ड रेवैन्यू एक्ट फोर्स में आया उस समय राजस्व मंत्री कौन थे और उनके लिए क्या किया ?

श्री सभापति : ऑर्डर प्लीज।

श्री कुम्भाराम आर्य : एक बात १२ साल की कही कि १२ साल का एक्सपीरियेन्स हो उसके अन्दर उस कमीशन की रिपोर्ट को ध्यान

(श्रीकुम्भा राम आर्य)

में नहीं रखा। यह बात आपको इतने में ही निवेदन करदूं कि उस रिपोर्ट पर भी कार्यवाही हो रही है और हम जल्दी ही उस पर निर्णय लेने वाले हैं। यह तो एक इमर्जेन्सी के अन्दर उठाया गया कदम था। इसलिए यह समझकर नहीं चलना चाहिए कि हम कोई उसको भुला देंगे या भुलाकर के चल रहे हैं।

एक यह बात कही गयी सरकार के लिए खास तोर से कि यह इसलिए किया गया है कि किसी अधिकारी से नाराज हों तो रेवेन्यू बोर्ड के अन्दर डाल दो, किसी से राजी हों तो उसको वापस ले आओ। ऐसी बात तो नहीं है, आपने भी नहीं देखा होगा। मेरे अनुभव में तो कभी नहीं आई। वहां पर जिम्मेदार लोग जाते हैं और जाने चाहिएं और १२ साल का अनुभव जो है वह कम नहीं है। रिपोर्ट के अन्दर तो केवल ७ साल का ही अनुभव रखा है। हमने ५ साल और बढ़ाकर १२ साल किया है। तो उस रिपोर्ट से भी हम कुछ आगे गये हैं, पीछे नही गये हैं।

एक सवाल यह उठाया गया था कि इसमें सदस्यों के लिए तो लिख दिया गया लेकिन चेयरमैन के लिए यह नहीं लिखा गया। तो वह उसकी परिभाषा के अन्दर नहीं आते क्योंकि उसमें प्रारम्भ में लिखा है कि अध्यक्ष और अन्य ३ सदस्य कम से कम होंगे और ज्यादा से ज्यादा ७ मेम्बर्स होंगे। मैं सदस्य महोदय से कह देना चाहता हूं कि यह तर्क जो है बुद्धिसंगत तो है लेकिन यह निर्णय को बदलने योग्य नहीं है क्योंकि आगे जब ७ मेम्बर्स की पाबन्दी लगा दी गयी तो उसी के अन्दर अध्यक्ष आ जाता है और उसकी क्वालिफिकेशन भी उसके अन्दर दर्ज हैं। इस लिए शंका कोई ऐसी नहीं है कि कहीं इसको चैलेन्ज करें।

यह बात कि यह जो अध्यादेश है यह आगे काम करेगा और पीछे नहीं करेगा; यह भी ऐसी बात है कि जिसको जैसा दिखाई देता है बुद्धि से उसी तरह से बोलता है लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसा नहीं है। यह पीछे भी काम करेगा और आगे भी काम करेगा।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह बुद्धि का इंजेक्शन कहां लगवाया ?

श्री कुम्भाराम आर्य : यह समाज ने रचना रची है, मैंने नहीं लगवाया।

श्री राधाकृष्ण गोयल : मैं मंत्री महोदय से कहूंगा कि चेयरमैन ३ या ७ में शामिल नहीं है, अलग है तो इस पर विचार कर लें।

श्री कुम्भाराम आर्य : इसमें अंदर नहीं है अन्य है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : उसने अध्यक्ष के अतिरिक्त अन्य सदस्यों की संख्या निर्धारित की है।

श्री कुम्भाराम आर्य : अन्य शब्द ही रहेगा, आप चिन्ता मत करें।

एक बात कह दी गयी थी जनवाद का नाम लेकर कि कानून नही रहना चाहिए और नौकर नहीं रहने चाहिए। इस बात का मैं भी बड़ा हामी हूं। मैं हामी तो हूं लेकिन जितना अतिरंजित करके कहा है, यह ठीक नहीं है। मैं नौकर की और कानून की उतनी ही आवश्यकता अनुभव करता हूं जितनी डॉक्टर और दवा की हमको जरूरत है। स्वस्थ अवस्था के अन्दर हम दवा खायें यह मुझे पसन्द नहीं है लेकिन दवा और डॉक्टर रहने नहीं चाहिए यह एक दूसरा खतरा खड़ा कर लेंगे। इसलिए नौकर

(श्री कुम्भाराम आर्य)

रहने चाहिए, कानून रहना चाहिए लेकिन कम से कम हों तो ज्यादा हमको छूट मिलती है, फीडम रहती है ।

एक बात बहुत बड़ी कह दी कुदाल साहब का नाम लेकर कि आपका हुक्म नहीं चलता । आपकी बात कोई इस सरकार में मानता नहीं है मैं अपने सदस्य महोदय से यह तो नहीं कहूंगा कि मेरी कोई तेरहवीं पाताल में जाती है और यह भी मैं उनका आभार मानूंगा कि वे मेरी बड़ी फिकर रखते हैं, मैं उनका बहुत आभारी हूं । मैं उनकी चिन्ता मिटाने के लिये बता दूं कि अभी जो रह रहे हैं वे भी मेरे ही हुक्म से से रह रहे हैं किसी और के हुक्म से नहीं । दूसरी बात इसके साथ कही गई, या तो गुस्से में कहदी होगी या समझदारी से कहदी होगी, कि सरकार से बाहर चला जाना चाहिए । मैंने दो तारीख को कोशिश भी की थी बाहर निकलने की लेकिन निकलने नहीं दिया । इसलिए मैं तो समझता हूं कि आपको भी यह समझकर चलना चाहिए कि मैं भी मजबूरी में ही सब जगह काम कर रहा हूं....

श्री हीराभाई : यह मजबूरी काहे की है ?

श्री कुम्भाराम आर्य : यह पार्टी का अनुशासन है, आवारागर्दी का टोला नहीं है ।

एक शिकायत यह थी कि राजस्थान के अन्दर अमेन्डमेन्ट बहुत आते हैं, बदली-संशोधन बहुत आते हैं । यह संशोधन भी राजस्थान में ही नहीं आते हैं, ये तो डेमोक्रेसी के प्रतीक हैं । जहां डेमोक्रेटिक गवर्नमेन्ट रहेगी वहां बार-बार विचार करना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा सहूलियतें देने के लिए जनता को, संशोधन करने पड़ेंगे । अगर आप लोग यह फैसला कर लें कि बिना संशोधनों के चलें तो आपही लोगों को मुसीबत खड़ी हो जायेगी कि सरकार किसी की जायज बात भी सुनती नहीं है । इसलिए डेमोक्रेसी यह विश्वास रखती है कि इसके अन्दर बार बार चिन्तन और मनन करना चाहिए और कोई बात ऐसी लगती हो तो फौरन उसको घटा-बढ़ा देना चाहिए । यह शुभ लक्षण हैं, अशुभ नहीं ।

सरकार के मंत्री कानून नहीं जानते, यह एक बहुत बढ़िया पते की बात कही गई । लेकिन वे जानते नहीं कि हमारे पास भी ग्रेज्यूएट हैं, कमी नहीं है । लेकिन मैं जरूर ढ़भाढ़भ हूं । लेकिन किसी वकील को इतना गुमराह भी नहीं हो जाना चाहिए कि मैं उससे कहीं ज्यादा मूर्ख हूं ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : यह अपने किसी डिप्टी के लिए कह रहे हैं !

श्री कुम्भाराम आर्य : यह सब मैं प्रेम से कह रहा हूं और प्रेम से सुन लें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपकी नजर में लड्ढा साहब मूर्ख हैं, सब मूर्खों की मण्डली है ।

श्री कुम्भाराम आर्य : मेरी एक कॉपी का उत्तर तो पूरा हो गया है, एक और है ।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : यह तो मूर्ख मण्डली के प्रधान की पवित्र घोषणा है ।

श्री कुम्भाराम आर्य : यह १४ तारीख का कोई फैसला है और जिसके बारे में मुख्य मंत्री महोदय का कोई वक्तव्य बतलाया

(श्री कुम्भाराम आर्य)
गया। मैंने वक्तव्य तो पूरा पढ़ा नहीं कि उसमें क्या क्या बातें लिखी हैं लेकिन १४ तारीख को कैबिनेट की मीटिंग जो हुई थी उसके अन्दर सीलिंग का मामला था। अब वह पूरी बात तो पूरे कागज देखकर ही बताई जा सकेगी, लेकिन मुख्य मंत्री महोदय कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दें जो बिल्कुल ही सफेद झूंठ हो, ऐसी बात मानने के योग्य नहीं बनती और खास तौर से ऐसे मुख्यमंत्री के लिए जिसे सारी दुनिया चतुर कहती है।

श्री दुर्गालाल बाडदार : आप भी कहते हैं या नहीं।

श्री कुम्भाराम आर्य : मैं तो नहीं कहता, एक मैं ही नहीं कहता, मैंने दुनिया का कहा है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : दुनिया में आप शामिल नहीं हैं क्या ?

श्री कुम्भाराम आर्य : बोलने वाला खुद नहीं आया करता है।

इसलिए इतनी बड़ी बात जुम्मेदार के प्रति कह देना चाहते हैं, कहने को तो कह सकते हैं, लेकिन दूसरे लोग उतने आदर से स्वीकार नहीं करेंगे जितना सत्य को स्वीकार करेंगे। इसलिए सदस्यों को भाषा का प्रयोग प्रमाणित करना चाहिए और विश्लेषण भी कहीं रखना हो तो उतना ही रखना चाहिए जितना आटे में नमक चलता है। इससे आगे कोशिश करने से बात गड़बड़ा जाती है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि वे इस बात को इसी तरह से समझें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इतना स्पष्ट कर दीजिये कि १४ तारीख को जिस कैबिनेट मीटिंग का एजेंडा था उसमें यह विषय था या नहीं। जो सीलिंग कानून में प्रस्तावित संशोधन था क्या उस दिन कैबिनेट की मीटिंग में आपके प्रस्तावित संशोधन को जो सीलिंग के सम्बन्ध में आपने रखा था और जिनसे आपकी यह मान्यता थी कि राजस्थान के व्यापक हित में अनेक लोगों को इससे लाभ मिलेगा, यह बहुत व्यवहारिक है, इसको स्वीकार किया जाना ही उत्तम है, आप प्रगतिशील माने जाते हैं, उस दृष्टिकोण से आपने संशोधन प्रस्तावित किये थे, तो क्या वे प्रस्ताव कैबिनेट की मीटिंग में नामंजूर कर दिये गये ? मैं केवल इतनी जानकारी आपसे चाहता हूं, आप अगर कह सकें तो कह दीजिए नहीं तो जाने दीजिये।

श्री कुम्भाराम आर्य : जितना स्मरण है उतना ही ईमानदारी के साथ आपके सामने रख दूंगा, शेष के लिए आपको संतोष करना होगा।

राजस्थान के अन्दर दो बार सरकार ने यह निर्णय लिया कि जो भूमिहीन लोग है और भूमिहीन होने के नाते सरकारी जमीनों पर उन्होंने बिना सरकार की मंजूरी के नाजायज कब्जा कर लिया है ऐसे सब लोगो के कब्जे वैध कर देने चाहिए, लीगेलाइज कर देने चाहिए। यह दो बार राजस्थान के अन्दर निर्णय हुआ। इसके संदर्भ के अन्दर एक बात तो सीलिंग के विषय में यह रखी गई कि जो भूमि भूमिहीन किसानों ने पैसे देकर के खरीद ली उस भूमि को उस किसान से वापिस न लिया जाय, क्योंकि एक तरफ तो हम जिन्होंने नाजायज कब्जे किये हैं उनको वैध घोषित कर रहे हैं और दूसरी तरफ जिनका कि सिविल मामला

(श्री कुम्भाराम आर्य)

है उनकी अगर कोई गलती भी है तो लेने देने की गलती है, कोई फौजदारी का मामला नही है। कीमत देकर भूमिहीन ने जमीन ली और आज सीलिंग के नाम से उस जमीन को वापिस छीनते हैं उसमें जागीरदारों और जमींदारों का उतना नुकसान नही है जितना भूमिहीन किसानों का नुकसान है। आज तो हम उनसे छीन लेंगे जमीन और जो पैसा उनका लगा उसके लिए उनको कह देंगे कि दया करके ले लो उनसे और दूसरी तरफ फिर हम कहेंगे कि कौन भूमिहीन है, इसकी जांच करेंगे और फिर इस भूमि को अलॉट करेंगे। तो क्या पता, जिसने खरीद की है उसको कौन सी मिले। जिसने आज दस साल तक मेहनत की, उसको सुधारा, उसको ज्यादा उपजाऊ बनाया, वह तो एक तरफ खड़ा देखता रहे, उसका पैसा भी फंस जाय और वह जमीन दूसरे को अलॉट हो जाय, इससे लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति बिगड़ने का भी डर है और यह नेचुरल जस्टिस भी नही बनती। यह व्यावहारिक बात नहीं लगती है बुद्धि से भी। इसलिए ऐसे सब बेचान जो हैं वह हमको मान लेने चाहिये ताकि झगड़ा खत्म हो जाय और उसको उस पर कब्जा दे दिया जाय। इसमें हम इतना ही चाहते हैं कि किसी के पास ज्यादा जमीन नहीं रहनी चाहिये। और जो दूसरा सुझाव था ....

श्री रामानन्द अग्रवाल : अब पहले सुझाव के बारे में ....

श्री कुम्भाराम आर्य : दूसरा सुझाव यह था कि जिन लोगों की जमीन हमने जो एक होल्डिंग मानली है उससे कम पड़ती है और उस होल्डिंग को पूरा करने के लिए अगर कोई किसी से जमीन ले लेता है तो उसको हमें वैध करार दे देना चाहिए ताकि वह अपनी जिन्दगी अच्छी तरह से बसर करने के लायक बन जाय। बन जाय इतना ही नहीं, उसने कोशिश करके अपने को बना लिया है, इसलिए उसको फिरसे डिस्टर्ब करना सही नहीं है। यह गलत हो जायगा; यह सुझाव था।

और इसके बाद एक सुझाव था मैकेनिकल फार्म का। यह सारे का सारा मामला अनुभव से मेरे को ऐसा लगा कि जब यह कानून बना था तब तो किसी के पास कोई फार्म था ही नहीं, फर्जी चाहे किसी ने लिखा लिया होगा। कोई बिरला-बिरला के पास हो तो अलग बात है। आज जब लोग इस तरह से काम करने लगे और लाखों रुपये जमीनों पर लगा दिये उस हालत के अन्दर यह व्यवस्था जो है सही नहीं है। इसमें बदल आनी चाहिए या तो बिल्कुल ही खत्म करदेना चाहिए या इसकी परिभाषा ऐसी बना देनी चाहिए कि जो सचमुच में इस तरह का काम करते हैं वही इसका लाभ ले सकें और केवल कानून की तरफ से नाम लिखा लिया, इसलिए लाभ नहीं ले सकें।

तीन बातें तो यह थीं, एक बात और थी। वह यह थी कि सिंचित भूमि जो है उसको उतनी सिंचित मानी जाय जितनी में राज्य उनको परसेन्टेज के हिसाब से पानी देता है। पानी तो देती है सरकार ६० बीघे का और उसको मान लिया है सिंचित १०० बीघा। इस तरह से उसकी फलावट में ४० बीघा बारानी जमीन सिंचित में चली जाने से उसको एक आर्थिक नुकसान पहुंचता

(श्री कुम्भाराम आर्य)

है । इस टेक्निकल मिस्टेक को ठीक किया जाना चाहिए और ३० स्टेन्डर्ड एकड़ से आगे नहीं बढ़ना चाहिए ।

इसके अलावा एक-दो छोटे-मोटे कोई और भी हो सकते हैं, चूंकि पर्चा मेरे हाथ में नहीं है और बात भी मैं नहीं जानता था कि मुझ से पूछ लिया जायगा इम्तिहान जैसे मामले में ! अब मैं फेल भी होना नही चाहता लेकिन पास करना लोगों के हाथ में है। कहीं थर्ड दर्जे में ठोक दिया तो आगे भर्ती भी नहीं मिलेगी।

एजेन्डे के अन्दर कुछ ऐसी बातें थी उसमें से कुछ मंजूर हुई और कुछ मंजूर नहीं हुई, कुछ पूरा नहीं कह सकता । इसके बारे में तो माननीय मुख्य मंत्रीजी जब यहां उपस्थित होंगे तो आपको वे स्पष्टीकरण दे सकेंगे । और मुझ से लेना चाहे तो रात–रात की छुट्टी दे दें कल केबिनेट का फैसला ही लाकर बता दूंगा ।

(विपक्ष की ओर से हियर, हियर)

इसलिए शाब्दिक झगड़ा ही न रहे, क्योंकि न आपको पता है और न मेरे को । आप यों ही शाब्दिक उलझनों में फंसते है । आप कहें तो फैसले की सारी बातें आपको बता दूंगा....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : १४ जुलाई के मिनिट्स ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : चीफ सेक्रेट्री आपको फैसले की नकल लाने भी देंगे या नहीं ?

श्री कुम्भाराम आर्य : माननीय सदस्य जैसा आपका हाल है वैसा तो मेरा नहीं है ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : आज के दिन जागीरदारों ने गुजरात के रहने वालों को दो–दो हजार रुपया बीघे में जमीनें बेच दी हैं, उनको आप जायज़ समझते हैं या नाजायज हैं ?

श्री कुम्भाराम आर्य : आपकी बात मैं समझ गया । आप राजस्थान में आने दो पैसा। जमीन मैं सारी जब्त कर लूंगा । पहले से ही शोर करेंगे तो पैसा आने से रुक जायेगा ।

श्री दुर्गालाल बाढदार (हवामहल, जयपुर) **:** यह तो आपकी मान्यता है । कानून के आधार पर वैधकरण हो जायगा या नहीं, यह भी स्पष्टीकरण आपको करना है, श्रीमान् ?

श्री कुम्भाराम आर्य : आप माननीय सदस्य वकील हैं।

श्री दुर्गालाल बाढदार : ऐसे वकीलों के लिए ही तो आप कानून बना देते हैं । उनको खाली इन्टरप्रिटेशन करना पड़ता है । आपका सहारा लेते हैं, तो थोड़ी सहायता कीजिये।

श्री कुम्भाराम आर्य : सुनलो आज का कानून यह कहता है कि कोई भी इस तरह से खरीद करेगा तो अपनी मर्जी से करेगा। राज्य कोई रियायत नहीं करेगा।

और कोई शंका हो तो निकाल लें, भाई ! किसी को कोई शंका रह गई हो तो मुझ को बतला दें, क्योंकि मेरे कागज में से सब आगये हैं । एक पोइन्ट शेष रह गया । माननीय मुख्य मंत्री के परिवार के लोगों ने जमीन ली और एक रैवेन्यू बोर्ड के जो सदस्य हैं उन्होंने यह कह दिया कि कि हम तो बोर्ड के

(श्री कुम्भाराम आर्य)
मेम्बर की हैसियत से काम नहीं कर रहे हैं। उनकी (मुख्य मंत्रीजी) की गैरहाजरी में मैं उनकी तरफ से जवाब देने में असमर्थ हूं, लेकिन सामान्य बुद्धि यह कहती है कि रेवेन्यू बोर्ड का जुरिस्डिक्शन है वह एक तरह का है, लेकिन उसके एक ऑफिसर को कोई एन्क्वायरी सुपुर्द की जाती है तो उसकी हैसियत दूसरी तरह की रहती है। हाईकोर्ट के जजेज़ को भी इन्क्वायरी दे देते हैं तो उस वक्त...

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : एन्क्वायरीज एक्ट के जेर-तहत एन्क्वायरी सुपुर्द कर देते हैं। हाई कोर्ट के मेम्बर को भी अगर कोई एन्क्वायरी देते हैं तो एन्क्वायरी एक्ट के जेर-तहत देंगे। जब एन्क्वायरी एक्ट के जेर तहत एन्क्वायरी होगी तो वह कैसे कह सकते हैं कि एवीडेन्स देने जायें तो एवीडेन्स नहीं लेना चाहते। यह क्या एन्क्वायरी है? यहां पर उन्होंने कहा कि रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर कह रहे हैं और वहां वे कहते हैं कि रेवेन्यू बोर्ड का मेम्बर नहीं बल्कि मैं अपने मालिक का हुक्म बजाने के लिए काम कर रहा हूं।

श्री कुम्भाराम आर्य : मैं आपके किसी शब्द का विरोध नहीं करता और असत्य घोषित नहीं करता, मैं तो रीति की, व्यवहार की और व्यवस्था की बात कहता हूं। वह यह है? कि इसमें फर्क न आप डाल सकते हैं और न मैं डाल सकता हूं। इसलिए ऐसी बात सोचना सही नहीं है।

अब रहा सवाल छोटे छोटे नाबालिग बच्चों के नाम पर दे दी। वह तो आप लोग कई बार यहां जिक्र कर चुके और कई बार वे उसका जवाब दे चुके, और उनके जवाब से सन्तोष नहीं हुआ तो मुझे कठिन लगता है कि मेरे से आप प्रभावित हो जायं। इसलिए यह असन्तोष तो जिस दिन आपका मन बनेगा उसी दिन दूर होगा, नहीं तो यह बुखार चढ़ा ही रहने वाला है।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : आप भी नहीं उतार सकते यह बुखार तो जब तक भ्रष्टाचार रहेगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : क्या आप उसको सही मानते हैं कि तीन वर्ष के बच्चे को दे दी जाय और उसको वेलिड मान लिया जाय।

श्री कुम्भाराम आर्य: एक पोइन्ट और रह गया। वह आपके ध्यान में नहीं रहा होगा लेकिन मेरे नोट किये हुए कागज के अन्दर है। वह यह है कि यह जो ऑफिसर्स लगाये हैं वे १२ साल को पार करते हैं या नहीं करते, तो इस हाउस में खड़ा होकर उनकी सी. आर. में क्या लिखा है, यह नहीं बतला सकता, लेकिन मानकर के ही चलते हैं, क्योंकि यह मानकर नहीं चलें तो कोई काम नहीं चलता, वे इस बात को पूरा करते होंगे, उसके बाद भी मैं निवेदन कर दूं कि पूरा अगर नहीं करेंगे को अवैध कराने वालों की कमी थोड़े ही है। उसको अवैध करा देंगे। वहां राज्य को नहीं चल सकती।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : आपने इस कानून में यह धारा लगा दी है कि अगर अवैध भी हो तो चुनौती नहीं दी जा सकती है और वह वैध ही समझा जायेगा, यह आपने लिख दिया है

Page No. 90

श्री कुम्भाराम आर्य : यह सब मामले पीछे के हैं आगे के लिये कोई अन्धेरा नहीं है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : पीछे के अन्धेरे को उजाला कर रहे है, ब्लैक मनी को व्हाइट मनी कर रहे हैं।

श्री कुम्भाराम आर्य : यह तो आपके अंतःकरण के भाव हैं जो प्रकट कर रहे हैं। एक पटवारी की बात कह दी थी नाम तो भूल गया....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : श्याम सुन्दर पुरोहित।

श्री कुम्भाराम आर्य : ट्रान्सफर की बात कह दी। इतनी छोटी बात हाउस में कहने के बजाय चाय के प्याले पर कहते तो ठीक था भाई।....

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : कोई मिनिस्टर चाय पिलाता ही नहीं।

श्री कुम्भाराम आर्य : गाली खाने के लिये तो कोई चाय आज पिलावे न कल पिलावे। भाइयों की तरह खीर भी खाओ तो अच्छा लेकिन आप यह सोचो कि गाली भी खाओ और खीर भी खाओ, ऐसा भौंदूप्रसाद और ही कोई होगा।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जिसके यहां खीर के लिये दूध है वही खीर खिला सकता है, जिसके यहां चाय के लिये भी दूध नहीं है वह क्या खिलायेगा ?

श्री कुम्भाराम आर्य : मैं समझा नहीं।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जिसके घर में खीर के लिये दूध है वह खीर खिला-देगा, लेकिन जिसके घर में चाय के लिये दूध नहीं है वह क्या चाय पिलायेगा ?

श्री कुम्भाराम आर्य : कोई झगड़े की बात नहीं है जनता को कह दो कि दूधवाले को मंत्री बना दे यह सीधा सा फार्मूला है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : यह बिलकुल सही है।

श्री कुम्भाराम आर्य : अब मुझे इजाजत है बैठ जाने की ?

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि जो परिनियत संकल्प सर्व श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री उमरावसिंह ढाबरिया और श्री मथुरेशविहारी ने प्रस्तुत किया उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संकल्प गिर गया

श्री कुम्भाराम आर्य : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन तथा वैधकरण) विधेयक, १९६६ विचारार्थ लिया जाय।

श्री सभापति : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

[इस विधेयक पर निम्नलिखित संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत हुए:—

(१) श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर)

(२) श्री अब्दुल जब्बार खां (निम्बाहेड़ा)

(३) श्री रामकिशन (वैर)

१. राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन तथा वैधकरण) विधेयक, १९६६ को ६ माह। तीन माह। सात दिन के लिये जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाय।

(१) श्री मानिकचंद सुराणा (कोलायत)

(२) श्री दुर्गालाल बागदार (हवामहल, जयपुर)

(३) नाथूलाल करेल (चाकसू)

२. राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन तथा वैधकरण) विधेयक, ११६६ को एक प्रवर समिति के सुपूर्द किया जावे जो अपना प्रतिवेदन एक सप्ताह में। आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह में सदन के समक्ष प्रस्तुत करें (समिति के सदस्यों की नामावली बाद में प्रस्तुत कर दी जावेगी)। "]

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय सभापतिजी

श्री कुम्भाराम आर्य : इन्टरवल तो करावो।

श्री मुरलीधर व्यास : सभापति महोदय, इस पर काफी चर्चा हुई। अभी मंत्रीजी ने बहुतसी बातों का स्पष्टीकरण किया। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें एक सबसे बड़ी बात यह है कि सन् ५६ के बाद ६६ तक हुकूमत कैसे होती रही, क्यों सोती रही, इस मामले में मंत्री महोदय ने कोई उल्लेख नहीं किया। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था के मामले में राज्य सरकार के मुख्य मंत्रीजी ने बहुत ज्यादा ढिंढोरा पीटा और न जाने कितने अखबारों में १० वर्ष की प्रशासनिक व्यवस्था का गुणगान दिया और न जाने कहां कहां कितना रुपया सरकारी खजाने से खर्च करके इस बारे में प्रचार किया गया। लेकिन १० साल के शासन का जो नमूना हमारे सामने आया कि किस प्रकार इस हुकूमत ने संविधान की तहत, जिसकी उन्होंने शपथ खाई और कहा कि हमारे यहां की व्यवस्था संविधान के तहत चलेगी, वहां संविधान की बुनियादी बातों को ठुकरा करके मनमाने तरीके से रेवेन्यू बोर्ड का काम चलाते रहे इसका स्पष्ट उल्लेख हमारे सामने आ चुका है और उसमें भी जब इस बात को कहा गया कि इसमें इतनी कमियें होने के बाद जब इस बारे में अध्यादेश जारी होता है और परिवर्तन करने की बात आती है तो इसके लिये कैबिनेट का डिसीजन हो, कैबिनेट बैठ सके इस सिलसिले में मंत्री महोदय ने फौरन कह दिया कि क्योंकि हम पहले से ही जानते थे कि इसमें कुछ न कुछ होगा, हम अपना फैसला पहले से विचार करलें, एक मंत्री अपने पद से कहते हैं कि हम पहले से जानते थे। एक जानकार आदमी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इस बात को जाने कि यह होने वाला है तो किसी भी परिस्थिति में कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर उस पर चर्चा कर सकते थे, क्योंकि मालूम होने की बात आप खुद कहते हैं। एक और आप कहते हैं कि हमको मालूम था इस प्रकार शायद हो जाय तो इस प्रकार करना है। लोकतंत्र में जुडिशियरी के फैसले की बात आपको पहले मालूम पड़ जावे तो यह ऐसा मालूम होता है कि हमारी जुडिशियरी और दूसरी एग्जेक्यूटिव मिल-जुल कर काम करते हैं, यह अपने आप में स्पष्ट प्रमाण है। यह कहना कि इसका हमें पहले से ही संदेह था, जानते थे इसलिये निर्णय कर लिया।

आप जानते थे तो दूसरी तरफ मंत्री-मंडल की बैठक बुला सकते थे। फैसला करने की बात मालूम थी कि इस प्रकार होने वाला है तो केबिनेट की बैठक बुलाई जा सकती थी। सदन को किस प्रकार गुमराह करते हैं छोटी-मोटी बातों के लिये। मंत्री

(श्री मुरलीधर व्यास)
मंडल की बैठक बुलाई जा सकती है। यह मैं बताता हूं।

आज से कुछ दिन पहले एक छोटी सी घटना हुई थी। छोटी सादड़ी के एक सेठ ने फैसला किया कि लालबहादुरजी शास्त्री को सोने से तोलेंगे। वह यहां पर आता है और आते ही इस बात का फैसला करते हैं कि कैबिनेट की मीटिंग बुलाओ कितने सोने की व्यवस्था होगी इस बात के लिये आप कैबिनेट की मीटिंग बुलाना आवश्यक समझते हैं और जल्दी ही मीटिंग बुलाते हैं और वह भी जब जब कि एक तस्कर का सोना था और वह सोना भी ब्लैक में रखा था, सोने की ५६ ईंटें एक्साइज वालों से मिलकर सोने की ईंटें अपने पास से लेकर दूसरे स्थान पर रख देता है और वहां पर रखने के बाद जब हमारा एक आदेश होता है कि स्वर्ण बोन्ड खरीदो उस पर वह अपना सोना लेने जाता है और जब इन्क्वायरी करने पर उसको वह पूरा सोना नहीं मिलता है तो पुलिस में रिपोर्ट करता है कि मेरी सोने की इतनी ईंटें गायब हो गईं और इसके पास हैं, आप तलाशी लें। जब वह एस. पी. के पास इस तरह की दर्ख्वास्त देता है ९ दिसम्बर को और फिर एस. पी. जाता है और उसके घर का घेरा डालता है और बरामद करने की कोशिश करता है उस समय वह गणपतलाल दूसरे की जीप में बैठ कर चीफ मिनिस्टर के पास आता है और कहता है कि मैं लालबहादुरजी शास्त्री को सोने से तोलना चाहता हूं। सुखाड़िया साहब जब उससे मिलते हैं उस समय उनको बतलाया जाता है कि इसके खिलाफ पुलिस में कम्पलेन्ट है। यह माल ६० लाख के करीब का हमारा है और उसको यह इस प्रकार से लाया है, इसको आप लालबहादुरजी शास्त्री को सोने की ईंटों से तोलने के काम में मत लेओ, इस प्रकार की बातचीत एस. पी. और सी. एम. साहब के होती है। एस. पी. वहां से हट जाता है उसके बाद गणपत ने आकर कहा कि शास्त्री जी को सोने की ईंटों से तोलना चाहता है उस समय १० तारीख को सुखाड़ियाजी भीलवाड़ा में सबसे मिल कर आते हैं और ११ तारीख को कैबिनेट की मीटिंग बुलाते हैं और तुरन्त निर्णय करते हैं कि शास्त्री जी को सोने से तोला जाय और रेडियो से एलान होता है कि गणपत शास्त्रीजी को सोने से तोलेगा। एक तरफ तो एक तस्कर लाखों का सोना दबाकर बैठता है और माल लेकर आता है और आप कैबिनेट की मीटिंग फौरन बुलाते हैं रेडियो पर फैसला सुनाते हैं. . .

श्री सभापति : माननीय सदस्य विषय से परे जा रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : मैं कह रहा हूं कि बावजूद लोकतंत्र में जब कि संविधान में प्रावधान है कि कोई डिसीजन कैबिनेट को करना चाहिये वहां आप कहते हैं कि हमको पहले से पता था फिर भी आपने कैबिनेट की मीटिंग बुलाकर डिसीजन नहीं किया और जब शास्त्रीजी को सोने से तोलने का प्रश्न आया तो तुरन्त कैबिनेट ने डिसीजन ले लिया और रेडियो पर घोषणा करवाई; मैं कहना चाहता हूं कि यह सोने की ईंटों का ५६ ईंटों का सवाल था उसमें से २४ ईंटें लालबहादुरजी के वजन की रख दीं लेकिन दूसरी ईंटों का पता नहीं है।

(श्री मुरलीधर व्यास)

मैं सुखाड़ियाजी से कहना चाहता हूं कि जब गणपत यहां आता है ११ तारीख को, जिस आदमी के खिलाफ कम्पलेन्ट है, जिसने सोना दबाया है उसको कार में बैठा कर छोड़ने के लिये जाते हैं और जिस एस. पी. ने कहा कि मैं इसके खिलाफ कार्यवाही करूंगा उसको कहते हैं कि तुम्हारी कार्यवाही वापिस ले लो। मुझे दुःख होता है कि जहां पर इस प्रकार की कार्यवाही हो, तस्कर से सोना लेने का सवाल हो वहां इस प्रकार की बात कहते हैं। यह बड़ा अच्छा हुआ कि तस्कर के सोने से उनको नहीं तोला गया क्योंकि एक माह बाद उनका देहान्त हो गया। ऐसे मामले में आप डिसीजन कैबिनेट में करते हैं तो इस प्रकार के महत्वपूर्ण मामले में, अध्यादेश के मामले में आप डिसीजन कैबिनेट में क्यों नहीं करते? आपके सामने यह जो राज है वह आयगा तब आपको मालूम पड़ेगा कि ये सोने की ईंटें किस तरीके से किस जरिये से किन किन ने ली हैं और सारे मामले को लालबहादुरजी को तौलने पर डाल दिया गया।

दूसरा सवाल मंत्रीजी कह रहे हैं यह जो रेवेन्यू बोर्ड के मामले में कह रहे हैं मधोक के फैसले के सिलसिले में जहां तक सुखाड़ियाजी की जमीन का सवाल है;

(४.०० म.प.)

सवाल इस बात का है कि सदन के अन्दर जब मुख्य मंत्री को सारा हाउस चिल्ला-चिल्ला कर कह रहा था कि इस मामले के अन्दर जुडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिए और मुख्य मंत्रीजी खुद कह रहे थे कि मैं जुडिशियल इन्क्वायरी कराना चाहता हूं और उसके बाद में उन्होंने मधोक का नाम उसके लिए प्रस्तावित किया था तब सतीशचन्द्रजी अग्रवाल ने हाई कोर्ट के जज श्री जगतनारायणजी का नाम प्रस्तावित किया था ताकि कानूनी तरीके से जुडिशियल इन्क्वायरी हो सके। उस समय मुख्य मंत्रीजी ने कहा था, नहीं, हाई कोर्ट के जज और रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर दोनों की एक कैटेगरी है और वह जो इन्क्वायरी करेंगे वह जुडिशियल इन्क्वायरी ही करेंगे। उन्होंने इस सदन में यह कहा था कि वह जुडिशियल इन्क्वायरी करेंगे। लेकिन जैसा कि अभी इस सदन में कहा गया, मधोक साहब को उसके बाद में यहां के चीफ सेक्रेटरी ने एक चिट्ठी लिख दी कि कानूनी क्या बात है, इस जमीन के मामले के अन्दर इसको देखकर जबाव दे दो। मैं समझता हूं कि मुख्य मंत्रीजी ने जब इस सदन में यह साफ कर दिया था, मैं समझता हूं आज भी इस सदन के सदस्यों को याद होगा कि उस दिन सदन में एक ऐतिहासिक घटना हुई थी जब इस प्रश्न को लेकर सदस्यों द्वारा विरोध प्रकट किया गया था और उस पर ही जुडिशियल इन्क्वायरी की मांग को मुख्य मंत्रीजी ने स्वीकार किया था। लेकिन उसके बाद भी इस मामले के अन्दर जुडिशियल इन्क्वायरी नहीं की और इस प्रकार की बात कर दी, तो मैं समझता हूं कि यह इस सदन का ब्रीच ऑफ प्रिविलेज है....

श्री परसराम मदेरणा (सहकारिता मंत्री): मुख्य मंत्रीजी ने उस दिन जुडिशियल इन्क्वायरी के बारे में नहीं कहा।

(श्री परसराम मदेरणा)

उन्होंने जो कुछ कहा था उसके लिए आप प्रोसीडिंग्ज् देख सकते हैं। लेकिन उन्होंने जुडिशियल इन्क्वायरी की बात नहीं कही थी। आप तथ्य को तोड़-मरोड़ कर कह रहे है।

श्री मुरलीधर व्यास : आप उस दिन की प्रोसीडिंग्ज् को उठा कर देख लीजिये, उन्होंने दस दफा कहा है कि जुडिशियल इन्क्वायरी करायेंगे। उन्होंने यह भी कहा था कि इस मामले में कोई गलती हुई तो वह त्याग-पत्र दे देंगे। उस दिन उन्होंने बहुत बड़ी बड़ी बात कही थीं। आप अगर यह कहते हैं कि उन्होंने नहीं कहा तो आप खुद देख लीजिये कि उन्होंने इस तरह की बात कही या नहीं। एक तरफ तो हाउस में जुडिशियल इन्क्वायरी की बात कहें और फिर इस तरह की कार्यवाही करें और दूसरी तरफ जब सेन्टर इस मामले के अन्दर पूछे तो उसे यह कहें कि इस मामले में जुडिशियल इन्क्वायरी हो रही है ताकि वह इस मामले में कोई एक्शन नहीं ले सके। इसी प्रकार से इस मामले में जो रिपोर्ट जल्दी ही देनी हो उसमें वह साल भर तक अपनी रिपोर्ट नहीं दें। और उनसे अगर लोग यह कहें कि हमारी बात सुनो, हमारे बयान लो तो उनसे उन्हें कोई मतलब नहीं। तो मैं समझ नहीं सकता कि जो कुछ मुख्य मंत्रीजी ने किया है वह कहां तक ठीक है। अब कुम्भारामजी ने जैसा कहा कि यह तो बुखार है। मैं कहता हूं इसमें बुखार का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि जो राज्य के अन्दर इतने बड़े पद पर बैठने वाला व्यक्ति है, जो मुख्य मन्त्री है उसका चरित्र अच्छा होगा, उसका आचरण ठीक होगा तो उसका अच्छा असर दूसरे लोगों पर पड़ेगा। और यदि उसका आचरण भाई भतीजों को पालने वाला होगा और ऐरे गेरे लोगों को गैर कानूनी कार्यवाहियों में मदद देने का होगा तो उसका असर राष्ट्र पर अच्छा नहीं हो सकता। आखिर मुख्य मन्त्री जी एक पब्लिक सर्वेन्ट माने जाते हैं तो यदि कोई सवाल उनके खिलाफ ऐसा आता है कि इस तरह के काम करके वह अपने भाई भतीजों को पालते हैं तो उसकी जांच होनी चाहिये। परन्तु वह जुडिशियल इन्क्वायरी की बात को कह कर उसे टाल जाते हैं। यह इस तरह का बुखार है।

दूसरी तरफ रेवेन्यू मिनिस्टर ने अपने आपको बहुत बड़ा ऋषि बताते हुए बयान दिया सीलिंग के मामले के अन्दर। मैं सुखाड़ियाजी से कहना चाहता हूं कि सन् १९६२ के चुनाव के पहले जब सीलिंग के मामले पर बहस चल रही थी तो उस समय के रेवेन्यू मिनिस्टर दामोदरलालजी व्यास ने कहा था कि इस चुनाव के पहले २ सीलिंग का कानून पास हो जायगा और अगर नहीं होगा तो हम त्याग पत्र दे देंगे। परन्तु मैं कहता हूं कि इस सीलिंग के मामले के अन्दर कांग्रेस के लोगों ने अपनी राज–नीति चलाई है। आज भी इस मामले के अन्दर राजनीति चल रही है। इतने लम्बे समय के अन्दर इसमें यह परिवर्तन हो गया है कि जैसा हम चाहते थे कि योजना के अनुसार ऐसा कानून बनना चाहिए जिससे भूमिहीन लोगों को जमीन मिल सके। लेकिन आपने उस कानून में इतनी लम्बी ढील देकर उसको इतना लम्बा कर दिया और इस समय में जो लोग भूमिहीन थे उनको तो जमीन नहीं दी

(श्री मुरलीधर व्यास)

लेकिन जमीन आप लोगों ने किस तरह से ली है और किस तरह से लोगों ने जमीन पाई है उसके इतिहास को मैं आप लोगों के सामने नहीं दोहराना चाहता । मैं कहना चाहता हूं कि जैसा कुम्भारामजी ने अभी कह दिया कि जिन लोगों ने जमीन खरीद ली है उसको वेलिड कर दिया जाय। मैं कहता हूं कि जमीन खरीद तो उन लोगों ने ली है जिनके पास घर की बहुत जमीन है और उन्होंने अपने भाई के नाम, इसके नाम और उसके नाम—सबके नाम से और जमीन ले ली है....

श्री परसराम मदेरणा : भूमिहीनों के लिए कर रहे हैं।

श्री नाथूराम मिर्धा (कृषि मंत्री) : भूमिहीनों को वेलिड कराने का था।

श्री मुरलीधर व्यास : भूमिहीनों के लिए आप कह रहे हैं, वह भूमिहीन कैसे हैं, घर में पांच व्यक्ति हैं उनमें से इसको उसको भूमिहीन मान लिया और सबको भूमिहीन मान कर जमीन बांटदी एक परिवार के अन्दर। तो इस तरह की बात कह कर गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो भूमिहीन हैं उनकी बात कह कर जमीन से उनको तो वंचित कर दिया गया और दूसरे लोगों ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया। मैं कहता हूं कि जब जमीन उनके कब्जे से निकालेंगे तब ही तो भूमिहीन किसानों को दे सकेंगे। नहीं तो कैसे दे सकेंगे।

आप मैकेनाइज्ड फार्म की बात कहते हैं कि जिन्होंने पैसा भूमि पर लगा दिया है, जिन्होंने जमीन पर पूंजी लगादी है उनसे यदि जमीन लेंगे तो उनको नुकसान होगा। मैं कहना चाहता हूं कि पैसा लगाने वाले तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, पूंजीपति हैं उन्होंने ही पैसा लगाया है। लेकिन अगर आप इस तरह की बात करेंगे तो आप इस समाजवादी व्यवस्था को कायम न करके पूंजीवाद को प्रोत्साहन देंगे। मैं आपको कहता हूं कि जितने बड़े बड़े कारखाने हैं उनमें भी किसने पूंजी लगाई है, जिन्होंने इतनी बड़ी पूंजी लगाई है, वह बिड़ला ने लगाई है, टाटा ने लगाई है। भूमि पर भी उन को ही पनपायेंगे तो इस तरह समाजवादी व्यवस्था आप कायम नहीं कर सकते। आप यह बात कह कर कि यह क्रांतिकारी भूमि सुधार कानून है, आप गलत फहमी के रास्ते पर लोगों को डालने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए यह कहना कि हम किसान नेता हैं और हम इस प्रकार खुद किसानों के हितचिन्तक हैं—मैं समझता हूं यह लोगों को गुमराह करना है और इस प्रश्न को घपले में डाल दिया गया है। एक बुनियादी और मूलभूत सिद्धान्त जो था कि भूमिहीनों को जमीन मिले और उनको ही जमीन मिलनी चाहिए, जिनके लिए असल में कहना चाहिए कि उनके घर में जमीन नहीं थी, जो बिना जमीन वाले थे, जिनका परिवार जमीन के बिना बैठा हुआ है, ऐसे लोगों को जमीन मिलनी चाहिए थी। अगर ऐसे किसानों की संख्या आप देखते तो राजस्थान के अन्दर कमसे कम बीस लाख किसान ऐसे हैं जिनके पास एक बीघा जमीन भी नहीं है। जिनके पास जमीन थी उनसे लेकर ऐसे भूमिहीन किसानों को सरकार देती तो जमीन उनके पास पहुंच जाती। यह एक बुनियादी सवाल

(श्री मुरलीधर व्यास)
था लेकिन आपने उस किसान को जमीन से वंचित कर दिया और जिनके पास में जमीन थी, जिसके पास थोड़ी जमीन थी उल्टे उसके कब्जे में और जमीन चली जाने दी और अब कहते हैं उसको वेलिड कर दिया जाय। मैं कहता कि यह केवल एक राजनैतिक ढोंग है और जिस प्रकार पहले जागीरदार और अन्य लोगों से मिलकर सुखाड़िया साहब ने जैसा किया था वही अब कुम्भारामजी दूसरे राजनीति के जरिये करना चाहते हैं। मैं कहता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था किसी के द्वारा हो, किसी ढंग से क अच्छे ढंग से या कैसे ही करें लेकिन वह अच्छी नहीं कही जा सकती।

दूसरा सवाल आप के बोर्ड मेम्बर्स का सवाल है। मैं उनकी आलोचना नहीं करना चाहता। वह अपने अपने ढंग से फैसला करते हैं परन्तु मैं इतना कहना चाहता हूं कि इनका जो अपोइंटमेंट होता है उसके अन्दर सरकार के जो अधिकार हैं उनका दुरुपयोग होता है। इसलिए जैसा कि हाई कोर्ट के जजेज के अपोन्टमेन्ट में होता है कॉन्स्टीट्यूशन क तहत जैसे उनक अपोन्टमेंट होता है उसी प्रकार से जो जुडिशियल आफिसर हैं जो एडवोकेट हैं जिन्होंने दस-बारह साल से सर्विस इस प्रकार की की है उनको यदि रेवेन्यू बोर्ड में लिया जाता है तो वह निष्पक्ष रह सकेंगे और अच्छे रह सकेंगे। जिस कान्स्टीट्यूशन की धारा के तहत हाई कोर्ट के जजेज को लिया जाता है वही प्रोसीजर इस में होना चाहिए। इस तरह होगा तो हाई कोर्ट के जजेज की तरह ही यह निष्पक्ष हो सकेंगे और खुले रह सकेंगे और हुकूमत के दबाव में नहीं आयेंगे। यह ऐसा संशोधन है जिसके अन्दर जैसा हाई कोर्ट के जजेज के लिए प्रावधान रखा है कि उनकी दस-बारह साल की सर्विस हो, दस बारह साल से एडवोकेट हैं, वह कॉन्स्टीट्यूशन के तहत हाई कोर्ट के जज हो सकते हैं। यह कॉन्स्टीट्यूशन की धारा २१७ का नम्बर २ है उसमें हैं :

"A person shall not be qualified for appointment as a Judge of a High Court unless he is a citizen of India, ..."

दूसरा यह दिया है:—

". . . .has for atleast ten years held a judicial office in the territorry of India,"

और उसके बाद है:—

". . . .or has for atleast ten years been an Advocate of a High Court."

तो यह इस प्रकार की जो बात हाई कोर्ट के जजेज के लिए रखी गई हैं अगर इसी प्रकार की बात इस के अन्दर रखी जाय तो समझता हूं कि वह ज्यादा अच्छा होगा बनिस्पत इस प्रकार प्रशासनिक अधिकारियों को इस में रखें। जो जुडिशियल दिमाग के लोग हैं और जो रात दिन उसमें काम करते हैं वह यदि इस में आते हैं तो अच्छा होता है।

दूसरा इसके अन्दर संख्या बढाने का प्रावधान है। इसको नहीं रखना चाहिए और स्पष्ट कर देना चाहिए कि इसके अन्दर तीन होंगे, चार होंगे, पांच होंगे।

(श्री मुरलीधर व्यास)

जो कुछ भी हो उसको निश्चित कर देना चाहिए। इतने से इतने के बीच की बात कहने का मतलब यह है कि कहीं न कहीं मनमाने तरीके से इसका दुरूपयोग कर सकते हैं। आज ही हाई कोर्ट के मामले हैं दूसरे मामले हैं उनमें हमारा खर्च ज्यादा है और हम इस तरह से बहुत ज्यादा खर्च बढाते जाते हैं तो हमारे एक्सचेकर पर इसका बहुत भार पडता है। मुझे बडे दुःख के साथ कहना पडता है कि श्री गजेंद्रगड-कर जो सबसे बडे न्यायाधीश थे उन्होंने यह घोषणा की थी कि जजेंज-की तनख्वाह ५०००) से ज्यादा होनी चाहिये। मैं इसको कोन्स्टिट्यूशन के खिलाफ समझता हूं। वे कुछ भी कहें यह अपनी मर्जी पर है। मगर मैं इसको उचित नहीं समझता। आज हम समानता लाना चाहते हैं। मगर इस प्रकार की कोई भी बात कहें तो मैं समझता हूं कि यह ठीक नहीं है। इसमें अधिक लोगों को नियुक्त करने का प्रावधान भी आप रखें तो इससे भी खजाने पर बहुत बडा प्रभाव पडेगा।

मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज राज्य सरकार के और राज्यपाल के संबन्ध हैं वे बहुत ही विचित्र हैं। हमारा कोन्स्टिट्यूशन है। उनकी नियुक्ति ऊपर से होती है। उनके जो संबन्ध है और उनकी जो नियुक्ति होती हैं उससे हमारे खजाने पर भार होता है। यह मालिक भी जानते हैं कि सुत्र के लिए कुछ काम नहीं वह खुद भी जानता है। मगर फिर भी हमारे संविधान में रखा है। इसका सम्बन्ध संविधान से है। इसलिये मूलभूत सिद्धान्तों को ध्यान में रखना चाहिये। मगर आज हमारा दुर्भाग्य है कि जो राज्यपाल हमारे संविधान के अनुसार हमारे हैड है उन के ही हाथों से प्रजातन्त्र की हत्या की जाती है और प्रजातन्त्र जिस की हम रक्षा करना चाहते हैं। नौकर-शाही और दूसरे स्वार्थी लोग मिल कर समाप्त करना चाहते हैं जिसको हम जिन्दा रखना चाहते हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

हम लोकतन्त्र को मजबूत बनाना चाहते हैं लेकिन वे इसको ठुकराते हैं।

(समय–समाप्ति–सूचक घंटी)

तो मैं समझता हूं कि हमारे मुख्य मंत्रीजी बडी बडी बातें करते हैं हमारे यहां कोई ऐसी बात नहीं होती तो मैं उनको बता देना चाहता हूं। यदि चिट्ठी भी उनके पास जानी चाहिये ताकि उनको मालूम तो पड़े। पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी से प्रश्न आते हैं कि बिना केबिनेट के फैसले के अधि-कारियों ने अपनी तनख्वाह बढा ली। क्या हुआ पी. ए. सी. में प्रश्न आ गया तो। यह कहा गया कि दो चार साल हो गये हैं इसलिए इसको वेलिडेट कर दिया जाए और वेलिडेट कर दिया। इस तरह से बहुत सारी बातें नौकरशाही अपनी बहतरी के लिये संशोधन करवा देती है और इससे हमारे खजाने पर बहुत असर पड़ता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: (श्री मुरलीधर व्यास के बोलते रहने पर) ऑर्डर प्लीज।

श्री मुरलीधर व्यास: इसके लिये भी उनके साथ ही कार्यवाही होनी चाहिये।

(श्री मुरलीधर व्यास)

१० वर्ष तक जिन्होंने आपको गुमराह किये रखा उनको भी आपने अभी तक बनाये रखा है। चिपका रखा है। उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अगर आपने कोई एक्शन नहीं लिया तो नौकरशाही को पनाह मिलेगी और लोकतन्त्र को इससे बहुत बड़ा धक्का लगेगा। इसलिये मैं यह कहूंगा कि जहां पर नौकरशाही की कमियें हुई हैं उनके लिये उनको दंड दिया जावे। अगर यह होता है तो ठीक है अन्यथा हमारे यहां पर प्रजातन्त्र और लोकतन्त्र की हालत खराब होगी और इनको धक्का लगेगा।

श्री सभापति : महारावल श्री लक्ष्मण-सिंह।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर) : सभापति महोदय........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : पोइन्ट ऑफ ऑर्डर, सर, जिस तरह का सीक्वेन्स चल रहा था। क्या उसको तोड़ दिया है।

श्री सभापति : आपको भी समय दिया जायेगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं तो सीक्वेन्स की बात पूछ रहा हूं।

श्री दुर्गालाल बाडदार (हवामहल, जयपुर) : सभापति किसी को भी समय दे सकते हैं।

There is no question of raising point of order, Mr. President.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : आप नाराज न हों। मैं तो सिर्फ जानकारी करना चाहता था।

श्री राधाकृष्ण गोयल : इस तरह से कहना ठीक नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं यह निवेदन करूंगा कि उनको प्राथमिकता दी जावे। पहले उनको समय दिया जावे। मैं बाद में बोल लूंगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मैंने तो सीक्वेन्स के बारे में पूछा था। आपके बोलने में मुझे कोई एतराज नहीं है। मैं तो सिर्फ यह जानकारी चाहता था कि जो सीक्वेन्स चल रहा है वह तोड़ दिया है क्या? लीडर ऑफ ऑपोजिशन बोलें तो मुझे कोई एतराज नहीं है।

श्री सभापति : वही सीक्वेन्स चल रहा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : एक माननीय सदस्य उधर से बोलते तो कुछ जानकारी भी मिलती। मुझे बाद में बोलने का अवसर दे दिया जाए।

श्री परसराम मदेरणा : सभापति महोदय, इधर से और उधर से बोलने का प्रश्न नहीं है। यह तो जो कट मोशन पुट अप किये हैं वे बोलें। जहां तक सीक्वेन्स प्रश्न उठाया गया है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन को दूसरे सदस्यों पर प्रायोरिटी दी गई है। ऐसी व्यवस्था की गई है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सभापति महोदय, मेरे खयाल से बिना मोशन दिये हुए भी पहले भी बोला हूं और मैं अपना अधिकार समझता हूं। सभापति महोदय, मैं सदन का विशेष समय नहीं लेना चाहता। बहुतसी बातें कही गई। प्रभारी मंत्री महोदय ने भी अपने

Page No. 99

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

विचार विधेयक के संबन्ध में व्यक्त किये हैं। इन विचारों से बहुत हद तक मेरी सहानुभूति है लेकिन यह संभव नहीं कि जो कुछ उन्होंने कहा है उसका मैं समर्थन करूं या उससे मैं सहमत होऊं।

मैं यह समझता हूं कि इस विधेयक का उद्देश्य राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड के गठन का वैधकरण करने का है। लेकिन यह निर्विवाद बात है कि जो सदन के समक्ष आया है उसका उद्देश्य वैधकरण के संबन्ध में है। मैं यह कहना चाहता सभापति महोदय कि राजस्थान रेवेन्यू बोर्ड सन् १९४९ में अध्यादेश के द्वारा स्थापित किया है। तत्पश्चात् १९५६ में भू-राजस्व अधिनियम (राजस्थान लैन्ड रेवेन्यू एक्ट) पारित हुआ उस एक्ट के द्वारा जब १९४९ का अध्यादेश निशेध किया गया। राजस्थान लैंड रेवेन्यू एक्ट की धारा ४ के अन्तर्गत रेवेन्यू बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई। धारा ४ में प्रावधान है कि एक चैअरमैन हो और तीन सदस्य हों। अर्थात् इस रेवेन्यू बोर्ड का गठन चार सदस्यों का हो और इनके अन्तर्गत नियम बनाने की व्यवस्था, कार्यालय के सम्बन्ध में व्यवस्था और योग्यता के संबन्ध में व्यवस्था का प्रावधान किया गया। ये सब बातें निश्चित रूप से कानूनी दृष्टि से गजट में, प्रकाशित करने के संबन्ध में व्यवस्था की गई और जुलाई १९५६ में यह एक्ट प्रभावशील हो गया। लेकिन उनके प्रावधानों का पालन १० वर्षों तक नहीं हुआ और १९४९ के ऑर्डिनेन्स के अनुसार बोर्ड कार्य करता रहा। यह किस तरह से हुआ यह कुछ मेरे समझ में नहीं आता। मैं प्रभारी मंत्री के उत्तर से भी संतुष्ट नहीं हो पाया कि यह १० वर्षों तक इस तरह की अंधाधुंधी किस तरह जारी रही। कोई रूल नहीं, कोई क्वालिफिकेशन नहीं, योग्यता के संबन्ध में व्यवस्था नहीं। इन सब बातों की चुप्पी साध कर १९४९ के ऑर्डिनेन्स के अन्तर्गत जो व्यवस्था थी वह ज्यों की त्यों जारी रही।

जब १९६५ के अन्दर इस सम्बन्ध में आपत्ति उठाई गई कि इस बोर्ड का गठन अवैध है, अनकॉन्स्टीट्यूशनल है, अवैधानिक है, बोर्ड स्वयं यह निर्णय ले। इसके साथ साथ बोर्ड के साथ यह समस्या पैदा हुई, अटोर्नी जनरल की यह राय हुई कि बोर्ड स्वयं अपने संबन्ध में यह निर्णय नहीं कर सकता कि वह वैध रूप से गठित है या नहीं, उसके उपरान्त भी, एटोर्नी जनरल की इस राय के बावजूद भी बोर्ड ने स्वयं यह निर्णय लिया कि वह अवैधानिक रूप से गठित बोर्ड है। १९५६ से १९६६ तक १० वर्षों तक के इस बोर्ड के सभी काम अवैधानिक रूप से हुए। यह स्पष्टतः वस्तु स्थिति के अनुसार फैसला हुआ, इस सम्बन्ध में दो राय नहीं हो सकती। तो मैं समझता हूं ऐसी परिस्थिति के अन्दर ऑर्डिनेन्स एक अनिवार्य वस्तु है, ऑर्डिनेन्स नहीं आता तो सरकार के पास और कोई चारा नहीं, इस हद तक तो मैं ऑर्डिनेन्स का विरोध नहीं करता, यह कुछ हद तक ठीक ही है। उसके सम्बन्ध में विचार व्यक्त करने होंगे तो मैं वह निवेदन करने की चेष्टा करूंगा।

अब इस विधेयक के अन्दर नई व्यवस्था है, उसमें क्वालिफिकेशन के सम्बन्ध में व्यवस्था है, बोर्ड के सदस्यों की तादाद के सम्बन्ध में व्यवस्था है। मैं इतना अवश्य कहूंगा कि जहां तक आई. ए. एस. ऑफिसर की क्वालिफिकेशन के सम्बन्ध में व्यवस्था की गई है वह पूरी नहीं है·······

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
(४.२५ म.प.)
(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

१२ वर्ष का अनुभव अगर आई. ए. एस. अफसर का है और यह आवश्यक है कि १२ वर्ष का आई. ए.एस. का अनुभव है उसको ही अवसर होगा कि वह रेवेन्यू बोर्ड का सदस्य बन सके तो मेरे खयाल से यह बुरी चीज नहीं पर इसके साथ ही साथ बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि क्वालिफिकेशन में यह भी होना चाहिये कि १० वर्ष का हाई कोर्ट का अनुभव प्राप्त व्यक्ति हो। इस सम्बन्ध में यदि सरकार विचार करे तो रेवेन्यू बोर्ड में एक विभिन्नता, कानून का अनुभव और स्वतन्त्रता का एलीमेंट भी इसके द्वारा आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, जिससे शासन व्यवस्था सुधरेगी।

मैं समझता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। इसका आम किसानों से सम्बन्ध है, आम किसान हमारी रीढ की हड्डी है, ७५ से ८० परसेंट हमारी जनता का महत्वपूर्ण तबका है, ऐसे अशिक्षित किसान समाज के लिये निष्पक्ष न्याय मिलना, सस्ता न्याय मिलना परमावश्यक है। बनेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि कोई न कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये कि रेवेन्यू बोर्ड हर जिले में भ्रमण नहीं कर सके तो कम से कम भूतपूर्व डिविजनल हैड क्वार्टर्स में जा कर साल भर में एक महीना डेढ महीना बेन्च स्थापित करके, वहां बैठ कर के अपना कार्य संचालन करे। मेरे खयाल में यह विभाग कुशल शासकों का प्रिय और महत्वपूर्ण विभाग रहा है। क्या मनु, क्या टोडरमल, क्या ब्रिटिश राज्य सभी समय में यह बड़ा महत्वपूर्ण विभाग रहा है। आज भी इसके महत्व को समझ कर रेवेन्यू बोर्ड के सम्बन्ध में निस्पक्ष व्यवस्था होनी चाहिये, जो मैं पाता हूं कि अब तक नहीं है।

मेरी समझ में नहीं आता कि ऐसी महत्वपूर्ण व्यवस्था, ऐसे महत्वपूर्ण तबके के सम्बन्ध में सरकार क्यों नहीं कर पाई है। १८ वर्षों में जो व्यवस्था सरकार कर पाई है वह एक उपेक्षा की और लापरवाही की व्यवस्था है, मेरे खयाल से इसमें कोई उद्देश्य या मोटिव रहा हो या न रहा हो पर मैं ऐसा समझता हूं कि यह जान बूझ कर किया गया है।

मैं सीलिंग के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं सीलिंग मुझे अच्छा लगता है या नहीं यह अलग बात है पर सरकार एक कानून पास करती है, सालों तक उसे क्रियान्वित नहीं करती, लोगों को इस तरह से सस्पेन्स में रखना यह न्यायोचित नहीं, यह अन्याय की परा काष्ठा है, अत्याचार है। बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने २० लाख का कहा, २० लाख तो बड़ी चीज है, यदि राजस्थान सरकार ५ लाख भूमि हीनों को भी जमीन देने की व्यवस्था कर पाती तो मैं सरकार को शाबासी देता पर अभी राजस्व मंत्रीजी का आलाटाली का उत्तर मिल रहा है, इससे मुझे लगता है कि यह लाएतलाली और बढेगी, इस तरह ढिलंगाई करके कोई महत्वपूर्ण हल यह सरकार निकाल पाय ऐसा मेरी समझ में नहीं आता। न सरकार में अब साहस रहा है कि ऐसा ठोस कदम उठा सके।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

मैकेनाइज्ड फार्म के सम्बन्ध में मुझे ज्यादा नहीं कहना है पर जो कानून इस सम्बन्ध में बन चुका उसमें बार बार संशोधन लाना, उसमें बार बार परिवर्तन लाना और उसको अरण्य रोदन बना कर ऐसी स्थिति पैदा कर देना कि वकीलों तक को पता नहीं कि कितने अमेंडमेंट हैं, तो मैं तो यह निवेदन करूंगा कि :

Simple rule is the pest rule

हमारे किसान कानून समझ सकें, वकील समझ सकें, कोर्ट उसको कार्यरूप में परिणत कर सके वह कानून है न कि वह कानून जिसमें आये दिन बार बार संशोधन किये जायं । मुझे यह भी आशंका है, विश्वास है, आशंका क्या, कि रेवेन्यू बोर्ड के मेम्बर जी हजूरी लोग हैं, मन्त्रियों को खुश रखने वाले लोग हैं और माफी, जागीर के बारे में, कुछ भी व्यवस्था की है, अच्छी की है या बुरी की है इस विषय में, उलझन में मैं न जा कर जिन किसानों की जमीनें तालाबों में दबी है, जिन गरीब किसानों की जमीनें सड़कों में दबी हैं । नहरों में दबी है उनके लिए भी आज दिन तक कोई भी व्यवस्था सुचारू ढंग से संतोष जनक ढंग से नहीं है कि तुरंत उनको किसी न किसी बने हुए कानून के आधार पर मुआवजा देने की व्यवस्था हो । उनकी जमीनें ले ली जाती हैं, महीनों बरसों तक अंधाधुंधी के अंदर, कोई सुनवाई नहीं होती । मैं समझता हूं कि आज के दिन गरीब के लिए कोई सुनवाई नहीं है, कोई कानून नहीं है । केवल मात्र कानूनी सुनवाई मेरे सामने जो सदस्य बैठे हैं उनके दल के लिए या फिर जो आपा धापी पैसा देकर रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार फैलाकर कोई न कोई निर्णय अपने हक में कराना चाहें तो संभवतः वह सफल हो सकते हैं, अन्यथा नहीं ।

मैं समझता हूं कि जहां तक इस बोर्ड के सदस्यों का ताल्लुक है, हमको संकीर्णता से विचार नहीं करना चाहिए । हमारा देश एक विशाल देश है और हमको चाहिए कि पैरोकियल कन्सीडरेशन्स को बालाए ताक रखकर, राजस्थान के ही केवल आदमी इस बोर्ड के सदस्य बन जायं इससे मैं सहमत नहीं हूं । इसका मैं विरोध करता हूं, यह अस्वस्थ परम्परा है और यही परम्परा जारी रही तो निष्पक्ष न्याय मिलना कठिन होगा, खास तौर से आज के जमाने में जबकि एक ही दल का शासन इस रूप से इस देश के अंदर लाया जा रहा है मानो दमघोट रूप से, फैसिस्ट रूप से, भ्रष्टाचार के रूप से, लोगों को दबाकर, डराकर, जनता की स्वतंत्रता की अक्षुणता को समाप्त करके एक ही दल अपने आप को अजर अमर रखना चाहे, उसके साथ साथ अपने कर्मचारियों और नौकरशाही को प्रश्रय देकर अजर अमर रखना चाहे, उनके गुनाहों को दबाना चाहे तो मेरे खयाल से यह सरकार जनता की गुनहगार है और सदन की गुनहगार है । तो मेरा सुझाव है सरकार के विचारार्थ कि जो आई० ए० एस० आफिसर्स इस राजस्व मंडल के सदस्य बन जायं चाहे राजस्व मंडल, चाहे पब्लिक सर्विस कमीशन चाहे, उच्च न्यायालय के बनाए जायं वे केवल राजस्थान के ही नहीं होने चाहिए, बाहर के भी आने चाहिए । हमारे आदमी बाहर जाकर भी अनुभव प्राप्त करके

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

वापस आ सकते हैं, यह बड़ी स्वस्थ्य परम्परा होगी, इस मर्यादा को यदि हमें स्थापित करना पड़ता है तो मेरे खयाल में यह एक प्रगतिशील कदम होगा।

मैं यह भी कहे बिना नहीं रह सकता और सदन के समक्ष यह कहूँगा कि मुख्य मंत्री द्वारा जुडिशियल इन्क्वायरी भी मन्जूर की गई किन्तु अगर प्रोसीडिंग्स से यह चीज एक्सपंज कर दी गई हो तो दूसरी बात है लेकिन कितने लोगों ने सुना है कि ऐसी बात हुई। लेकिन मैं यह अवश्य ही आरोप लगाता हूं मंत्रियों पर कि अपने कृपापात्रों को, अपने परिवार के सदस्यों को, भूमि पर अतिक्रमण कराकर उनको जमीनें दी गई और जिनके पास एक इंच भी जमीन नहीं थी, एक परिवार वालों को आपाधापी के अन्दर, अंधाधुंधी के साथ, जमीन का बटवारा किया गया। यह निर्विवाद बात है कि उदयपुर के लोगों ने बूंदी में जमीन ली। मंत्रियों के कृपापात्रों ने राजस्थान नहर के पास जमीन ली। उदयपुर के पास उदयसागर तालाब के पीछे नई-नई जागीरें पैदा की हैं, कोई जाकर देख सकता है कि मेरा कहना गलत है या सही। ऐसी हालत में मेरी स्पष्ट आशंका है कि राजस्व मंडल के द्वारा, इन सब पापों को, काले कारनामों को वैध बनाने के लिए, उन पर दबाव लाकर और अपने मनमाने रूप से इन जमीनों को और अनुचित कृतियों को लीगेलाइज कराया जाय, जंगल की जमीन खेती में, खेती की जमीन को आबादी में और आबादी की जमीन मंत्रियों के बंगले और बगीचे बनाने में काम में ली गई हैं, यह भी निर्विवाद बात है। इस तरह से अवैध रूप से गठित संस्था के द्वारा जो यह कुकर्म किए गए हैं, इसका मैं विरोध करता हूं।

आज के कुशासन में इम्पार्शियल संस्था का होना बिल्कुल परमावश्यक है और किसान और जनता की रक्षा के लिए, यह होना अनिवार्य है खास तौर से जबकि दिन ब दिन शासनारूढ़ दल की अनियमतताएं बराबर बढ़ती हुई दीखती हों और किसी ठीक रास्ते पर आने की संभावना नहीं है। जब तक एक बार कांग्रेस हारकर शासन से अपदस्थ नहीं होती तब तक मेरे खयाल में कांग्रेस पार्टी का आचरण शुद्ध नहीं होगा। यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि जितने दिन कांग्रेस शासन और भी करेगी उतने ही दिन देश की उन्नति नहीं होगी, अवनति होगी।

जहां तक संस्था के संगठन के सम्बन्ध में प्रावधान है, कहा गया है कि चेयरमैन और कम से कम तीन और अधिक से अधिक सात सदस्य होने चाहिए। मेरा निवेदन है कि जैसे बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि आप संख्या निर्धारित करें, मैं समझता हूं कि एक चेयरमैन और ४ सदस्य हों तो यह सर्वथा उचित और पर्याप्त है। आज राजस्थान सरकार एक दीवालिया सरकार है और मितव्ययता को यह समझती नहीं, मितव्ययता का नाम अगर लिया जाय तो बिल्कुल कानों में डुचे लगाकर बैठती है। आज क्या होता है मेरे सामने तीन कांग्रेस के मंत्री बिल्कुल डटकर विराजमान हैं उधर किसान भूखे मर रहे हैं लोग दाने-दाने के लिए तरस रहे हैं, दूध कहां है, किसी जगह चना नहीं है, कहीं बेसन नहीं है, और खाद्यान्नों के भाव ऊंचे हैं ऐसी हालत में आपाधापी बंगले और ५०,००० की कारें मंत्रियों के लिए, क्या यह समाजवाद है?

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)
मेरे ख्याल से इससे बढ़कर और कोई भद्दा या अभद्र प्रदर्शन हो नहीं सकता।

मैं यह मांग करूंगा कि दस वर्ष तक जो यह गफलत रही, आखिरकार इसका कोई न कोई तो जिम्मेदार होना चाहिए। मंत्री महोदय ने जिस तरह से टालकर इस बात को समाप्त कर दिया, मुझे इससे संतोष नहीं है, मैं उनसे असहमत हूं, मैं उसका विरोध प्रकट करता हूं और सरकार से कहता हूं कि कम से कम सरकार का यह सबसे प्रथम और पुनीत कर्त्तव्य है कि आखिरकार ऐसी महत्वपूर्ण संस्था १० वर्ष तक इस तरह से अंधाधुंधी से काम करें यह कैसे हुआ, कौन उसके लिए उत्तरदायित्व रखता है और कौन गुनहगार है? एक व्यक्ति है या दो या तीन। अगर इस संबन्ध में सरकार कोई भी स्पष्टीकरण करना नहीं चाहती तो यह स्पष्ट है कि सरकार अपने काले कारनामों को दबाकर उन लोगों के प्रश्रय देती है जो उनके "जी हुजूर" हैं और जो उनके पिट्ठू हैं। यहां आरोप लगाया गया कि लन्च खाने के बाद राजस्व मंडल के सदस्य काम नहीं करते, खैर। यह किस हद तक सत्य है और किस हद तक असत्य है इससे मुझे कोई सरोकार नहीं।

एक माननीय सदस्य : यह बिल्कुल सत्य है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कोई प्रोप्राईटी होनी चाहिये, कोई व्यवस्था होनी चाहिये, कोई नियन्त्रण होना चाहिये। आज के इस शासन ने सबसे बड़ा गुनाह देश में यह किया है कि लोगों की इन्सानियत खो दी और नियन्त्रण की मात्रा खो दी। वह दिन दूर नहीं जब हमारे देश को और इस शासन को इसके खमियाजे के मंहगे दाम चुकाने पड़ेंगे। फिर भी पूर जोर से यह निवेदन करूंगा कि आप इस पर तनिक तो विचार करें। गरीब किसान के लिये इस शासन में न्याय अपर्याप्त है। वह कुछ भी करे उसको किसी हालत में न्याय नहीं मिल सकता, चाहे जितना भी उसका मामला दुरुस्त और सही हो। ऐसी अन्धाधुन्धी में सरकार से निवेदन करूंगा कि कुछ न कुछ तो उचित व्यवस्था करें। जहां तक मेरे दल का सवाल है मैं फिर यह कहूंगा कि Simple rule is the best rule. कानून का अरण्य रोदन न करें और सादे से सादा कानून बनायें। आप अपने बहुमत में चाहे जो करें। एक हद तक प्रभारी मंत्रीजी ने कहा इसको सिद्धान्त रूप में जनतन्त्र मैं मान सकता हूं और मानता हूं। लेकिन उसके साथ साथ यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक बहुमत अल्पमत को समझा बुझाकर अपने साथ नहीं ले सकता तब तक जनतन्त्र है ही नहीं।

as long as minority acquieses to the rule of majority it makes for democracy, but when a minority does not acquiese to the rule of majority it does not make for democracy but it is tyranny.

तो, मैं आपको यह निवेदन करूंगा कि हमारी बात को भी, अगर आप अपनी बात को १७ आना समझते हैं और मानना चाहते और उसके अनुसार करना चाहते हैं, तो हमारी जो खरी और वाजिब बात हीं तो उसको चार आना तो कम से कम हृदयसंगम कर के उस पर विचार करिये, हमें किसी से लेना देना नहीं है। आम जनता को लाभ नहीं पहुंच रहा है, आम जनता का भला नहीं

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

कर पा रहे हैं और उनकी बात कहने का विरोधी पक्ष वालों के पास उनके अधिकार ही तो हैं और हमारे पास क्या हैं। हमारा यह अधिकार है कि आपके बहरे कानों में हम बार बार अपनी मांग रखें, हम रखते आये हैं और हम फिर भी रखेंगे।

जहां तक गरीबों का इस विधेयक से सम्बन्ध है मैं समझता हूं कि इस विधेयक से गरीब किसानों का कोई भला नहीं होता है। आप इस व्यवस्था को सस्ता बनाये, न्याय व्यवस्था ऐसी करिये कि किसान को कुछ भी हो महीने में, बारह महीने में न्याय तो मिले। महीनों गुजर जायं, वर्ष गुजर जायं, सैंकड़ों हजारों केसेज पड़े हुए हैं, भ्रष्टाचारी की, रिश्वतखोरी की सुनवाई होती है और गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती है। इन्हीं शब्दों के साथ इस विधेयक को आवश्यक समझता हुआ इसके अन्दर जो प्रावधान हैं उसका विरोध जरूर करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री अब्दुल जब्बार।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उपाध्यक्ष महोदय यह विधेयक आज ही पारित होना है इसलिए संशोधन ले लिये जायं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या सदन की मंशा है कि सदन का समय एक घंटे के लिये और बढ़ाय जाय ?

कुछ माननीय सदस्य: No, No.

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मैंने सदन का समय बढ़ाने के लिये नहीं कहा है।

श्री रामानन्दअग्रवाल : कल केवल एक ही विधेयक है। इसलिये इसको कल ही ले लिया जाय।

श्री राधाकृष्ण गोयल : कल पर रख दें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आपका मतलब यह है कि आप और बोलने वालों को चान्स नहीं देना चाहते।

श्री उपाध्यक्ष : एक घंटे में आज जितना हो जाय उतना करलें और फिर कल लेलें।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: माननीय उपाध्यक्ष जी, बाद में बोलने वाले रहे जाते हैं उनके ऊपर समय की तलवार हमेशा रहती है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हमें कोई आपत्ति नहीं है कि कल पास हो। लेकिन व्यवस्था इस प्रकार की हो कि कल जो बिल रखा गया वह अवश्य पास हो जाना चाहिए। माननीय सदस्य इसका आश्वासन देते हैं तो हमें कोई एतराज नहीं है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : सब पर कन्सीडरेशन किया जावेगा और पारित हो जावेगा।

श्री रामकिशन : कल चाहें तो लम्बे बैठेंगे ; आज नहीं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : एडवाइजरी कमेटी ने फैसला किया है उसके हिसाब से अर्ज कर रहा हूं। कल शाम तक दोनों बिल हो जाने चाहिए। आज इस को पारित नहीं करना चाहते तो कल इसको और उसको, दोनों को, ही पारित करना है।

श्री राधाकृष्ण गोयल : कल के बिल में अधिक समय नहीं लगेगा।

श्री उपाध्यक्ष : Then I should not extend the time. सदन का समय बढाने का क्या हुआ ?

कुछ माननीय सदस्य : आज नहीं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कल यह और वह, दोनों ही हो जायं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री जब्बार ! केवल १५ मिनट में समाप्त करें।

श्री अब्दुल जब्बार (निम्बाहेड़ा) : माननीय उपाध्यक्षजी, आज इस विधान सभा में भू-राजस्व (संशोधन) विधेयक, १६६६ पर विचार किया जारहा है और इस संशोधन के द्वारा राजस्थान के राजस्व मंडल के गठन के सम्बन्ध में कुछ ऐसी पेचीदगियां पैदा हुई थीं जिनको ठीक किया जाना है। जहां तक राजस्व मंत्री के भाषण को सुनने से जो कुछ मैं समझ पाया हूं और जो एक भावना मेरे हृदय में जागी है उस बात से कि जो उन्होंने फरमाया है रेवेन्यू बोर्ड के सिलसिले में कि क्या फैसला होने वाला था उसके लिए आगे से आगे केबिनेट की मीटिंग बैठा कर इस तरह का फैसला हो जाय तो ऑर्डिनेन्स निकाल दिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : इसी प्रकार कृपा कर पांच बजे ही कार्यवाही समाप्त कर दी जाया करे तो अच्छा है।

श्री अब्दुल जब्बार : इतनी सतर्कता बरती है कि ऑर्डिनेन्स निकाल दें।

सबसे पहले मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस बोर्ड का गठन क्यों करती है और किसके लिये करती है। ८२ प्रतिशत जनता की बेहबूदी के लिये इस बोर्ड का गठन किया गया है। रेवेन्यू बोर्ड में किस प्रकार का नियन्त्रण न होने के कारण एक आम (पेड़) की कीमत ३००) होती है, वह मामला अपील में रेवेन्यू बोर्ड में आता है, पांच, छः पेशियां उस गरीब को मिलती गयी तो वह आम तो उसका सोने का हो गया। सरकार उसको कोई न्याय नहीं दे सकती। किसानों की बेहबूदी के लिये सरकार को रेवेन्यू बोर्ड की स्लेकनैस पर विचार करना चाहिए कि स्लेकनेस क्यों है ?

इसके गठन के सम्बन्ध में मुझे सख्त आपत्ति है। विकेन्द्रीकरण की बात करते हैं। हमने यह तय किया है कि चुनाव पद्धति के आधार पर छोटी छोटी संस्थायें बना कर चल रहे हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति जिला परिषद बनायीं। इसलिये जब छोटी छोटी संस्थाओं को चुनाव के आधार पर बनाते हैं तो ८२ प्रतिशत जनता के लिये बने हुए बोर्ड को क्यों नहीं चुनाव के आधार पर बनाया जाता, क्यों उसके अन्दर नोमिनेटेड सदस्य रखे जाते हैं ? तहसीलदार चला जाय तो ट्रान्सफर नहीं कर सकते। इतना ही नहीं इस रेवेन्यू बोर्ड के गठन के अन्दर एक्जीक्यूटिव के लोगों की नियुक्ति की जाती है। इसलिये सरकार का 'सुपरविजन ठीक प्रकार से नहीं होता है। गरीब आदमी जमीन के बारे में हजारों दरख्वास्तें देता है या तो रेवेन्यू बोर्ड को पढ़ने की फुरसत नहीं या तहसीलदार की हरकतों को सुनने के लिये अधिकार नहीं होता।

इस प्रकार लोगों की अलॉटमेंट की दरख्वास्तें पेंडिंग में पड़ी रहती हैं। जैसा मन्त्री महोदय ने फरमाया केबिनेट में डिसीजन हो

(श्री अब्दुल जब्बार)

गया कि नाजायज कब्जों की बात इस तरह से जहां आए तो लीगेलाइज कर देना चाहिए। मैं इस भावना की कद्र करता हूं।

पर सवाल यह आता है कि ऐसी नौबत पैदा क्यों होती है? कौन पैदा करता है? कौन आपकी भावनाओं की अवहेलना करता है? किसान तहसील में जाता है, तहसीलदार करवट नहीं लेता, पटवारी किसान को चक्कर देता है। तो ये छोटे कर्मचारी क्यों नहीं सरकार की भावनाओं को समझते हैं, क्या सरकार ने इस पर भी गौर किया? सरकार ने गौर नहीं किया और यही कारण है कि ये बुराइयां पैदा होती जा रही हैं।

मैंने प्रस्ताव किया है कि इसे जनमत जानने को प्रसारित किया जावे। मैं निवेदन करता हूं कि रेवेन्यू बोर्ड में मेम्बरों के लिए भी जैसा पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद्, विधान सभा और संसद् के लिए इलेक्टोरल होता है, चुनाव होते हैं वैसे ही इलेक्टोरल होना चाहिये। दस साल के अनुभवी वकीलों को मेम्बर चुना जाना चाहिये। अच्छे अच्छे वकील इसमें आवेंगे तो फंक्शन इसका अच्छा होगा और न्याय भी किसान को आराम से मिलेगा।

आज तो क्या होता है, लंच के नाम पर मेम्बर उठकर चले जाते हैं और अमूमन वापिस आने का नाम नहीं लेते। बेचारा किसान जो दूर-दराज से न्याय प्राप्ति की आशा लेकर आता है, निराश लौटता है। आज तो मैं उम्मीद करता हूं कि लन्च के बाद राजस्व मन्त्री किसी दिन कार लेकर रेवेन्यू बोर्ड का मुआयना करेंगे और अगर वे पावें कि मेम्बर लन्च के बाद काम नहीं करते हैं तो वे उनको इमर्जेन्सी में डी० आई० आर० में बन्द करवा दें ताकि कोई दूसरा फिर ऐसी हरकत करने की जुर्रत नहीं कर सके। बेचारा किसान दूर-दराज से न जाने कितनी कितनी परेशानियां और खर्चा उठा कर आता है और ये नवाब हैं कि पड़े रहते हैं, गप्पें-शप्पें मारते पड़े रहते हैं। सरकार सोचती है किसान को राहत मिले, पर मशीनरी उसका गला घोंटने पर उतारु है।

इस बात की १७४ सदन के सदस्य शहादत दे सकते हैं। हरेक के क्षेत्र में सैकड़ों की तादाद में ऐसे किसान हैं जिनके समय पर दाखलानामा नहीं भरा जाता। कम्प्लेन्ट अगर करें तो उसे कहीं पर भी सुनने वाला नहीं। इसके अलावा अलॉटमेन्ट हो गया तो पट्टे का पता नहीं। पटवारी की मर्जी आई तो नाजायज कब्जा बता कर लम्बी पेनल्टी ठोक देते हैं और उसकी वसूली के लिए नादिरशाही तरीके बरते जाते हैं। आज कल चित्तौड़ जिले में जगह-जगह यह हो रहा है। गलती पटवारी करे और उसका कसूर भुगते किसान।

इतना ही नहीं, उपाध्यक्ष महोदय, सरकार को अपने लिए जमीन चाहिये, सड़कें, कैनाल आदि बना लेती है और इसके लिए जमीनें एक्वायर कर लेती है पर किसान को मुआवजे के लिये कोई नहीं पूछता है और किसान लगान देता रहता है। किसान अगर कहता है कि मुआवजे में जमीन दो तो कोई उसे पूछनेवाला नहीं। ताज्जुब की बात यह है कि गम्भीरी डेम में जिनकी जमीन डूब में आई उनमें भील हैं, नायक हैं, चमार हैं। उनकी जमीनें कैनाल में कट जाती हैं और वे कोई दूसरी जगह ढूंढ लेते हैं, सरकार देती नहीं, मुआवजा ते करती नहीं पर अगर जमीन दूसरी जगह ले ली तो कहते हैं नाजा-

(श्री अब्दुल जब्बार)

यज कब्जा कर लिया। पेनल्टी इम्पोज कर दी जाती है। पांच-पांच सौ रुपयों की रिकवरी के नोटिस मैंने देखे हैं। कहते हैं तुम ट्रेस-पासर हो। उस बेचारे को सफाई का भी अवसर आपके ये छोटे-छोटे कर्मचारी नहीं देते। पटवारी उनको पकड़ कर बैठ जाता है। तहसीलदार, नायब-तहसीलदार उनको पकड़ कर बैठ जाते हैं कि पैसा लाओ पेनल्टी का; इस प्रकार का हाल है।

एक ओर जहां राजस्व मन्त्री, किसान का एक बेटा है और नारा लगाया है जिसने कि जो किसान का वोट मांगने आवे उसने अगर कभी हल नहीं पकड़ा है तो उसको वोट मत दो। मैं उनकी भावना की कद्र करता हूं और चाहता हूं कि उनकी यह भावना राजस्थान में घर घर में फैले। पर कोरी घोषणाओं से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। उनको कसूरवारों को कड़ी से कड़ी सजा भी देनी होगी। अगर सरकार का कोई कर्मचारी सरकार के व्यूज, एम्स और ऑब्जेक्ट्स के खिलाफ चलकर किसान को सताता है तो उनको पकड़ कर आप चौपड़ पर केनिंग क्यों नहीं करवाते हैं? किसान का बेटा आज राजस्थान सरकार का रेवेन्यू मिनिस्टर है। वह इस पर गौर करेगा, यह मैं मान कर चलता हूं। कानून कितने ही बनें, बने हैं और बनते रहेंगे पर वे अदालतों की अलमारियों की शोभा बन कर रह जावेंगे, वकीलों की अलमारियों की शोभा बन कर रह जावेंगे, वे किसान के काम नहीं आ सकते।

इसलिये मेरा निवेदन है, मैं पुनः इस बात को दोहराता हूं कि रेवेन्यू बोर्ड का गठन पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों, विधान सभाओं और संसद की तरह चुना हुआ होना चाहिये या हाई कोर्ट के जज के नीचे होना चाहिये ताकि अन्याय न हो सके। हजारों रुपया वकीलों के लिये गरीब किसान खर्च करता है, पर फैसला नहीं मिलता उसको। कानून में प्रावधान है कि फैसला सुनाने के १५ दिन के अन्दर अन्दर फैसला लिख देना चाहिये, पर छः, छः महीनों तक नहीं लिखा जाता। इससे बढ़ कर अराजकता और अन्याय क्या हो सकता है? तहसीलों और कलेक्टरी में भी ऐसा ही होता है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक बेवा है नन्द जाटिन। स्वर्गीय प्रधान मन्त्री श्री जवाहरलाल जी नेहरू के हाथ से लिखवाकर लाई। ६२ साल की बुढ़िया औरत है, निम्बाहेड़ा में रहती है। उसकी जिन्दगी वहां के छोटे-छोटे अधिकारियों ने बरबाद कर दी है। उसकी जमीन केली गांव का सरपंच उनसे मिलकर खा गया। सुखाड़िया जी के पांवों में पड़कर न्याय की भीख उसने मांगी। पर आज तक वह मारी-मारी फिरती है। उसका कोई सब्राव करने-वाला नहीं है। पेंशन पाने की हकदार है, पर फॉर्म लाने के लिये उसके पास पैसा नहीं। आज उसकी यह दुर्दशा है। रजिस्ट्रियां गलत। रजिस्ट्री को सेल-डीड करार देकर पटवारी दाखिला खारिज कर देता है। राजस्व मंत्री से निवेदन करता हूं इस केस को लेकर निम्बाहेड़ा की तहसील के कागजों को चेक करें और अगर उनमें गलती पाई जावे तो गलती करनेवालों को, चाहे वह कोई अधिकारी हो, छोटा हो या बड़ा हो, जेल के सींखचों के अन्दर कर दें। किसान के बेटे को किसान के लिये दर्द है।

Page No. 108

(श्री अब्दुल जब्बार)

इन्हीं शब्दों के साथ में अपना प्रस्ताव मूव करता हूं कि इस बिल को जनमत जानने के लिये प्रसारित किया जावे ताकि जनता की सही भावना भी सामने आ सके। पांच बज रहे हैं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की बैठक कल प्रातःकाल ११ बजे तक के लिये स्थगित की गई।

तदनन्तर सदन की कार्यवाही ५ म. प. शुक्रवार दिनांक १६ सितम्बर, १९६६ के प्रातः ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।)

(समयाभाव के कारण प्रश्न समय में न लिए जा सकने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर)

गंगानगर में पानी की मात्रा

११. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि शिवपुर हैड पर एवं अन्य स्थानों पर भी गंग नहर में पानी की मात्रा बतानेवाले हमारे मीटर काम नहीं करते ?

(२) यदि हां, तो ऐसी हालत में गंगनहर में पानी की मात्रा किस प्रकार जानी जाती है तथा यह कैसे पता लगता है कि हमें हमारे हक का पानी प्राप्त हो रहा है ?

उत्तर

(१) यह सही नहीं है।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता।

वन विभाग की कृषि योग्य भूमि

१२. **श्री जोधसिंह चौहान** (गिरवां): क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि गिरवां तहसील या बड़गांव ब्लॉक में डांगियों का गुड़ा और झड़ोली के बीच में बान्दरिया के मगरे में करीबन २००, ३०० बीघा भूमि ऐसी पड़ी है जिसमें काश्त हो सकती है और उसके लिये डांगियों के गुड़े वालों ने अर्जी भी दे रखी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसको वन विभाग से निकाल कर तहसील को सौंपने का विचार रखती है ?

उत्तर

१. जी हां, २००-३०० बीघा भूमि तो नहीं किन्तु ५०-६० बीघा भूमि है। इस भूमि को काश्त के लिए तहसील को सौंपने के सम्बन्ध में निर्णय लोकल व जिलास्तर की कमेटी लेगी।

तहसील निवाई में चराई की दरें

१३. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि तहसील निवाई के गांव गुगड़ोद, जैतपुरा, अरनिया चुराडा, बड़ागांव व मैंदार वन खण्ड बड़ागांव टोरडी है, उनमें से तीन गांव गुगड़ोद, अरनिया, जैतपुरा पहले लालसोट रेंज में थे जहां मवेशियों की चराई की रेट टोंक डिवीजन से ज्यादा थी और अब यह तीन गांव भी सन् ६१ से टोंक डिवीजन में शामिल कर दिये गये हैं फिर भी इन गांवों से बढ़ी हुई रेट वसूल की जाती है ? यदि हां, तो क्यों ?

(२) क्या यह सच है कि इस प्रकार एक ही डिवीजन के पास पास के गांवों से अलग अलग रेट वसूल न करने के विषय में किसानों ने राज्य सरकार, मुख्य वन संरक्षक, व उप वन संरक्षक, टोंक को कोई प्रार्थनापत्र दिये हैं ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही हो रही है ?

(३) क्या यह सच है कि चराई की बढ़ी हुई रेट नहीं देने पर गरीब किसानों को वन विभाग के अधिकारी मारते पीटते हैं ?

यदि हां, तो क्यों और अब कब तक इस डिवीजन की एक रेट हो रही है ?

उत्तर

(१) जी हां। पहले गुगड़ोद, जैतपुरा व अरनिया लालसोट रेंज में थे जो जयपुर डिवीज़न के अन्तर्गत थी और सन् १९६१ में जब ये गांव टोंक डिवीजन में सम्मिलित किये गये तो उक्त ग्रामों के मवेशियों की चराई उसी रेट से वसूल की जाती रही जो उनसे जयपुर डिवीजन में वसूल होती थी क्योंकि चराई की दरें हर स्थान की अलग अलग होती हैं इसका डिवीजन या रेंज से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(२) जी हां, ग्राम गुगड़ोद, मभेबला व जैतपुरा के किसानों ने राज्य सरकार को प्रतिवेदन दिया जिस पर राज्य सरकार ने यह आदेश दिये हैं कि इनसे टोंक रेंज में प्रचलित चराई की दरों से ही चराई वसूल की जावे और बकाया रकम की वसूली भी स्थगित रखी जावे।

(३) जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

बकाया वेतन का भुगतान

१४. **श्री रावतराम** (सादूलपुर-सु.): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि अनिवार्य शिक्षा पाठशाला राजलदेसर (जिला चूरू) के स्टाफ का जनवरी, सन् ५१ व अक्टूबर, सन् ५३ का वेतन अभी तक बकाया है? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेवार है और अब उक्त वेतन कब तक दे दिया जायेगा?

(२) क्या यह सही है कि उक्त पाठशाला के स्टाफ का ग्रेड इन्क्रीमेंट भी बकाया है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और अब निश्चित तौर से कब तक दे दिया जायगा?

उत्तर

(१) जी हां वेतन बकाया है वेतन न देने की जिम्मेदारी नगर पालिका राजलदेस्वर की है। अतिरिक्त संचालक प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा को अध्यापकों के वेतन को नगर पालीका द्वारा जल्द से जल्द चुकारा कराने को लिखा जा रहा है

(२) जी हां चुकारा करने की कार्यवाई की जा रही है।

तहसील सराड़ा के तालाबों के निर्माण की स्वीकृति

१५. **श्री देवीलाल** (सराड़ा-सु०): क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या तहसील सराड़ा में तालाब नामी पीपलावाला, बलुवापाल और तालाब नामी लटीआमली गांव रेलों के नीचे का नाका की सर्वे कराई गई है? यदि हां, तो क्या निर्माण के लिये स्वीकृति भी हो चुकी है?

उत्तर

पीपलावाला बलुवापाल (बिलन) का सर्वेक्षण होकर तखमीना बन चुका है तथा राहत कार्यों के अन्तर्गत इस पर कार्य किया जा रहा है। तखमीने की प्रशासनिक स्वीकृति अभी नहीं हुई है लटीआमली गांव रेलां के नीचे का नाले के स्थान निरीक्षण करने के पश्चात सर्वेक्षण किया जायेगा।

कोटा में इंजीनियरिंग कॉलेज

१६. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि कोटा के नागरिकों ने सरकार से कोटा में इन्जीनियरिंग कॉलेज खोलने की मांग की है?

(२) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोटा के प्रतिनिधियों को कोई आश्वासन दिया है?

(३) क्या यह सही है कि कोटा के नागरिकों ने नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज स्थापित करने के लिये एक समिति का निर्माण किया है और उसके लिये रुपया इकट्ठा किया है ?

उत्तर

(१) जी हां ।

(२) जी नहीं ।

(३) जी हां, लेकिन रुपया संग्रह करने की सूचना सरकार के पास नहीं है ।

ऊन की खरीद

१७. **श्री उमरावसिंह ढाबरिया** (बनेड़ा) : क्या पशुपालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि सन् १९६५ में ऊन विभाग द्वारा प्रान्त में ऊन खरीदने के लिए प्रति भेड़ एक रुपये के हिसाब से रुपया बांटा गया है ? यदि हां, तो किस-किस एरिया में कितने-कितने रुपये बांटे गए ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(२) जो रुपया बांटा गया, उसके एवज में कितनी ऊन खरीदी गई है ?

उत्तर

(१) जी हां । सूची संलग्न है ।

(२) जो रुपया पेशगी दिया गया था उससे अतिरिक्त निर्धारित दरों पर ५.०५ लाख किलो ऊन रु० २९.४४ लाख में खरीदी गई ।

सूची

क्रम सं	भेड़ जिले का नाम	भेड़ों का बुकिंग	रुपया पेशगी दिया गया
१.	बीकानेर	१९३०७८	१९३०७८
२.	सीकर-झुंझुनू	२१४११४	२१४११४
३.	नागौर	२२५०००	२२५०००
४.	चूरू-गंगानगर	२२०९१९	२२०९१९
५.	जयपुर	८१४४९	८१४४९
६.	पाली-सिरोही	९००००	९००००
७.	बाड़मेर	१७८४३	१७८४३
८.	जैसलमेर	१६९७६	१६९७६
	योग	१०६५४७७	१०६५४७७

बोनस की अदायगी

१८. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) बोनस अदायगी कानून, १९६५ के तहत अब तक कितने उद्योगों ने बोनस का भुगतान कर दिया है और कितने उद्योगों में भुगतान अभी तक बाकी है ?

(२) जिन उद्योगों ने अभी तक भुगतान नहीं किया, सरकार ने उनसे शीघ्र भुगतान करवाने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

(३) क्या केन्द्रीय सरकार की तरह राज्य सरकार ने भी सार्वजनिक उद्योगों के उन कर्मचारियों को भी बोनस देने का निर्णय ले लिया है जो बोनस अदायगी कानून, १९६५ के अधीन नहीं आते ?

उत्तर

(सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ)

राजस्थानी भाषा को मान्यता

१९. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूंडावत (भीम) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या यह सही है कि लोक सभा में राजस्थानी भाषा को संविधान में मान्यता दिलाने संबंधी गैर सरकारी विधेयक के संबंध में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार की राय जाननी चाही है ?

(२) यदि हां, तो इस संबंध में राज्य सरकार ने क्या राय दी ?

उत्तर

(१) जी नहीं ।

(२) प्रश्न ही नहीं उठता ।

फॉरेस्ट कमेटी के समक्ष विचाराधीन मामले

२०. श्री प्रभुलाल सेष्ठर (खानपुर) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) फॉरेस्ट कमेटी, पंचायत समिति खानपुर, जिला झालावाड़ के समक्ष जंगलात विभाग से राजस्व विभाग में परिवर्तन करने के लिये कितनी बीघा भूमि के अलग २ गांवों के मामले विचाराधीन हैं ? ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) फॉरेस्ट कमेटी, समिति खानपुर में जंगलात की भूमि राजस्व विभाग में बदलने के उक्त विचाराधीन मामले अलग २ किन किन तारीखों में दर्ज हुए हैं और इन मामलों में कब तक निर्णय हो जाने की आशा है ?

उत्तर

(१) पंचायत समिति खानपुर के वन विभाग से राजस्व विभाग में परिवर्तन करने के लिए जिन भूमि के मामले विचाराधीन हैं उनकी ग्रामवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) फॉरेस्ट कमेटी, पंचायत समिति खानपुर के कनवीनर विकास अधिकारी खानपुर हैं अतः जंगलात की भूमि राजस्व विभाग में बदलने के मामले उनके यहां ही दर्ज हैं व इन मामलों में निर्णय भी वन विभाग द्वारा न लिया जा कर लोकल व जिलास्तर कमेटी से ही लिया जावेगा ।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

बंध माधोसागर की पूर्वी नहर के मोरे से सिंचाई

२१. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय-सु०) : क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या सरकार बंध माधोसागर की पूर्वी नहर का मोरा नं० १ को खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो क्यों ?

(२) क्या यह सही है कि इस मोरे को खुलवाने की मांग है ?

(३) इस मोरे को खोलने से कितनी भूमि सिंचित हो सकेगी ?

उत्तर

(१) जी हां, काश्तकारों की मांग प्राप्त होने पर मोरा खोला जावेगा ।

(२) जी नहीं।

(३) लगभग ६५ एकड़ भूमि सिंचित होने की आशा है।

रोजगार दिलाने संबंधी योजना

२२. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राज्य में पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या क्या है ?

(२) इन बेरोजगारों में पिछड़ी तथा अनुसूचित जातियों के लोगों की संख्या कितनी है ?

(३) बेरोजगार अनुसूचित जाति, जन जाति तथा पिछड़े लोगों को रोजगार देने की सरकार की क्या योजना है ?

उत्तर

(१) राज्य में कुल पढ़े लिखे बेरोजगारों के सही २ आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। किन्तु तारीख ३१-१२-६५ को मैट्रिक व इससे अधिक शिक्षा प्राप्त ३०५५८ व्यक्ति नियोजन कार्यालयों के रजिस्टर पर उपलब्ध थे।

(२) उपरोक्त व्यक्तियों में से १५६४ अनुसूचित जाति के तथा ५०६ अनुसूचित जनजाति के थे। पिछड़ी जाति के पृथक आंकड़े उपलब्ध नहीं है।

(३) राजस्थान राज्य सरकार द्वारा अनुसूचित एवं जनजातियों के व्यक्तियों के लिए राज्य की विभिन्न सेवाओं में निम्न प्रकार के स्थान सुरक्षित रखे गए हैं:—

१. ऑल स्टेट सर्विसेज एण्ड पोस्ट्स १२½%
२. ऑल सबोर्डिनेट एण्ड मिनिस्ट्रियल सर्विसेज एण्ड पोस्ट्स १२½%
३. क्लास फोर्थ सर्विसेज एन्ड पोस्ट्स १५%

पिछड़े वर्ग के लिये ऐसी कोई विशेष व्यवस्था नहीं है।

टोडाभीम के महाजन के पास कण्ट्रोल की चीनी व गेहूं

२३. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन-सु०) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सही है कि तारीख १४-३-६४ को श्री लक्ष्मीनारायण महाजन, टोडाभीम के यहां से ७२ किलो चीनी व १ बोरी गेहूं कन्ट्रोल का पकड़ा गया था ?

(२) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(१) जी हां। यह सही है।

(२) सरकार ने इस सम्बन्ध में वांछनीय कानूनी कार्रवाही जारी है और पुलिस में कोई जुर्म साबित नहीं होने से फाइनल रिपोर्ट दे दी है।

नीम-का-थाना में एस० डी० ओ० के पद पर नियुक्तियां

२४. **श्री रामकिशन** (वैर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) मार्च, १९६३ के पश्चात नीम-का-थाना में कितने व्यक्ति एस० डी० ओ० के पद पर नियुक्त किए गए और उन्होंने कितने कितने समय तक वहां कार्य किया ?

(२) उन सब लोगों के नाम बतायें जिनका उक्त अवधि में वहां पर पोस्टिंग किया गया और चार्ज लेने से पूर्व ही उनका स्थानान्तरण अन्यत्र कर दिया गया ? ऐसे स्थानान्तरण के कारण भी बताने की कृपा करें।

उत्तर

(१) माह मार्च, १९६३ के पश्चात निम्न तीन अधिकारियों को नीम का थाना में उपखंड अधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया। जितने समय तक उन्होंने वहां कार्य किया वह अवधि उनके नाम के आगे अंकित है:—

१. श्री बृजकिशोर शर्मा ५-५-६३ से ५-१-६४ तक।

२. श्री बालकृष्ण शर्मा ६-६-६४ से १९-१०-६४ तक।

३. श्री देवदत्त शर्मा ३-४-६५ से अब तक कार्य कर रहे हैं।

(२) निम्नलिखित अधिकारी पद स्थापित किये गये हैं:—

१. श्री मोतीसिंह

२. श्री मदनलाल बवेजा

३. श्री विष्णुदत्त शर्मा

४. श्री एस० के० बनर्जी

प्रशासनिक कारण से उपरोक्त अधिकारियों की पदस्थापन की आज्ञा निरस्त की गई।

प्रशिक्षण के लिये शिक्षार्थी चुनने का आधार

२५. **श्री रामानन्द अग्रवाल** (अलवर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान में सरकारी खर्चे पर अध्यापकों को एस० टी० सी० और बी० एड० एवं शिक्षा शास्त्री के लिए ट्रेनिंग में भेजने के लिए शिक्षार्थी छांटने के आधार क्या क्या हैं ?

(२) क्या यह सही है कि राज्य सरकार के नियमों के अनुसार जुलाई, १९५४ से पहले के नियुक्त अध्यापकों को राज्य-खर्च पर प्रशिक्षण दिलाना अनिवार्य था ?

(३) क्या यह सही है कि ग्रेज्यूएट होने के बाद एस० टी० सी० ट्रेनिंग में किसी अध्यापक को नहीं भेजा जाता ? इस नियम का आधार क्या है ? यदि कोई अध्यापक ग्रेज्यूएट होने के बाद भी एस० टी० सी० ट्रेनिंग में जाने के अपने अवसर का लाभ उठाना चाहे तो उसमें सरकार को क्या एतराज है ?

(४) क्या यह सही है कि बी० एड० करने के लिए अधिकतम उम्र ३५ वर्ष रखी गई है ? यह उम्र कौनसी तारीख में होनी चाहिए ?

(५) क्या सरकार ने अधिकतम उम्र की शर्त में कुछ लोगों को कभी रियायतें भी दी हैं ? यदि हां, तो कितने लोगों को और कितनी उम्र तक के लिए ?

(६) क्या यह सही है कि शिक्षा शास्त्री के लिए भी ३५ वर्ष की उम्र निर्धारित है, लेकिन उनमें ४५ वर्ष तक के शिक्षार्थी लिए गए हैं ?

(७) क्या यह सही है कि १९६५ में बी० एड० की ट्रेनिंग में आने वाले अध्यापकों में से ऐसे अध्यापकों को भी सरकारी खर्च पर नहीं भेजा गया जो कि निर्धारित तारीख से लगभग दो महीने पहले ३५ वर्ष के होते थे ?

(८) शिक्षा शास्त्री के परिक्षार्थिग्रों के लिए १० वर्ष की छूट और बी० एड० वालों को दो महीने की छूट न देने का आधार क्या है ?

उत्तर

(१) एस० टी० सी०, बी० एड० एवं शिक्षा शास्त्री प्रशिक्षण में दिनांक १-७-५४ से पूर्व कार्य करने वाले अध्यापकों को पूर्ण वेतन पर एवं इस तिथि के बाद में दिनांक ३१-३-६३ तक कार्य करने वाले अध्यापकों को छात्रवृत्ति पर वरिष्ठता के अनुसार प्रशिक्षण हेतु चयन किया जाता है ।

(२) अनिवार्य नहीं है किन्तु १-७-५४ से पहले के नियुक्त अध्यापकों को ही राज्य के खर्च पर प्रशिक्षण में भेजने के नियम बने हुये हैं, यदि वे आयु वरिष्ठता, योग्यता आदि अन्य नियमों में आते हों । यदि ऐसे अध्यापक शीघ्रता के ख्याल से अपने खर्चे पर जायें तो बन्धन नहीं हैं ।

(३) ग्रेजुएट होने के बाद साधारणतया अध्यापक को बेसिक एस० टी० सी० प्रशिक्षण में नहीं भेजा जाता क्योंकि ग्रेज्युएट की एडमिशन बी० एड० में हो जाता है जो कि बी० एस० टी० सी० से अधिक महत्वकारी है । यदि ग्रेज्युएट अध्यापक बी० एस० टी० सी० में जाता है तो ग्रेज्युएट का ग्रेड पाने पर उसके लिये बी० एड० करना आवश्यक हो जाता है । इसमें अध्यापक व राज्य दोनों को आर्थिक हानि होती है । परन्तु फिर भी यदि अध्यापक ग्रेज्युएट होने पर भी बी०एस०टी०-सी० करने के लिये खास तौर से आमादा हो तो विभाग को कोई विशेष आपत्ति नहीं है ।

(४) सन् १९६५-६६ तक बी० एड० के प्रशिक्षण में भेजे जाने के लिये अधिकतम आयु ३५ वर्ष तक ही रखी गई है जो कि ३१-१२-६५ को पूरी होनी चाहिये । इसके साथ साथ प्रत्येक रेंज में ४ अध्यापकों (दो छात्रवृत्ति पर व २ स्वयं के खर्चे पर) को जिनकी आयु प्रशिक्षण में भेजने के वर्ष के दिसम्बर मास में ३५ से ४० वर्ष के बीच में हो और भेजे जाते हैं ।

(५) जी हां । सन् १९६३-६४ में श्रीमती शकुन्तला शर्मा, प्रधानाध्यापिका राजकीय कन्या माध्यमिक शाला, झालरापाटन पूर्ण वेतन पर बी० एड० प्रशिक्षण में जिनकी आयु ४२ वर्ष की थी भेजी गई थी ।

(६) जी हां । सन् १९६४-६५ में संस्कृत अध्यापकों को भी बी० एड० में प्रशिक्षण में जाने वाले अध्यापकों के समान ही नियम काम में लिये गये थे सिर्फ आयु प्रतिबंध में अवश्य छूट दी गई थी और जो संस्कृत अध्यापक १-७-५४ से पूर्ण का हुआ है उसे पूर्ण वेतन पर तथा उसके बाद वालों को

Page No. 116

४०) रु० प्रति माह छात्रवृत्ति पर भेजा गया था। आयु सीमा ३५ वर्ष से हटा कर ४५ वर्ष तक करदी गई थी। जिन अध्यापकों को योग्य समझा गया उन्हें वरिष्ठता के अनुसार प्रशिक्षण हेतु चुन कर भेजा गया।

(७) जी हां। क्योंकि वे नियम के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

(८) आयु के बन्धन में छूट नहीं दी जाती। पिछले वर्ष विशेष परिस्थितियों में जैसा कि भाग ६ में बताया गया है छूट दे दी गई थी।

बकाया रॉयल्टी की वसूली

२६. **श्री श्रवणलाल** (हिंडौन-सु०) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

करोली माइन्स विभाग द्वारा रायल्टी की कितनी बकाया रकम वसूल की जानी है? किस किस में कितनी कितनी राशि कब कब से बकाया है? इसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

करोली एरिया के माइन्स विभाग की बकाया रकम मुबालिग रु० ३,७३,४७४.८१ पैसा वसूल होना है जिसकी सूची संलग्न है। यह रकम विभागीय असेसमेन्ट के अनुसार है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

मांगरोल के हलवाइयों को शक्कर

२७. **श्री लक्ष्मीचन्द** (पीपलदा) : क्या खाद्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सच है कि जिला कोटा में पंचायत समिति अन्ता के ग्राम मांगरोल के हलवाइयों को शक्कर नहीं मिलती है?

(२) क्या यह सच है कि इस सम्बन्ध में इन हलवाइयों ने एस० डी० ओ०, बारां और तहसीलदार को प्रार्थना-पत्र दिये हैं लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई है?

(३) क्या सरकार ने इन हलवाइयों का कोटा नियत कर रखा है?

(४) क्या सरकार मांगरोल के हलवाइयों को शीघ्र से शीघ्र शक्कर दिलवाने की व्यवस्था करने का विचार रखती है?

उत्तर

(१) जी नहीं।

(२) जी नहीं।

(३) हलवाई वर्ग के लिये प्रति माह शक्कर की २ बोरी कोटा नियत है।

(४) सरकार के चीनी वितरण सम्बन्धी व्यवस्था में हलवाइयों का कोटा नियत है।

वैदिक कन्या विद्यालय राजापार्क, जयपुर

२८. **श्री जयनारायण सालोदिया** : (निवाई) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) वैदिक कन्या विद्यालय, राजापार्क, जयपुर को राज्य सरकार की ओर से कितनी लड़कियों के लिये स्वीकृति दी गई थी और अब कितनी लड़कियां हैं? उनमें से अनुसूचित जाति व जन जाति की कितनी लड़कियां हैं?

(२) इन लड़कियों में कितनी छात्रावास में रहती हैं व कितनी बाहर ?

(३) इस संस्था को सरकार की ओर से किस किस कार्यों के लिये कितना कितना अनुदान दिया जाता है ?

(४) इस संस्था के संचालक मण्डल के सदस्य कौन हैं ?

उत्तर

(१) वैदिक कन्या विद्यालय राजापार्क द्वारा उच्च विद्यालय (कक्षा १ से १० तक) चलाया जा रहा है। इसमें छात्राओं के प्रवेश के बारे में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इस समय कक्षा १ से कक्षा १० तक छात्राओं की संख्या ५१६ है। इनमें से केवल तीन छात्राएं अनुसूचित जाति एवं जन जाति की हैं।

(२) अब विद्यालय में छात्रावास की कोई व्यवस्था नहीं है अतः छात्रावास में रहने का प्रश्न ही नहीं उठता है।

(३) इस संस्था को केवल माध्यमिक स्कूल के स्तर पर राज्य सरकार द्वारा आवर्तक अनुदान दिया जाता है। सत्र ६५-६६ में ७,१११) रु० का अनुदान दिया गया था।

(४) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

आदिवासियों को मकान बनाने के लिए बांस व डांडियां

२९. **श्री हरलाल मीणा** (प्रतापगढ़) : क्या वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या यह सत्य है कि तहसील प्रतापगढ़ में फॉरेस्ट रेन्ज, सालमगढ़ द्वारा आदिवासी एवं अन्य किसानों को मकान बनाने के लिए कबाड़ा नियमानुसार नहीं देकर ५ प्रतिशत महसूल लेकर दिया जाता है ?

(२) क्या यह भी सही है कि आदिवासी एवं अन्य किसानों को केवल ५० डांडियां और ५० बांस दिये जाते हैं ? यदि हां, तो क्या इस कबाड़े से मकान बन सकता है ?

उत्तर

(१) जी नहीं, वन विभाग की विज्ञप्ति के अनुसार कबाड़ा दिया जाता है।

(२) जी नहीं।

सूरतगढ़ ब्रांच के चकों में पानी

३०. **श्री योगेन्द्रनाथ हांडा** (रायसिंहनगर) : क्या मंत्री, राजस्थान कैनाल यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) राजस्थान कैनाल की सूरतगढ़ ब्रांच के चक ८ ए० पी० डी० में कितनी एकड़ जमीन है एवं कितने कितने आकार-प्रकार के कितने मोगे लगे हुए हैं ?

(२) क्या सूरतगढ़ ब्रांच के अन्य चकों में भी ८ ए० पी० डी० के सिंचित क्षेत्र के अनुरूप पानी मिल रहा है ?

(३) यदि नहीं, तो चक ८ ए० पी० डी० को विशेषतौर पर पानी क्यों मिल रहा है ?

उत्तर

(१) संबंधित खण्ड के नहरी रेकॉर्ड के अनुसार सूरतगढ़ ब्रांच के चक ८ ए०-पी० डी० में १,०१२ एकड़ कुल जमीन है और इस चक में निम्नलिखित आकार के दो मोघे लगे हुए हैं:—

(१) आकार ६ इंच (व्यास) स्थायी

(२) आकार ६ इंच (व्यास) अस्थायी।

(२) जी हां।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, दिनांक १५ सितम्बर, १९६६)

स्कन्ध संख्या १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
४	१२	मंत्रींजो	मंत्रीजी
५	२०	लढठाः	लड्ढा
७	शीर्ष	(रामप्रसाद लड्ढा)	(श्री रामप्रसाद लड्ढा)
८	अन्तिम से ६	चाहते है	चाहते हैं
१५ व १६	१७ व २२	ग्रांर	और
१७	४	बीमार	बीमार
२०	२	बीम ार	बीमार
,,	२१	कों	को
२६	अन्तिम से ४	श्री न थूर म	श्री नाथूराम
३०	२३	मे	में
३१	अन्तिम से ४	रामन द	रामानन्द
३५	१८	लडढा;	लड्ढाः
,,	२	श्रा ज्वालाप्रसाद	श्री ज्वालाप्रसाद
३९	१४	ि थति	स्थिति
४२	१५	उन्होने	उन्होंने
४८	१	थो	थी
५३	६ व २०	पृथक्	पृथक
५७ व ५९ शीर्षक		तारांकित प्रश्नोत्तर	अतारांकित प्रश्नोत्तर
६७	११	दो ों	दोनों
,,	,,	संब ध	संबन्ध
७०	अन्तिम से ५	पेानक	दैनिक
८२	१२	सत्ताधाकारी	सत्ताधारी
,,	अन्तिम से ६	गवर्नमट	गवर्नमेंट
८३	५	निश्चत	निश्चित
,,	७	रि्ेट	रिपोर्ट
८४	अन्तिम से ५	ग्रासन के	ग्रासन का
८५	२	फ्लउट	फ्लाउट
८६	१२	मुखियाजी	मुद्राखियाजी

१	२	३	४
८६	१३	मंत्रियों को	मंत्रियों की
,,	१६	चु ा	चुप
९०	१८	ाह	यह।
९२	४	ग्रोर	ग्रौर
९६	अन्तिम से ११	काई भी	कोई भी
९७	शीर्षक	(संशोधन व १५-सितम्बर,	(संशोधन व १५ सितम्बर,
,,	अन्तिम से १३	कौन में	कौन
,,	,, १२	चेयरमेन	चेयरमैन
९८	१२	चेयरमैन	,,
,,	१६	श्री गजेंद्र–	श्री गजेन्द्र–
,,	१७	कट की	प्रकट की
९९	अन्तिम से १६	सिफरिश	सिफारिश
,,	,, ११	न म	नाम
१०२	१७	केबिनेट	केबिनेट
१०३	१०	बर्खास्त	बर्खास्त
१०४	१४	नहों	नहीं
१०६	३	उहें	उन्हें
,,	,,	या तो यह	या फिर यह
,,	९	श्री मुरलधर	श्री मुरलीधर
१०७	अन्तिम से ४	Minister's	Ministers
,,	,, २	not	no
,,	,, १	th	the
१०८	२	Consulted	Consulted.
१०९	१७	श्री रामामन्द	श्री रामानन्द
१११	१७	लापरवही	लापरवाही
११३ से ११८	शीर्षक	स्थगन प्रस्तावों–१५ सितम्बर, १९६६–स्थगन प्रस्तावों सम्बन्धी	गृह-राजस्व (संशोधन द–१५ सितम्बर, १९६६–सैधकरण) विधेयक, १९६६

१	२	३	४
११३	अन्तिम से १४	प ाकारों	पत्रकारों
,,	,, १२	सन्वन्धित	सम्बन्धित
११७	१	हु।	हो
,,	अन्तिम से ८	Governmetn	Government
,,	,, ७	Krshna	Krishna
११८	२	pare k	pareek
	७	be ore	before
,,		मरकारी	सरकारी
११९	१		
११९ से १२८	शीर्षक	भू-राजस्व संशोधन-१५ सितम्बर, ६६-विधेयक १९६६	भू-राजस्व (संशोधन व-१५ सितम्बर, ६६-वैधकरण) विधेयक, १९६६
१२१	१	क्सपीरियेन्स	एक्सपीरियेन्स
,,	२	पूछन	पूछना
१२२	१३	लेजिस्लेचर	लेजिस्लेटर
,,	अन्तिम से ७	व ताता	बनाता
,,	,, २	घ तारीख	६ तारीख
१२८	,, १३	रेस्पान्सिबल	रेस्पोन्सिबल

नोटः--स्कम्भ १२६ से स्कम्भ २१६ तक "भू-राजस्व संशोधन-१५ सितम्बर, ६६-विधेयक, १९६६". "अथवा अनुपस्थिति हेतु अनुमति--१५ सितम्बर, ६६-स्थगन प्रस्तावों सम्बन्धी" अथवा अन्य कुछ मुद्रित हुआ है, उसके स्थान पर कृपया पढ़ें : "राजस्थान भू-राजस्व (संशोधन व वैधकरण)-१५ सितम्बर, १९६६--विधेयक, १९६६".

१३३	अन्तिम से ३-४	कान्स्टीट्यूट किया हे ..	कॉन्स्टिट्यूट किया है
१३४	,, ,, ६	ना ..	बने
१३७	,, ,, ४	का ..	की
१४०	५	कनूनी ..	कानूनी
	८	प्रजतंत्र ..	प्रजातंत्र
,,		(११. ५ म. पू.) ..	--
१४५	शीर्ष के ऊपर	क्वालिफकेशन्स ..	क्वालिफिकेशन्स
,,	८	वह ..	वह
१४९	१५	होंगीं ..	होंगी
१५०	२२	(श्री मथरेशबिहारी)	(श्री मथुरेशबिहारी
१५१	शीर्ष		
१५३	२२	राजस्त्र ..	राजस्व

१	२	३	४
१५६	२४	घोषित	घोषित
१५८	१८	हांडाः	हांडा
,,	२१	कवल	केवल
,,	अन्तिम से ३	क्योकि	क्योंकि
१६०	,, ,, ५	श्री योगेन्दनाथ हांडा	श्री योगेन्द्रनाथ हांडा
१६१	५	हेड लोक	हेड-लॉक
,,	अन्तिम से २	ड्राफट	ड्राफ्ट
१६५	१	श्री कुम्माराम	श्री कुम्भाराम
,,	१८	पकृते	पकड़ते
१६६	८, १७	श्री कुम्माराम	श्री कुम्भाराम
१६७	अन्तिम से ३	ओर	और
१६९	१३	आार	,,
१७६	६	में	मैं
,,	१४	स्पप्टीकरण	स्पष्टीकरण
१७७	१९	बल्की	बल्कि
,,	अन्तिम से ८	यह है ? कि	यह है कि
१७८	,, ८	को अवेध	तो अवेध
१७९	अन्तिम	म	में
१८०	५	मे	हैं
१८१	२	नाथुलाल करोल	श्री नाथूलाल करोल
१८२	८	ब त	बात
,,	१८	चचा	चर्चा
१८३	६	ो	को
,,	अन्तिम से ९	ओर	और
१८४	,, ३	उसम	उसमें
१८५	१६	मध्यादण	मध्यादेश
१८६	अन्तिम से ४	बीच	बीच
१८८	५	ऐरें गेरे	ऐरे गैरे
,,	,,	कार्यवाहियों	कार्यवाहियों
१९१	१३	क	करें
,,	अन्तिम से १२	अपोग्टमेन्ट	अपोइन्टमेन्ट
,,	,, १०	अपॉम्टमैन्ट	,,
,,	,, ११	क	के

१	२	३	४
१६१	अन्तिम से १०	उनक	उनके
१६४	१६	हूं ।	है ।
१६७	अन्तिम	तरह	इस तरह
१६८	१०	पैदा ,	पैदा हुई,
२०१	६	pest	best
,,	अन्तिम	कानूनो	कानूनी
२०३	१७	बटवारा	बंटवारा
२०६	१४	कानून	rule. कानून
,,	अन्तिम से ४	हृदय संगम	हृदय अंगम
२११	अन्तिम से १०	ामलेगा	मिलेगा
२१४	२२	सबाब	सवाल
,,	अन्तिम से ४	फो	को
२१७ व २१८	शीर्षक	——	परिशिष्ट १
२१७	१	ताराकित	तारांकित
२१८	१७	अव	अब
२२२	७	झुझुनं	झुंझुनू
२२५	५	(बेर)	(वेर)
२२६	२१	तु	हेतु
,,	अन्तिम से ४	के	शीघ्रता के
२३१	५	हेत	हेतु
२३२	अन्तिम	वजन जाति	व जन जाति